इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 जून 2017—आषाढ़ 1, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (24)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की घारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के वर्ग को 22 जून, 2017 से उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिये नियुक्त करती है:

सारणी

अनुक्रमांक	अधिकारियों का वर्ग
(1)	(2)
1.	राज्य कर आयुक्त
2.	राज्य कर विशेष आयुक्त
3.	राज्य कर अपर आयुक्त
4.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
5.	राज्य कर उपायुक्त
6.	राज्य कर सहायक आयुक्त
7.	राज्य कर अधिकारी
8.	राज्य कर निरीक्षक
9.	कराधान सहायक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (24), दिनांक 22 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

No. F-A-3-13-2017-1-FIVE (24)

Bhopal, the 22nd June 2017

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Madhya Pradesh 1 Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, hereby, appoiss of officers specified in column (2) of the table below with effect from 22ⁿ 17, for the implementation of the provisions of the said Act and the rules reunder:

TABLE

S.No.	Class of officers
(1)	(2)
1.	Commissioner of State Tax
2.	Special Commissioner of State Tax
3.	Additional Commissioner of State Tax
4.	Joint Commissioner of State Tax
5.	Deputy Commissioner of State Tax
6.	Assistant Commissioner of State Tax
7.	State Tax Officer
8.	Inspector of State Tax
9.	Taxation Assistant

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy Secy. क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (25)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 146 के साथ पठित समेकित माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रिजस्ट्रीकरण को सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणियों के प्रस्तुत करने, समेकित कर के संगणन और बंदोबस्त और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिल के लिये सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करती है।

स्पष्टीकरण.— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'www.gst.gov.in' से अभिप्रेत है, माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाईट।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (25), दिनांक 22 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

No. F-A-3-13-2017-1-FIVE (25)

Bhopal, the 22nd June 2017

In exercise of the powers conferred by section 146 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) read with section 20 of the Integrated Goods and Service Tax Act, 2017 (13 of 2017), the State Government, hereby notifies www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation.- For the purpose of this notification, 'www.gst.gov.in' means the website managed by the Goods and Service Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy Secy. क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (26)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 22 जून, 2017 को उस दिनांक के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 तथा 164 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (26), दिनांक 22 जून 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

No. F-A-3-13-2017-1-FIVE (26)

Bhopal, the 22nd June 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, hereby, appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 and 164 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy Secy.

क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पांच (27)

भोपाल, दिनांक 22 जून 2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017 है।
- (2) ये **22 जून** 2017 से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19);
- (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;
- (ग) "धारा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की कोई धारा ;

- (घ) "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में दिया गया है;
- (इ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः न्यस्त किए गए हैं;

प्रशमन नियम

3. प्रशमन उद्ग्रहण के लिए सूचना-

- (1) कोई व्यक्ति, जिसे नियम 24 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है और जो धारा 10 के अधीन कर के संदाय का विकल्प नियत दिन से पहले अथवा नियत दिन के तीस दिन के अपश्चात् या ऐसी और अविध, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिस्चित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना फाइल करेगा:
- परंतु जहां प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01 में की सूचना नियत दिन के पश्चात् फाइल की जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन से कोई भी कर संगृहीत नहीं करेगा किन्तु उक्त दिन के पश्चात् की गई प्रदायों के लिए प्रदाय का बिल जारी करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जिसे उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने की सूचना के रूप में समझा जाएगा।
- (3) कोई भी रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले, जिसके लिए पूर्वोक्त धारा के अधीन कर संदाय के विकल्प का प्रयोग किया गया है या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से साठ दिन की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण देगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल करता है, स्टाक के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उस तारीख से पूर्ववर्ती दिन को, जिससे वह उक्त धारा के अधीन कर संदाय करने का विकल्प देता है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त उसके द्वारा धारित माल की आवक पूर्ति भी है,

उस तारीख से, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त बढ़ा दी जाए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्रों के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 में देगा।

- (5) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम
- (1) या उपनियम (3) के अधीन किसी भी सूचना को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रिजस्ट्रीकृत कारबार के सभी अन्य स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा ।
- 4. प्रशमन उद्ग्रहण की प्रभावी तारीख- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प उस वित्तीय वर्ष, जब नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन सूचना फाइल की गई है और वह नियत दिन जब उक्त नियम के उपनियम (1) के अधीन सूचना फाइल की गई है, के आरंभ से प्रभावी होगा।
- (2) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन सूचना पर आवेदक को रिजस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा और धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए उसका विकल्प नियम 10 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन नियत तारीख से प्रभावी होगा।
- 5. प्रशमन उद्ग्रहण की शर्तें और निर्वंधन- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के लिए विकल्प का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, जो हैं:--
 - (क) वह न तो आकस्मिक कराधेय व्यक्ति है और न ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति है ;
 - (ख) जहां विकल्प का प्रयोग नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किया गया है, वहां उसके द्वारा नियत दिन को स्टाक में धारित माल का अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान क्रय नहीं किया गया है या भारत से बाहर किसी स्थान से आयात नहीं किया गया है या राज्य के बाहर स्थित उसकी शाखा से या राज्य के बाहर उसके अभिकर्ता या प्रधान से प्राप्त नहीं किया गया है;
 - (ग) उसके द्वारा स्टाक में धारित माल का किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार रे क्रय नहीं किया गया है और जहां क्रय किया गया है, वहां वह धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करता है;

- (घ) वह माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति पर धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करेगा ;
- (इ.) वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (इ.) के अधीन यथा अधिसूचित माल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ है;
- (च) वह, उसके द्वारा जारी पूर्ति के बिल के ऊपरी सिरे पर "प्रशमन सुविधा प्राप्त कराधेय व्यक्ति, पूर्तियों पर कर संग्रहण हेतु पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख करेगा; और
- (छ) वह, उसके कारबार के मूल स्थान पर प्रमुख स्थान पर और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइन बोर्ड पर "प्रशमन कराधेय व्यक्ति" शब्दों का उल्लेख करेगा ।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए हर वर्ष नई सूचना फाइल करना आवश्यक नहीं है और वह अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों के अध्यधीन उक्त धारा के अधीन कर का संदाय करता रह सकेगा।
- 6. प्रशमन उद्ग्रहण की विधिमान्यता (1) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प तब तक विधिमान्य रहेगा, जब तक वह उक्त धारा और इन नियमों के अधीन उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति करता है।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दिन से जब वह धारा 10 या इस अध्याय के उपबंधों में उल्लिखित किसी शर्त की पूर्ति नहीं करता है, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा और उसके पश्चात् की गई प्रत्येक कराधेय आपूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेगा और वह ऐसी घटना के घटित होने के सात दिन के भीतर प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04 में स्कीम से प्रत्याहरण के लिए सूचना भी फाइल करेगा।
- (3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का है, ऐसे प्रत्याहरण की तारीख से पहले सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 04 में आवेदन फाइल करेगा।

- (4) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का पात्र नहीं था या उसने अधिनियम के उपबंधों या इस अध्याय के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो वह प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 05 में ऐसे व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसे नोटिस की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने हेतु जारी कर सकेगा कि धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प क्यों न निरस्त कर दिया जाए।
- (5) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से उपनियम (4) के अधीन जारी कारण बताने वाले नोटिस के प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 06 में उत्तर की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या तो विकल्प की तारीख से या ऐसे उल्लंघन से संबंधित घटना की तारीख से धारा 10 के अधीन या तो उत्तर को स्वीकार करते हुए या कर संदाय करने के विकल्प को इनकार करते हुए प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में आदेश जारी करेगा।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने उपनियम (2) के अधीन सूचना दी है या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन फाइल किया है या ऐसा व्यक्ति, जिसकी बाबत उपनियम (5) के अधीन प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में विकल्प के प्रत्याहरण का आदेश पारित किया गया है सामान्य पोर्टल पर या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आईटीसी- 01 में, यथास्थिति, उस तारीख से, जिससे विकल्प का प्रत्याहरण किया गया है या प्ररूप जीएसटी सीएमपी- 07 में पारित आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक विवरण इलेक्ट्रानिक रूप से दे सकेगा, जिसमें उस तारीख को, जिसको विकल्प का प्रत्याहरण या उसको इनकार किया गया है, उसके द्वारा स्टाक में धारित इनपुटों के स्टाक और अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के ब्यौरे होंगे।
- (7) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कारबार के किसी स्थान की बाबत उपनियम (5) के अनुसार उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण या धारा 10 के अधीन कर संदाय करने के विकल्प के इनकार किए जाने की सूचना या आवेदन को उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत कारबार के अन्य सभी स्थानों की बाबत सूचना समझा जाएगा।
- 7. प्रशमन उद्ग्रहण की कर की दरें धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन संयुक्त उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र

रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के प्रवर्ग धारा 10 के अधीन उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करेगा :

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	एक प्रतिशत
2	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियां करने वाले पूर्तिकार	ढाई प्रतिशत
3	धारा 10 और इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	आधा प्रतिशत

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-- (1) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति, धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है और धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है), रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग क में अपना स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नं0, ई-मेल पता, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र घोषित करेगा:

परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाइयां रखने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसकी अन्य इकाइयों से भिन्न किसी कारबार शीर्ष के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा:

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई इनपुट सेवा वितरक है, ऐसे इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक् आवेदन करेगा।

- (2) (क) स्थायी लेखा संख्यांक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा आनलाइन विधिमान्य किया जाएगा ।
 - (ख) उपनियम (1) के अधीन घोषित मोबाइल नम्बर को उक्त मोबाइल नम्बर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ; और
 - (ग) उपनियम (1) के अधीन घोषित ई-मेल पते को उक्त ई-मेल पते पर भेजे गए एक पृथक् वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।
- (3) स्थायी लेखा संख्यांक, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के सफलतापूर्वक सत्यापन पर एक अस्थायी निर्देश संख्यांक सृजित किया जाएगा और उसे आवेदक को उक्त मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते पर संसूचित किया जाएगा ।
- (4) आवेदक, उपनियम (3) के अधीन सृजित निर्देश संख्यांक का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक रूप से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के भाग ख में, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन, उक्त प्रारूप में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- (5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-02 में, इलैक्ट्रानिक रूप से, अभिस्वीकृति जारी की जाएगी ।
- (6) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त जमा के पश्चात् ही उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी।

- 9. आवेदन का सत्यापन और अनुमोदन—(1) आवेदन समुचित अधिकारी को भेजा जाएगा, जो आवेदन और संलग्न दस्तावेजों की परीक्षा करेगा और यदि वे ठीक क्रम में पाए जाते हैं तो आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अविध के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया जाएगा ।
- (2) जहां नियम 8 के अधीन दिए गए आवेदन में या तो उक्त नियम के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी सूचना या किसी दस्तावेज के रूप में कमी पाई जाती है या जहां समुचित अधिकारी उसके साथ दिए गए आवेदन या दस्तावेजों में दी गई किसी सूचना की बाबत किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है, वहां वह आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी- 03 में, इलैक्ट्रानिक रूप से नोटिस जारी कर सकेगा और आवेदक, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-04 में, इलैक्ट्रानिक रूप से, ऐसा स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेज देगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "स्पष्टीकरण" पद के अंतर्गत प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते से भिन्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में घोषित विशिष्टियों में उपांतरण या सुधार भी सम्मिलित है।

- (3) जहां समुचित अधिकारी का आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से समाधान हो जाता है, वहां वह ऐसे स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अविध के भीतर आवेदक को रिजिस्ट्रीकरण प्रदान करने का अनुमोदन कर सकेगा।
- (4) जहां उपधारा (2) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में आवेदक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है या जहां समुचित अधिकारी दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे आवेदन को नामंजूर कर देगा और आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरईजी-05 में इलैक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।
- (5) यदि समुचित अधिकारी,--
 - (क) आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अविध के भीतर ; या

(ख) उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर,

कोई कार्रवाई करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के आवेदन को अनुमोदित हुआ समझा जाएगा ।

- 10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना-- (1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए प्ररूप जीएसटी आरईजी-06 में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्यांक निम्नलिखित वर्णों के अध्यधीन समनुदेशित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;
 - (ख) स्थायी लेखा संख्यांक या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक के लिए दस-वर्ण ;
 - (ग) अस्तित्व कोड के लिए दो वर्ण ; और
 - (घ) एक चेकसम वर्ण।
- (2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है।
- (3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख होगी।
- (4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा ।
- (5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उपनियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक संस्चित किया जाएगा और उपनियम (1) के

अधीन इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा ।

- 11. किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रिजस्ट्रीकरण—
- (1) किसी राज्य या किसी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन उसके कारबार शीर्ष में से किसी कारबार के लिए एक पृथक् रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, प्रत्येक शीर्ष के संबंध में पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (क) ऐसे व्यक्ति के पास धारा 2 के खंड (18) में यथा परिभाषित एक से अधिक कारबार शीर्ष हैं;
 - (ख) किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार शीर्ष को धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, यदि उसी व्यक्ति के अन्य कारबार शीर्षों में कोई एक धारा 9 के अधीन कर का संदाय कर रहा है।
 - (ग) ऐसे व्यक्ति के पृथक् रूप से रिजस्ट्रीकृत सभी कारबार शीर्ष, ऐसे व्यक्ति के दूसरे रिजस्ट्रीकृत कारबार शीर्ष को की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर अधिनियम के अधीन कर का संदाय करेंगे और ऐसी पूर्ति के लिए कर बीजक जारी करेंगे।

स्पष्टीकरण- खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई भी कारबार शीर्ष, जिसे पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उक्त व्यक्ति के अन्य सभी कारबार शीर्ष उक्त धारा के अधीन कर संदाय के लिए अपात्र हो जाएंगे।

- (2) कारबार शीर्षों के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का पात्र कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रत्येक शीर्ष के संबंध में प्ररूप जीएसटी आरइजी-01 में पृथक् आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।
- 12. स्रोत पर कर की कटौती के लिए या स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना --
- (1) धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या धारा 52 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संगृहीत करने के लिए अपेक्षित कोई भी व्यक्ति या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रानिक रूप से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्ररूप जीएसटी आरइजी-07 में प्रस्तुत करेगा।
- (2) समुचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा और आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ।
- (3) जहां जांच किए जाने पर या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के अनुसरण में समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, जिसे प्ररूप जीएसटी आरइजी-06 में रिजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करने का दायी नहीं रहा है तो उक्त अधिकारी उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए रिजिस्ट्रीकरण को रदद कर सकेगा और ऐसे रददकरण को उक्त व्यक्ति को इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-08 में संस्चित किया जाएगा:

परंतु समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए नियम 22 में यथा उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

13. अनिवासी कराधेय व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना --

(1) कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति, अपने विधिमान्य पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति के साथ रिजस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरइजी-09 में कारबार के प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले प्रस्तुत करेगा:

परंतु भारत से बाहर निगमित या स्थापित किसी कारबार अस्तित्व की दशा में रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उसके कर पहचान संख्यांक या विशिष्ट संख्यांक, जिसके आधार पर अस्तित्व की उस देश की सरकार द्वारा पहचान की जाती है या यदि उपलब्ध हैं तो उसके स्थायी लेखा संख्यांक सहित प्रस्तृत किया जाएगा।

- (2) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, धारा 27 के उपबंधों के अनुसार अग्रिम कर जमा करने के लिए, सामान्य पोर्टल द्वारा, अस्थायी निर्देश संख्यांक दिया जाएगा और केवल उक्त इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा के पश्चात् ही नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन अभिस्वीकृति इलैक्ट्रानिक रूप से जारी की जाएगी ।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के सत्यापन और प्रदान किए जाने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सिहत इस नियम के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन को लागू होंगे ।
- (4) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, उसके ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो विधिमान्य स्थायी लेखा संख्यांक रखने वाला भारत में निवासी कोई व्यक्ति होगा ।
- 14. भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना—
- (1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा

अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरइजी- 10 में प्रस्तुत करेगा ।

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐ'सी शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, प्ररूप जीएसटी आरइजी- 06 में प्रदान किया जाएगा।
- 15. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अविध का विस्तार.-

के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा ।

16. सुओ-मोटो (स्वप्रेरित) रजिस्ट्रीकरण.-

- (1) जहां, किसी सर्वेक्षण, जांच, निरीक्षण, तलाशी या इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों के अनुसरण में, उचित अधिकारी यह पाता है कि अधिनियम के अधीन रिजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ऐसे रिजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में विफल हो गया है, ऐसा अधिकारी, उक्त व्यक्ति को अस्थायी आधार पर रिजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और जीएसटी आरईजी -12 में एक आदेश जारी कर सकेगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगा ।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तारीख से नब्बे दिनों की अविध के भीतर, नियम 8 या नियम 12 में उपबंधित प्ररूप और रीति में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक आवेदन प्रस्तृत करेगा:

परन्तु जहां उक्त व्यक्ति अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के विरुद्ध अपील दाखिल करता है, ऐसे मामले में, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्व की पुष्टि वाले आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिवसों की अविध के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

- (4) सत्यापन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित नियम 9 और नियम 10 के उपबंध, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित, उप-नियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को लागू होंगे ।
- (5) उप-नियम (4) के अधीन सत्यापन के अनुसरण में समनुदेशित माल और सेवा कर पहचान संख्या, उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले आदेश की तारीख से प्रभावी होगी।

17. कतिपय विशिष्ट सत्ताओं को विशिष्ट पहचान संख्या का समनुदेशन.-

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 25 की उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसरण में विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाना अपेक्षित है जीएसटी आरईजी -13 प्ररूप में इलैक्ट्रानिक रूप में, सामान्य पोर्टल पर, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति में, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (2) उचित अधिकारी, जीएसटी आरईजी-13 प्ररूप में एक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर या उक्त प्ररूप भरे जाने के पश्चात् उक्त व्यक्ति को विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित करेगा और आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर जीएसटी आरईजी -06 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- 18. नाम पटल पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और माल तथा सेवा कर पहचान संख्या को प्रदर्शित करना.-
- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उसके कारबार के मुख्य स्थान पर और ऐसे प्रत्येक कारबार के अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रमुख अवस्थिति पर उपदर्शित करेगा ।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके कारबार के प्रमुख स्थान और कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर, प्रवेश स्थान पर प्रदर्शित नाम पटल पर माल और सेवा कर पहचान संख्या प्रदर्शित करेगा।

19. रजिस्ट्रीकरण में संशोधन.-

(1) रजिस्ट्रेशन के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी- 01 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 07 या प्ररूप जीएसटी आरईजी - 09 या प्ररूप जीएसटी आरईजी -10 या प्ररूप जीएसटी आरईजी -13 विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन में दी गई विशिष्टियों में रिजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त करते समय या समय-समय पर यथा संशोधित कोई परिवर्तन है, रिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे परिवर्तन से पंद्रह दिवस के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में इलैक्ट्रोनिक रूप से, ऐसे परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के साथ, सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित, आवेदन या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यदि-(क) परिवर्तन निम्नलिखित से संबंधित है -

- (i) कारबार का विधिक नाम;
- (ii) कारबार के प्रमुख स्थान या कारबार के किसी अन्य अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का पता; या
- (iii) भागीदार या निदेशकों, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यास बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य के सम्मलित होने, हटाने या सेवानिवृत्ति पर, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी है,-

धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का वारंट रद्दकरण नहीं होता उचित अधिकारी सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर संशोधन को अनुमोदित करेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरईजी -15 में एक आदेश जारी करेगा और ऐसा वारंटिंग संशोधन की घटना घटने की तारीख से प्रभावी होगा;

- (ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में खंड (क) के उप-खंड (i) और उप-खंड (iii) से संबंधित परिवर्तन समान स्थायी खाता संख्या पर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त सभी रजिस्ट्रीकरणों पर लागू होगा;
- (ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न किन्हीं विशिष्टियों से संबंधित परिवर्तन होता है, तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्रस्तुत करने पर संशोधित होगा;

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या में परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी कारबार के गठन में कोई परिवर्तन होने पर उक्त व्यक्ति नये रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 में आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में कोई परिवर्तन, जैसा समय समय पर यथासंशोधित हो, उक्त नियम के अधीन उपबंधित रीति से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आनलाईन सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

- (2) जहां उचित अधिकारी की राय है कि उप-नियम (1) में चाहा गया संशोधन या तो वारंटेड नहीं है या उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण या गलत है, तो वह प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 में आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, प्ररूप जीएसटी आरईजी -03 में सूचना जारी करेगा, कि ऐसी सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर क्यों न उप-नियम (1) में प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए |
- (3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन कारण बताओ सूचना का प्रत्युतर उक्त सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी 04 में प्रस्तुत करेगा।
- (4) जहां उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युतर संतोषप्रद नहीं है या उप-नियम (2) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युतर में, उप-नियम (3) में विहित अविध के भीतर कोई प्रत्युतर नहीं दिया जाता, तो उचित अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी 05 में आदेश पारित कर सकेगा।
- (5) यदि उचित अधिकारी कोई कार्यवाही करने में विफल रहता है -
- (क) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अविध के भीतर, या
- (ख) उप-नियम (3) के अधीन कारण बताओं सूचना के प्रत्युतर प्राप्त होने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर ,

तो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र किए गए आवेदन के विस्तार तक संशोधित रहेगा और संशोधित प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन -

एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से भिन्न जिसे नियम 12 के अधीन रिजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या वह व्यक्ति जिसे नियम 17 के अधीन विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई है, धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रिजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहता है प्ररूप जीएसटी आरईजी – 16 में इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस तारीख को जिससे रिजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण चाहा गया है, को स्टाक में धारित इनपुट ब्यौरे या स्टाक में धारित अर्द्ध तैयार या तैयार माल में अन्तर्विष्ट निवेश और स्टाक में धारित पूंजी माल, उस पर दायित्व ऐसे दायित्व के विरुद्ध किए गए संदाय के ब्यौरे यदि कोई हो, वारंट रद्दकरण की घटना घटित होने के तीस दिवसों की अविध के भीतर सामान्य पोर्टल पर सुसंगत दस्तावेजों से समर्थित आवेदन के साथ या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए कोई आवेदन, कराधेय व्यक्ति की दशा में, जो रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अविध के समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा।किसी व्यक्ति का प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति-

- (क) कारबार के घोषित स्थान से किसी कारबार का संचालन नहीं करता; या
- (ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण में माल या सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या रसीद जारी करता है।

22. रजिस्ट्रीकरण का रदद किया जाना -

(1) जहां उचित अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि धारा 29 के अधीन किसी व्यक्ति का रिजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, वह ऐसे व्यक्ति को प्रस्प जीएसटी आरईजी -17 में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा कि ऐसी सूचना

की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर क्यों न उसका रजिस्ट्रीकरण रदद किया जाए |

- (2) उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं सूचना का प्रत्युत्तर उक्त-नियम में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -18 में प्रस्तुत करेगा ।
- (3) जहां व्यक्ति जिसने अपने रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है कि वह रजिस्ट्रीकृत बने रहने के लिए दायी नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किए जाने के लिए दायी है, उचित अधिकारी, नियम 20 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन की तारीख या जैसा की मामला हो, उप-नियम (1) के अधीन जारी कारण बताओं के प्रत्युत्तर की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी -19 में आदेश जारी करेगा, रजिस्ट्रीकरण उसके द्वारा अवधारित और कराधेय व्यक्ति को अधिसूचित तारीख से,िकसी कर, ब्याज या शास्ति जिसके अन्तर्गत धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन संदेय के लिए दायी रकम भी है के बकाया अदा करने का निदेश करते हुए रद्द करेगा।
- (4) जहां उप-नियम (2) के अधीन प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद पाया जाता है,3चित अधिकारी कार्यवाहियों को समाप्त करेगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी -20 में एक आदेश पारित करेगा
- (5) उप-नियम (3) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, मृत स्वत्वधारी के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन किये जाने पर, आवेदन स्वयं स्वत्वधारी द्वारा प्रस्तुत की गई है, को लागू होंगे ।

23. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण-

(1) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर उचित अधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है, प्ररूप जीएसटी आरईजी – 21 में रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन, ऐसे उचित अधिकारी को, सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु प्रतिसंहरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रीकरण, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के कारण रद्द किया गया है जब तक कि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती और कर के बकाया के रूप में कोई रकम, ऐसी विवरणी की निबंधनों में ब्याज, शास्ति और उक्त विवरणी के संबंध में देय विलंब फीस के लिए देय रकम के साथ संदत्त नहीं की जाती।

- (2) (क) जहां उचित अधिकारी का समाधान हो जाता है, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाए, कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए पर्याप्त आधार है वह आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी 22 में एक आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण प्रतिसंहरित कर सकेगा।
- (ख) उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, उन परिस्थितियों से भिन्न जो खंड (क) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप जीएसटी आरईजी 05 के आदेश द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा और उसकी संसूचना आवेदक को देगा।
- (3) उचित अधिकारी, उप-नियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आदेश के पारित करने से पहले, आवेदक से यह अपेक्षा करते हुए कारण बताओं कि क्यों न उप-नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए प्ररूप जीएसटी आरईजी 23 में सूचना जारी करेगा और आवेदक प्ररूप जीएसटी आरईजी 24 में सूचना की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्रत्युतर प्रस्तुत करेगा।
- (4) प्ररूप जीएसटी आरईजी 24 में सूचना या स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर उचित अधिकारी, आवेदक से ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अविध के भीतर उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में आवेदन का निपटान करेगा

24. विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का प्रवजन-

(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से भिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखने वाले, उनके ई-

मेल पते और मोबाइल संख्या के विधिमान्यकरण द्वारा सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से नामांकित किए जाए

(ख) खंड (क) के अधीन नामांकित किए जाने पर, उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 25 में उसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या को सम्मिलित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा जो सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

परन्तु कराधेय व्यक्ति जिसे एकल स्थायी खाता संख्या के आधार पर विद्यमान विधियों के अधीन बहु रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है को इस अधिनियम के अधीन केवल एक अनितिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

परन्तु यह और कि व्यक्ति जो वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय-5 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीयकृत रजिस्ट्रीकरण रखते हैं, उसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जहां वह विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, केवल एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।

- (2) (क) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है इलैक्ट्रानिक रूप से, उक्त आवेदन में, आवेदन विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेजों के साथ, इलैक्ट्रानिक सत्यापित कोड के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरईजी 26 में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या सत्यापित सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा।
- (ख) खंड (क) में चाही गई सूचना तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो इस आधार पर आयुक्त द्वारा बढ़ायी गई है, के भीतर प्रस्तुत करनी होगी
- (ग) यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना और विशिष्टियां उचित अधिकारी द्वारा सही और पूर्ण पायी जाती है, प्ररूप जीएसटी आरईजी 06 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) जहां उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां या सूचना यदि प्रस्तुत नहीं की गई है या सही अथवा पूर्ण नहीं पायी जाती, उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी आरईजी -

27 में कारण बताओं की तामील करने के पश्चात् और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, उप-नियम (1) के अधीन प्रदत्त अंनितम रिजस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी - 28 में एक आदेश जारी करेगा:

परन्तु प्ररूप जीएसटी आरईजी - 27 में जारी कारण बताओ सूचना प्ररूप जीएसटी आरईजी - 20 में आदेश जारी करके वापस ले सकेगा यदि यह पाया जाता है कि व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है जिसके लिए सूचना जारी की गई थी।

(4) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी नहीं है, वह नियत दिवस के तीस दिवस की अविध के भीतर, उसके विकल्प पर उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी आरईजी - 29 में इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा और उचित अधिकारी, ऐसी जांच संचालित करने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, उक्त रजिस्ट्रीकरण को रदद कर सकेगा।

25. कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन .-

जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी - 30 में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अविध के भीतर अपलोड की जाएगी।

26. अधिप्रमाणन का ढंग -

(1) सभी आवेदन, जिसके अन्तर्गत प्रत्युत्तर भी है यदि कोई हो, सूचना, विवरणी जिसके अन्तर्गत जावक और आवक पूर्ति के ब्यौरे भी हैं या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन या इस संबंध में बोई द्वारा अधिसूचित हस्ताक्षर या सत्यापन की किसी अन्य रीति के माध्यम से

सत्यापित यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणपत्र या ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से सत्यापित दस्तावेज या आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

- (2) प्रत्येक दस्तावेज जिसके अन्तर्गत आन लाईन प्रस्तुत विवरणी भी है, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से हस्ताक्षरित या सत्यापित की जाएगी .-
- (क) व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि स्वयं या जहां वह भारत से अनुपस्थित है उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से, और जहां व्यष्टि उसके कार्यों को करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, उसके, संरक्षक द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;
- (ख) हिन्दु अविभक्त कुटुंब की दशा में, कर्ता और जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या उसके कार्य करने के लिए मानसिक रूप से अशक्त है, कुटुंब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा या ऐसे कर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (ग) कम्पनी की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा
- (घ) सरकार या किसी सरकारी अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा;
- (ङ) फर्म की दशा में, उसके भागीदारी द्वारा जो अवयस्क न हो या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (च) संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा;
- (छ) न्यास की दशा में, न्यासी द्वारा या किसी न्यासी या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा या;
- (ज) अन्य व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम हो, या धारा 48 के उपबंधों के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।
- (3) इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र और आदेश उचित अधिकारी द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ऐसी सूचनाएं या प्रमाणपत्र या आदेशों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से जारी किया जाएगा।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-01

[नियम 3(1) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (प्रशमन उदग्रहण)

(केवल नियत तारीख को विदयमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

(कवल नियत ताराख का विद्यमान अप्रणेश विव	4 4 31-41-1 (1017 XI EG) - 41 (1/10 10 10 10 1)
1. जीएसटीआईएन/अंनितम पहचान	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवंग < निम्नलिखित में से च	ययन करं>
	04 120
(i) सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के वि विनिर्माता	ानमाताआ स भिन्न
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट	प्रदाय करने वाले
प्रदायकर्ता	
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदा	
6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम के विकल्प का लि	निया गया है
7. अधिकारिता केन्द्र	राज्य
8. घोषणा –	
मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वीक्त कारबार में धारा 10	के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और
निर्बंधनों का पालन करूँगा ।	
9. सत्यापन	
। मैं सत	त्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें
ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास	में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं
गई है ।	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
	नाम
स्थान	VII-1
तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02

[नियम 3(2) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रजापना (प्रशमन उदग्रहण) (अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन					
2. विधिक नाम					
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो					
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता					
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रर्वग < निम्नलिखित में से चयन क	₹> .				
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए	रं विशि	नेर्माताओं से वि	भेन्न		
	•, •-••				
विनिर्माता			İ		
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय	करने	वाले प्रदायक	र्ग		
the second secon					
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्त					
6. वित्तीय वर्ष जिससे प्रशमन स्कीम के विकल्प का लिया ग	या है		_	·	· ·
7. अधिकारिता केन	द्र		राज्य		
8. घोषणा –					
मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अध	भीन व	कर के संदाय	के लिए	विनिर्दिष्ट	शर्ती और
निर्बधनों का पालन करूँगा ।					
9. सत्यापन					-
मैं सत्यिनष्ट	ज से	प्रतिज्ञान और	घोषण	। करता हूं	कि इसमें
ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य	औरः	मही है और इर	समें कोई	बात छिपा	ई नहीं गई
है।			•		
		प्राधिकृत हर	ताक्षरक	र्ता के हस्ता	त्तर
		न	ाम		
स्थान					
तारीख			पदनाः	म/प्रास्थिति	

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-03 [नियम 3(4) देखें]

प्रशमन उदग्रहण के विकल्प की तारीख को स्टॉक के न्यौरों की प्रज्ञापना (केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रव्रजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन		
2. विधिक नाम		
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए फाइल	(i) आवेदन संदर्भ संर	झ्या (एआरएन)
किए गए आवेदन के ब्यौरे	(ii) फाइल करने की	तारीख
6. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य

7. विद्यमान विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम	जीएसटीआईए	प्रदायर्ता का	बिल/बी	तारीख	स्टॉक का	मूल्य	केन्द्रीय	सेवा-कर	कुल
सं0	न/टीआईएन	नाम	जक सं0		मूल्य	वर्धित	उत्पाद-	(यदि	योग
						कर	शुल्क	लागू हो)	
						(ਬੈਟ)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-							
2									
कुल योग									

8. विद्यमान विधि के अधीन अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से किए गए क्रय का स्टॉक

क्रम	अरजिस्ट्रीकृत	पता	बिल/बीज	तारीख	स्टॉक ः	का	मूल्य	केन्द्रीय	सेवा-कर	कुल
सं0	व्यक्ति का		क सं0		मूल्य		वर्धित	उत्पाद-	(यदि	योग
	नाम						कर	शुल्क	लागू हो)	
							(वैट)			
1	2	3	4	5	(5	7	8	9	
1										
	<u></u>	1	1 .	<u> </u>	1		1			1
2										
कुल योग										
		<u> </u>		1				_1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9. संदत	त कर के ब्यौर	विवरण		केन्द्रीय	कर	٠ .	कर/संघ त्र कर			
		रकम								
	•	विकलन प्र	विष्टि सं0							
10. सत्य	ापन									
में				सत्य	निष्ठा से	प्रतिज्ञ	ान और	घोषणा क	रता हूं वि	
इसमें उ	पर दी गई सूचन नहीं गई है ।	ना मेरे सर्वो	त्तम ज्ञान							
			• •			प्राधि	कृत हस्ता	क्षरकर्ता वे	हस्ताक्षर	
स्थान तारीख							नाम	ा पदनाम/प्रा	स्थिति	

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-04

[नियम 6(2) देखें]

प्रशमन उदग्रहण से प्रत्याहण के लिए प्रजापना/आवेदन

1. जीएसटीआईएन	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवंग	
(iv) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए	
जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	
(v) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट	
प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	
(vi) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य	
प्रदायकर्ता	
6. कारबार की प्रकृति	
7. तारीख जिससे प्रशमन स्कीम से प्रत्याहण की ईप्सा की व	गई है दिन मास वर्ष
8. अधिकारिता केन्द्र	राज्य
9. प्रशमन स्कीम से प्रत्याह्रण के कारण	
10. सत्यापन	
में सत्यनि	ष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें
ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में स	
गई है।	
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
	नाम
स्थान	
तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

टिप्पणः उस तारीख से, जिससे प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01 में प्रशमन विकल्प का प्रत्याहण किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण दिया जा सकेगा।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05 [नियम 6(4) देखें]

संदर्भ सं0 << ... >>

<< तारीख >>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प की प्रत्याख्यान के लिए

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन प्रशमन स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शताँ और निर्वधनों का उल्लघंन किया है । अत: मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन संदाय के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूं । :-

2

? आपको इस सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का निदेश दिया जाता है।

? आपको दिन/मास/वर्ष कोबजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है। यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

स्थान तारीख

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -06 [नियम 6(5 देखें)] कारण बताओ सूचना का उत्तर

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओ सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं0
		तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजो की सूची	
8.	सत्यापन	मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विशवास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं
		गई है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
		तारीख स्थान

टिप्पण -

- 1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप से अपलोड किया जाए ।
- 2. समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी-07 [नियम 6(6) देखें)]

सेवा में जीएसटीआईएन नाम पता आवेदन संदर्भ सं0 (एआरएन) तारीख — कारण बताओ सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश यह संदर्भ संख्या	संदर्भ सं0 <<>>		<< तारीख >>	
नाम पता आवेदन संदर्भ सं0 (एआरएन) तारीख — कारण बताओं सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश यह संदर्भ संख्या	सेवा में			
कारण बताओ स्वना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंज्र करने के लिए आदेश यह संदर्भ संख्या	नाम			
यह संदर्भ संख्या	आवेदन संदर्भ सं0 (एआर	.एन) त	ारीख –	
किए गए आपके तारीख	कारण बताउ	में सूधना के उत्तर को र	न्वीकार कर <i>ने।नामं</i> जूर	करने के लिए आदेश
□ आप सुनवाई के लिए नियत तारीख हाजिर नहीं हुए हैं । अत: निम्नलिखित कारणों से << तारीख >> से प्रशमन स्कीम के अधीन आपके कर संदाय के विकल्प का प्रत्याख्यान किया जाता है :	किए गए आपके तारीख उसे समाधानप्रद रूप में जारी रखा जाएगा । उक्त यह संदर्भ संख्या किए गए आपके तारीख उसे समाधानप्रद रूप में का निम्नलिखित कारणों	ब के उत्तर वे पाया गया है और अतः त कारण बताओ सूचना तारीख वे ब के उत्तर नहीं पाया गया है और से << >> से प्रत्याख	क संदर्भ में है । आप , प्रशमन स्कीम के रद्द की जाती है । या वारा जारी कारण बत के संदर्भ में है । आप अत:, प्रशमन स्कीम त्यान किया जाता है	मके उत्तर की परीक्षा की गई और अधीन कर संदाय के विकल्प को ताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल मके उत्तर की परीक्षा की गई और के अधीन कर संदाय के विकल्प ।
 का प्रत्याख्यान किया जाता है : << पाठ >> तारीख नाम स्थान पदनाम 	· ·	·		हें; या
तारीख उचित अधिकारी का नाम स्थान पदनाम		ाता है :		धीन आपके कर संदाय के विकल्प
	नाम			उचित अधिकारी का पदनाम

प्ररूप जीएसटी आरईजी -01 [नियम 8(1) देखें)] रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्यन सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति)

भाग – क

			राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 🗸 🏻 जिला -	∇	
(i)	कारबार का विधिक नाम:				
•	(यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख	या)			
(ii)	स्थायी लेखा संख्यांक:				
	(कारबार का स्थायी लेखा संख्यांव संख्यांक प्रविष्ट करें)	क; स्वत्व	वधारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा		
(iii)	ई-मेल पता:				
(iv)	मोबाइल संख्या :				
1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		भाग-ख		
2.	कारबार का गठन (समुचित क	ा चयन	करें)	· · ·	
(i) ;	स्वत्वधारी	?			
(-)	, ,, , ,, ,,	1.	(ii) भागीदारी		?
	हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	?	(ii) आगदारा (iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी		?
(iii)					
(iii) (v)	हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	?	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी		?
(iii) (v) (vii)	हिंदु अविभक्त कुटुम्ब पब्लिक लिमिटेड कंपनी	?	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी (vi) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम		?

(xiii) विदेशी	सीमित दायित्व भागीदारी	? (xiv) रजि	स्ट्रिकृत विदेशी	कंपनी (भा	रत में)			?			
(xv) अन्य	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?						?			
3.	राज्य का नाम	A		जिला			۵				
4.	अधिकारिता	राज्य			<u></u>	केन्द्र					
		सैक्टर, सर्कल,	दे		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		अन्य (विनिर्दिष	ट करें)								
5.	प्रशमन के लिए विकल्प	हां ? न	हीं ?								
6. प्र	शमन की घोषणा	. ! 									
·	.सँ यह घोषणा करता हूं कि पू	र्वोक्त कारबार में	अधिनियम में '	विनिर्दिष्टः	थर्ती और वि	नेर्बधनों का र	या प्रशमन	न स्कीम			
के अधीन	कर संदाय के विकल्प के लिए										
6.1 रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < चैकबॉक्स में चिन्हित करें>											
(i)	ऐसे माल के, जो सरकार द्व	गरा [ँ] अधिसूचित	किए जाएं, जि	सके लिए	विकल्प उ	पलब्ध नहीं	₹,				
	विनिर्माताओं से भिन्न विनि	र्माता		*							
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता											
(iii) प्रशमन उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता ।											
7.	7. कारबार के प्रारंभ की तारीख				दिन/मास/वर्ष						
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए है	को रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भत हुआ			दिन/मास/वर्ष						
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधे	य व्यक्ति के रूप	में	हां _		नहीं					
	रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन		`	J							
10.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का	चयन किया गया	社		तक						
	अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीव	नरण अपेक्षित है	दिन/मास	/वर्ष	दिन/मास/वर्ष						
11.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का	चयन किया गया	है तो रजिस्ट्रीक	रण की अव	ाधि के दौर	ान प्राक्कलित	प्रदायों	और			
	प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व							-			
क्रम सं0	कर का प्रकार	τ .	ř)		शुद्ध कर दायित्व (रुपए मैं)						
(i)	एकीकृत कर										
(ii)	केन्द्रीय कर			:							
(iii)	राज्य कर			,							

(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर							
(v)	उपकर		· ·					
	कुल योग							
	संदाय के ब्यौरे	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	चालान पहचान संख्यांक	तारीख		रकम				
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है?		į ξi □	नहीं 🗆				
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें				∇			
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारी	<u> </u>						
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम							
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है?	रूप में	हां 🗆	नहीं 🗆				
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का	चयन करें			∇			
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारी	<u></u>						
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम							
14.	रजिस्ट्रिकरण अभिप्राप्त करने का कारण:							
	(i) सीमारेखन	1	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रिकृत व्यक्तियों का विलियन /समामेलन					
	(ii) अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix) \$	(ix) इनपुट सेवा वितरक					
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं वे प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व ।		(x) धारा 9(5) के अधीन कर संदाय के लिए दायी व्यक्ति					
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रिवृ अस्तित्व नहीं है)	1 ' ' '	(xi) ई-कार्मस पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला कराधेय व्यक्ति					
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रिकृत अस्तित्व नहीं है)		(xii) स्वैच्छिक आधार					
	(vi) निर्विलयन		(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति					
	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) 3	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें					
15.	विद्यमान रजिस्ट्रिकरण उपदर्शित करें जहां कहीं ल	गम् हों ।						

मूल्य वर्धित कर के अधीन र	जिस्ट्रीकरण संख्यांक					
केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीक	त्रण संख्यांक					
प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्य	यांक					
मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण	संख्यांक					
होटल और विलासिता रजिस्त	ट्रीकरण संख्यांक					
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्री	करण संख्यांक					
सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्यां	क					
कारपोरेट पहचान संख्यांक/वि	दिशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संस	ज्यांक				
सीमित दायित्व भागीदारी पह	चान संख्यांक/विदेशी सीमित	दायित्व				
भागीदारी पहचान संख्यांक						
Authority afraist disease.				·		
आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड	संख्यांक		•			
चिकित्सीय और प्रसाधन निर्व	र्मेति (उत्पाद-शल्क) अधिनिय	म के	·			
अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	-	•				
दुकानों और संस्थापन अधिन	नेयम के अधीन रजिस्ट्रीकरण	संख्यांक	•			
अस्थायी पहचान, यदि कोई	हो					
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						· .
16. (क) कारबार के मु	ड्य स्थान का पता					
भवन सं0/फ्लैट सं0			तल सं0			
परिसर/भवन का नाम			सड़क/गली			
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव			जिला		<u> </u>	
तालुक/ब्लॉक		·				·
राज्य		·	पिन कोड			
अक्षांतर			देशांतर			
(ख) संपर्क सूचना	:					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय	दूरभाष संख्या	एसटीडी		
मोबाईल संख्या		कार्यालय	फैक्स संख्या	एसटीडी		

अर्जन	पट्ट	ा		किराप	र पर		सह	मिति		हिस	सेदार		अन्य	(कृपर	या विशि करें)	नेदिष्
य) ऊपर वर्णित परि	। रसर पर किए	जा रहे	कारबा	र के ब्रि	न्याक ल	गर्पो र्व	ो प्रकृति	ते (जो	लाग्	हों	कृपय	3 ={	चिवि	न्हत व	करें)	
क्टरी/विनिर्माण		?	थोव	न कारब	ार		?	•	खुदर	ा का	रबार				:	?
गंडागार/डिपो		?	बंधि	ात भांड	गार		?		सेवा	ओं वे	, प्रद	ायकर	र्ग			?
गर्यालय/विक्रय का	र्यालय	?	पट्व	टा कार	बार		?		माल	या	सेवाउ	भों क	प्रापि	तकर्ता	7	?
ओयू/एसटीपी/ईएच	टीपी	?	संक	र्म संवि	दा		?		निय	त		·				?
भायात _.		?		य (कृपर नेर्दिष्ट			?									
7. बैंक खाता (खात	ii) का ब्यौरा	_l·	. !						. ,							
कारबार चलाने के (10 बैंक खातों त	क की रिपोर्ट			ए बैंक	खातों :	की कुर	न संख्य	ग								
खाता संख्या]		·	-			 	T	T		_	T	1	-
खाते का प्रकार			<u> </u>			-	आईए	फएस	सी				<u> </u>			
बैंक का नाम										•						
		·					दित वि									-

18. कारबार द्वारा प्रदायित माल का ब्यौरा

क्रम	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
सं0		
(i)		
(ii)		
•••		
(v)		

19. कारबार द्वारा प्रदायित सेवाओं का ब्यौरा ।

कृपया 5 उच्च श्रेणी की	सेवाओं को विनिर्दिष	ट करें				•		
क्रम सेवओं का विव	रण		एच	ाएसएन कोड (चार	अंको में))		
सं0								ŧ
(i)								
(ii)								
•••						·		
(v)								
0. कारबार के अतिरिक्त	स्थान (स्थानॉ) का	ब्यौरा				-		
अतिरिक्त स्थानों की संख	झा							
रिसर 1	<u> </u>							
(क) कारबार के अतिर्रि	रेक्त स्थानों का ब्यं	ौरा		•				
भवन सं0/फ्लैट सं0				तल सं0				
परिसर/भवन का नाम				सड़क/गली				
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव				जिला				
तालुक/ब्लॉक								
राज्य				पिन कोड				TT
अक्षांष				देशांतर			!	<u></u>
(ख) संपर्क सूचना	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
(अ) सामग सूमगा					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·		
कार्यालय ई-मेल पता			कार्यात	नय दूरभाष संख्या		एसटीडी		
मोबाईल संख्या			कार्यात	नय फैक्स संख्या		एसटीडी		-
(ग) परिसर की प्रकृति								
अर्जन	पट्टा	किराए पर		सहमति	हिर	सेदार	अन्य (विनिर्दिष	-
(घ) ऊपर वर्णित परिसर	पर किए जा रहे क	ारबार के क्रिया	कलापों	की प्रकृति (जो लाग्	्हों कृप	या उन्हें वि	विन्हित करें)
केन्द्र रे विकिर्णा	?	थोक कारबा		? ख	दरा कार	बार		?

भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के प्रदायकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा ।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
नाम				
फोटो				
पिता का नाम				
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,स्त्री,अ	न्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं0 एसटीडी सहित				
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्यांक	(यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या		
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	' '	पासपोर्ट संख्या (विदेशी दशा में)	नागरिक की	
आवासीय पता				
भवन सं0/फ्लैट सं0		तल सं0		
परिसर/भवन का नाम		सइक/गली		
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला		
ब्लॉक/तालुक				
राज्य		पिन कोड		
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड		

	22.		प्राधिकृत हर	ताक्षरी का ब्यौरा			
	प्राथमिक प्राधिकृत हस्ता हस्ताक्षरी सं0 1 का ब्य		बॉक्स 🗀	.			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम		अंतिम ना	म्	
	नाम						
	फोटो	·					
	पिता का नाम						
	जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग		<पुरुष,स्त्री,	अन्य>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	•			
		<u> </u>					
	टेलीफोन नंबर,			• •			
	एसटीडी के साथ				· · · · · ·		
-	पदनाम/प्रास्थिति			निदेशक पहच (यदि कोई हो			
	स्थायी खाता संख्या			आधार संख्या			·
	क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नही		पासपोर्ट नंबर के मामलें में)			
Э Т	ारत में आवासीय पता						
ਸ	कान नंबर/ फ्लैट नंबर		तल नंबर				
<u>Ч</u>	रिसर /मकान का नाम		सड़क/ गर्ल	ो	:		
<u>C</u>	लाक /तालुका			·	•		
,	हर/ नगर /मुहल्ला/ गम		जिला				
₹	ाज्य		पिन कोड				

23.

प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

नामांकन आई डी, यदि			
उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरें दे, यदि	अभ्यावेशन आई	डी उपलब्ध न हो	
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता			
संख्या उपलब्ध न हो			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम/प्रास्थिति			
मोबाइल नंबर			
ई मेल पता			
टेलीफोन नंबर, एस टी डी		फैक्स नंबर, एस	ा टी
के साथ		डी के साथ	

24. विनिर्दिष्ट सूचना का विवरण दें

वृतिक कर नामांकन कोड संख्या

वृतिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुजप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुजप्ति है

<i>(</i> क)	क्षत्र
(ख)	क्षेत्र 1
(ग)	
(ঘ)	
(로)	क्षेत्र

25.

दस्तावेज अपलोड करना

प्ररुप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है ।

26.

1.

सहमति

मैं आधार संख्या के धारक की और से < प्ररुप में दिये गए आधार संख्यां के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमति देता हूं । माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा ।

सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)

में एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचनी मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का
नाम	
तारीख	पदनाम /
प्रास्थिति	

- अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:--फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है)
 - (क) स्वत्वधारी समुत्यान स्वत्वधारी
 - (ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी प्रबंध/प्राधिकृत/अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरें प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्त्त की जाएगी)
 - (ग) हिंदू अविभक्त क्ट्ंब कर्ता
 - (घ) कंपनी प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति

- (ङ) न्यास प्रबंध न्यासी
- (च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरें प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएंगी)
- (छ) स्थानीय प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य
- (ज) कानूनी निकाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य
- (झ) अन्य भारसाधक व्यक्ति
- 2. कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण।
- 3. कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :
 - (क) स्वयं के परिसर के लिए--

परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति ।

(ख) आड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए--

पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए-

सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेयर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे ।

- (घ) भाई पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के साथ उस प्रभाव का शपथपत्र ।
- (ङ) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है।
- 4. बैंक खाते से संबंधित प्रमाण :

बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं0,

	एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और व	होड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन					
	प्रति ।	प्रति ।					
5.	प्राधिकारपत्र प्ररूप :						
	भावेदन एवं में मुख्यिकत प्रत्येक प्रशिकत हम	आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक					
	बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नी						
	•	•					
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक						
	भागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक	निदर्शक/सर्गम का प्रबंध सामात/ट्रस्टा बाउ क					
	सदस्य आदि)						
	मैं/हम(नाम)						
	व्यक्ति का	नाम) का					
		- भिक्रमांगा की गर्वेश मिनियमी बोर्ट					
		क निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड					
	के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि << प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम) >> को संकल्प सं0 तारीख						
	द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), << माल और सेवा कर पहचान संख्यांक - कारबार का नाम						
	>>, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन						
	फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया						
	गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे ।						
		रने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर					
	नाम : प्रास्थिति/पदनाम :						
		कारबार अस्तित्व का नाम)					
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति	H1					
	मैं << (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) >>	• उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत					
		अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य					
	कारबार पर आबद्धकर होंगे ।						
	स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर					
	तारीख:	(नाम)					
	(IIXIO)	पदनाम/प्रास्थिति :					
		भद्रमाम/आस्पातः					

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- 1. व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे । स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यांक अल्लिखित करे । स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा ।
- 2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
- 3. कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्त्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है।
- 4. निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं :--

व्यक्ति, जो आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर
सकते है
स्वत्वधारी
प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
कर्ता
प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
प्रबंध समिति के सदस्य
भारसाधक व्यक्ति
प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पदाभिहित भागीदार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
भारत में प्राधिकृत व्यक्ति

अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

भारसाधक व्यक्ति

- 5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है । यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।
- 6. राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है।
- 7. नीचे वर्णित व्यक्तियाँ द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :--

क्रम सं0	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
·	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	(डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक
	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	
	असीमित कंपनी	
	सीमित दायित्व भागीदारी	
	विदेशी कंपनी	
	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र
		(डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक
		ई-हस्ताक्षर
		या
		कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित
		किया जाए ।

- 8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्यांक, चालान पहचान संख्यांक से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित किया जाएगा ।
- 9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रास्थिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है ।
- 10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
- 11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।
- 12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा ।
- 13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात, रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्यांक (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अस्थायी संदर्भ संख्यांक सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अविध के लिए उपलब्ध रहेगा ।

15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी -2

(नियम 8(5) देखें)

अभिस्वीकृति

आवेदन निदेश संख्या

आपने आवेदन सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टियां

निम्नानुसार है :

फाइल करने की तारीख:

फाइल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता:

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

स्थायी निदश संख्या, यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :

तारीख:

रकम:

यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की अवश्यकता नहीं है :

*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू

जी.एस.टी. आरईजी -3 प्ररूप

(नियम 9(2) देखें)

निदेश संख्या

तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता.

माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो) आवेदन निदेश संख्या

> अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए आवेदन से संबंधित

यह आपके एआरएन	तारीख	द्वारा फाइल किए गए
रजिस्ट्रीकरण/ संशोधन/	रद्दीकरण के लिए आवेदन	के निदेश अनुसार है। विभाग ने
आपके आवेदन की परीक्ष	ता की है और निम्नलिखित	कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1. 2.

3.

? आप तारीख तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते

? आप तारीख को समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं।

यदि निर्धारित तारीख तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा।

कृपा नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारिता

*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी -04 (नियम 9(2) देखें)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दीकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि				,
	लागू हो				
4.	कारबार का नाम				
	(विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि				
	कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या				हां ?
	फील्ड के लिए आवेदन				नहीं ?
	में कोई उपांतरण				(एक पर
	अपेक्षित है				निशान
		,			लगाएं)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए			·	
	दस्तावेजों की सूची				
10	सत्यापन				
	मैं			निष्ठा से प्रति	
	और घोषित करता हूं	कि ऊपर दी गः	ई जानकारी मेरे	सर्वोत ज्ञान 3	भौर विश्वास से
	सत्य और सही है और	उसमें कुछ भी वि	छेपाया नहीं गय	ा है ।	
				प्राधिकृत हस्ताक्ष	ारी के हस्ताक्षर
					नाम
				पट	द नाम/प्रास्थिति
	स्थान :	- 1			
	तारीख:				

टिप्पण :

- 1. नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुने ।
- 2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन रीति में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुने ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी -05

(नियम 9(4) देखें)

निदेश संख्या:

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रददीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जबाव के निदेश अनुसार है । विभाग ने आपके जबाव की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

1.

2. 3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

या

आपने निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जबाव उसस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है । इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

> हस्ताक्षर नाम पद नाम अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी -06 (नियम 10(1) देखे) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यूआई एन)

- 1. विधिक नाम
- 2. व्यापार नाम, यदि कोई हो
- 3. कारबार का गठन
- 4. कारबार के मूल स्थान का पता

5. दायित्व की तारीख

दिन/माह/वर्ष

6. विधिमान्यता की अवधि

दिन/माह/वर्ष से

दिन/माह/वर्ष तक

(आकस्मिक कराधेय व्यक्ति

या अनिवासी कराधेय व्यक्ति मामले में केवल

लागू)

- 7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
- 8. अनुमोदन प्राधिकारी की विशिष्टियां

. केन्द्र

राज्य

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख टिप्पण – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

उपाबंध क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के न्यौरे

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक विधिक नाम व्यापार नाम,यदि कोई हो राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं.

पता

1

2

3

उपाबंध ख

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगर्मों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि 1. फोटो

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

2. फोटो

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

3. फोटो

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

4. फोटो

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

5. फोटो

नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

6. फोटो

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

7. फोटो

नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

८. फोटो

नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

9. फोटो

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

राज्य का निवासी

10. फोटो

नाम

पदनाम /प्रास्थिति

राज्य का निवासी

प्ररूप जीएसटी आरईजी -07 (नियम 12 (1) देंखे)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रिजस्ट्रीकरण की संख्या

भाग क

- (i) कर कटौतीकर्ता या कर कलक्टर का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)
- (ii) स्थायी लेखा संख्या
- (iii) (कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरें संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में व्यष्टिक स्थायी लेखा संख्या
- (iv) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या

(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है।

- (v) ई-मेल पता
- (vi) मोबाइल पता

टिप्पण – भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के आन लाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है ।

भाग ख

- 1. व्यापार का नाम,यदि कोई हो
- 2. कारबार का गठन (सम्चित चयन करें)
- (i) स्वत्वधारी ?
- (ii) भागीदारी ?
- (iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब ?
- (iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ?
- (v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी
- (vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम?
- (vii) सरकारी विभाग ?
- (viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ?
- (ix) असीमित कंपनी ?
- (x) सीमित दायित्व भागीदारी ?
- (xi) स्थानीय प्राधिकारी ?
- (xii) कानूनी निकाय ?

(xiii) विदेशी सीमित दायित्व	भागीदारी ?		
(xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंप	ानी (भारत में)	?	
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट	ट करें) ?		•
3. राज्य का नाम			जिला
	•		
4.अधिकारिता	ग्रान्य		केन्द
4,311444113(1)	1107		71

सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट

	इत्यादि	
5	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	कर कटौतीकर्ता कर कसक्टर
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	केन्द्र 🔘 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र 🔾

7.	कर की कटौती करने/संग्रहीत करने के	तारीख/मास	/वर्ष	
	दायित्व की तारीख			
8.	(क) कारबार के मूल स्थान का पता			
भवन स	रं.∕फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/	भवन का नाम		मार्ग/गली	
शहर/न	गर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
ब्लॉक/त	तालुका			
देशान्त	₹		अक्षांश	
राज्य			पिन कोड	
(ख) सं	पर्क सूचना			
कार्याल	य ई-मेल पता	कार्यालय दे	लीफोन नं.	
मोबाइर	ल नं.	कार्यालय रै	क्स नं.	
(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति			

	स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया	किराये पर दिया गया	सहमति	साझा की हुई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
					नहीं <u></u>	1
9.	1	ज्य में मान और सेवा अन्य रजिस्ट्रीकरण	हां		जहा <u>्</u>	
10	यदि हां, मान और संख्या का उल्लेख					
11	यदि लाग् हों	र्ता निर्यातकर्ता कोड),				
12	कर कटौती करने/व	कर संग्रह करने के लिए उ	उत्तरदायी डीडीओ	(आहरण और	संवितरण अधि	कारी)/व्यक्ति के क्यौरे
विशिष्टि	इयां इयां					
नाम		प्रथम नाम		मध्य नाम		अन्तिम नाम
पिता व	ज नाम					
फोटो						
जन्म ।	की तारीख	तारीख/मास/व	ৰ্ষ	लिंग		<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइर	ਜ ਜਂ.		ई-मेल पता			
टेलीफो	न सं. एसटीडी सहित					
पदाभि	धान/प्रास्थिति		निदेशक पहच	ान संख्या (यदि	कोई हो)	
स्थायी	लेखा संख्याक		आधार संख्या	•		
क्या ३	भाप बाहर के नागरिक	हैं? हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (में)	विदेशी व्यक्तिय	ों के मामले	
निवार	र पता					
भवन	सं./फ्लैट सं.		तल सं.			
परिस	र/भवन का नाम		परिक्षेत्र/ग्राम	-		
राज्य			पिन कोड			
13.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी वे	. ब्यौरे				

विशिष्टयां	प्रथम नाम	ſ	मध्य ना	7	अन्तिम व	नाम		
नाम								
फोटो								
पिता का नाम								
जन्म की तारीख	तारीख/मा	स/वर्ष	लिंग		<पुरुष, स	त्री, अन्य>	•	
मोबाइल नं.			ई-मेल प	ता				
टेलिफोन नं. एसटीडी सहित								·
पदामिधान/पास्थिति					निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)			
स्थायी लेखा संख्यांक				आधार संख्या				
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं			पासपोर्ट सं.(वि व्यक्तियों के स				
विवस पता (भारत के भीत	τ)							_
वन सं./फ्नैट सं.	<u> </u>	<u> </u>		तल सं.				
रिसर/भवन का नाम				मार्ग/गली		-		
हर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम				जिला				
ा ज्य				पिन कोड				
लॉक/तालुका								
टिप्पण-अतिरिक्त तिखें		<u> </u>				•		
					-			

प्रयोजन के लिए आरतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमित देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।

15.

सत्यापन

मैं सत्य निष्ठा से यह प्रतिज्ञा करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें उपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्म जान और विश्वास के अनुसार सत्य और सड़ी है।

(हस्ताक्षर)

स्थान:

कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी/ब्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख

(पदनाम)

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या स्थानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

कारबार के मूल स्थान का सबूत:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए-

नवीनतम संपति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या विजली के बिल की प्रति।

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए-

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए-

नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपतियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।

- (घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।
- (ङ) यदि कारबार का मूल स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीक्रता/कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

- 1. कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।
- 2. सत्यापन और भावी संस्चना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- 3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप कार् कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।
- 4. अधोमिखित व्यक्तियों द्वारा फाइन किया गया आवेदन डिजिटन रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल इस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	
	पब्लिक सेक्टर उपक्रम	
	अपरिसीमित कंपनी	
	सीमित दायित्व भागीदारी	
	विदेशी कंपनी	
	विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई- हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो
		अधिस्चित किया जाए

- 5. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
- 6. ऑननाइन फाइन किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
- 7. रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।
- 8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -08 [नियम 12(3) देखें]

संदर्भ सं.	तारीखः
सेवा में	
नामः	
पताः	
आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर)	तारीखः
स्रोत कर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर	कर कलक्टर के रूप में पंजीयन के रद्दकरण का आदेश
यह अधिनियम के अधीन पंजीयन के	रद्दकरण के लिए संदर्भ संख्या, तारीख द्वारा
जारी कारण बताओं सूचना के संदर्भ में है	η
□चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति व	होई उत्तर फाइल नहीं किया गया है
	को आप हाजिर नहीं हुए
🔠 चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति	आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की
जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह	राय है कि आपका पंजीयन निम्निसिखत कारण (कारणाँ) के
लिए रद्द किया जा सकता है।	
1. 2.	
यः पंजीयन के रद्दकरण की प्रभावी तारीख	' <<तारीख/मास/वर्ष >>.
आपको (तारीख) को या इससे प	महले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया
जाता है जिसके न हो सकने पर रकम	। अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के
अनुसार वसूल की जाएगी।	
(यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपल	ान्ध है)

शीर्च	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षर नाम पदनाम अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी -09 नियम 13(1) देखें/

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पंजीयन के लिए आवेदन

<u>भाग-क</u>

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - जिला -

-m T	
(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का मेखा संख्यांक, यदि कोई हो
(iii)	पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा
	अस्तित्य की पहचान की जाती है
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्यांक
(vii)	प्राधिकृत इस्ताक्षरी का ई-मेल पता
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)
	 ग - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के धीन है।

<u>भाग-ख</u>

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के क्याँरे (आरत का निवासी होना चाहिए)					
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम			
	फोटो					
	लिंग		पुरूष/स्त्री/अन्य			
	पदाभिधान					
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष			

· N										
7,	पिता का नाम									
	राष्ट्रीयता		-							
	आधार									
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता			पता पंति	न्ति 1					
				पता पंति	ति 2	-				
				पता पंक्ति 3						
	वह अवधि, जिसके लिए		से	तक						
2.	पंजीयन अपेक्षित है		ख/मास/वर्ष	†		तारी	ख/मास/वर्ष			
			आवर्त (रुपये)	प्राक्कि	ात कर	दायित्व (शुद				
3	आवर्त के म्यार	राज्य के शीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर		
	उद्भव के देश में अनिवासी	कराधेय व्यक्ति	ा का पता	<u> </u>	L					
	(कारबार अस्तित्व के मामर्									
	पता पक्ति 1									
	पता पक्ति 2			-						
4	पता पक्ति 3									
-	देश (ड्रॉप डाउन)	. •						•		
	जिप कोड									
	ई-मेल पता						·			
	टेलिफोन नं.									
	भारत में कारबार के मूल	स्थान का पता								
	भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.							
	परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गर्ल	ì						
5	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र		जिला							
	ब्लॉक/तालुका									
	देशांतर		अक्षांश							
1	I									

	राज्य		पिन कोड टेलीफोन नं.				
	मोबाइल नं.						
	ई-मेल पता		फैक्स नं. एसटीडी सहित				
	भारत में बैंक खाते के न्यौरे						
	नेखा संख्या		लेखा का प्रकार				
	बैंक का नाम	शाखा का पता		आईएफएससी			
	अपलोड किए गए दस	तावेज					
	प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व	के अनुसार अपलोड किए र	जाने वासे अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेः	श देखें) की अनुकूस स्ची			
	घोषणा मैं मत्य निष्ठा से प्र	तिज्ञान करता और घोषणा	करता हूं कि इसमें उपर दी गई जा				
	घोषणा मैं मत्य निष्ठा से प्र		करता हूं कि इसमें उपर दी गई जा				
8	घोषणा मैं मत्य निष्ठा से प्र	तिज्ञान करता और घोषणा	करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जान ात नहीं छिपाई गई है।	नकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वा			

टिप्पणः अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है। साझ्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

मूल कारबार के स्थान का सब्तः
 (क) स्वयं के परिसरों के लिए —
 परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति
 (ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए —
 नवीनतम संपति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।
 (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए —
 नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित की प्रति जैसे नहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपतियां

	के निए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।
2.	अनिवासी कराधेय व्यक्ति के सबूतः
	बीजा के क्याँरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्स की स्कैन की गई प्रति। भारत
	से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में पंजीयन के लिए आवेदन
	उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार
	द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हाँ,
3	के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बैंक खाता सम्बद्ध सब्तः
	बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या
	स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी
4	और कोड सहित शास्त्रा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति। प्राधिकार प्ररूप:-
4	
	आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत इस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखि रूप विधान में
	फाइस की जाने वासी प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकरूप के
	प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड
	आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य) मैं/हम(नाम) जो(रजिस्ट्रीकृत
2 2	व्यक्ति का नाम) के (भागोदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड
	आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि
	<<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (प्रास्थिति/पदािभधान)>> कारबार<<मान और सेवा कर
	पहचान संख्या - कारबार का नाम >> जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन पंजीयन के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए
	संकल्प संख्या तारीख(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया
	जाता है। इस कारबार के सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे
	हस्ताक्षर
	नामः
	पदनाम/प्रास्थितिः
	(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति
	मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)>> सत्य निष्ठा से उपर निर्दिष्ट कारबार के लिए
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी
	कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।
	प्राधिकृत इस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

पताः	
तारीखः	
	पदनाम/प्रास्थितिः

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश-

- पासपोर्ट में यथा अमिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
- 2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
- 3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइन नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग - ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वासे वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- 4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिकनिदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षिरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में घोषित करता है।
- 5. अधोलिखित व्यक्तियाँ द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पिन्निक लिमिटेड कंपनी पिन्निक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से झिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिस्चित किया जाए

- 6. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई स्चना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
- 7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
- 8. पंजीयन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।
- 9. प्राधिकृत हस्ताक्षरी आरतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

प्ररूप जीएसटी आरईजी -10 [नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से जिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्त सेवाओं के पंजीयन के लिए आवेदन

<u> आग-क</u>

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र - जिला

(i)	ड्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	व्यक्ति का शेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत इस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
	 ग - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑव थीन है।	नलाइन सत्यापन के

<u>भाग-ख</u>

प्रााचकृत हस्ताक्षरा	के ब्यौर (भारत का निवासी ।	11-11/
प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
फोटो	·	
लिंग		पुरुष/स्त्री/अन्य
पदामिधान		
जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष
पिता का नाम		
राष्ट्रीयता		

·										
	आधार, यदि कोई हो	Ì	1							
				पता पंक्ति 1						
							l			
		er va								
	प्राधिकृत इस्ताक्षरी	का पता		पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 2					
				पता पंक्ति 3						
2.	भारत में ऑनलाइन	सेवा के प्रारम	भ की तारीख	तारीख/मास/व	f					
	वेबसाइट, जिसके म	ाध्यम से कराध	य सेवा उपलब्ध	कराई जाती हैं, के एव	क समान स्रोतः	अवस्थापक (यूअ	ासएस):			
3	1.									
	2. 3									
4	अधिकारिता		केन्द्र			•	·			
	बैंक खाते के क्यौरे									
	41. 41. 41.									
5	खाता सं.			खाता का प्रकार	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	वैंक का नाम		शाखा का पता			आइएफएससी	<i>1</i>			
	अपलोड की गई दर		<u>. </u>							
6	प्ररूप में क्षेत्रीय मह	हत्व के अनुसार	अपलोड किए जा	ने वाले अपेक्षित दस्त	ावेजों (अनुदेश दे	रेखें) की अनुक्ल	स्ची			
				घोषणा						
	में सत्य निष्ठा से	प्रतिज्ञान कर	ता और घोषणा व	करता हूं कि इसमें उ	इपर दी गई ज	ानकारी मेरे सव	तिम ज्ञान और			
	विश्वास के अनुसार	र सत्य और स	ही है तथा इससे व	होई बात नहीं छिपाई	गई है।					
	भैं यह छोड़ा	ग करता हं कि	में रजिस्टरकर्ता व	ति ओर से हस्ताक्षर	करने के लिए प्र	ाधिकृत हूं। मैं ब	हराधेय राज्यक्षेत्र			
	में अवस्थित गैर-वि	नेधीरिती ऑनल	ाइन प्राप्तिकर्ता र	दायी से कर प्रभारि	त करूंगा और र	संग्रहीत करूंगा	और उसे सरकार			
7	में जमा करूंगा।									
						हस्ता	क्षर			
						. •				
	स्थान:				प्राधिकृत ह	हस्ताक्षरी का ना	ਸ [']			
	तारीख:				पदनाम :					

टिप्पणः आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

-	1.	भारत में कारबार के स्थान का सब्तः	

(क) स्वयं के परिसरों के लिए-नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज। (ख) किराए पर वा पट्टे पर लिए गए परिसरों के निए-नवीनतम संपति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति। (ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाने परिसरों के लिए--नगरपातिक खाता की प्रति या विजनी के विल की प्रति, जैसे सहमृतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपतियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए। 2. निम्नसिखित के सब्त: बीजा ब्योरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ड की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एकसीएनआर आदि के मामने में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है। निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है। उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति सरकार द्वारा जारी अनापति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति। 3 बैंक खाता सम्बद्ध सब्तः बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति। स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्याँर अन्तर्विष्ट हों। 4 पाधिकार प्ररूप:-प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्निलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रतिः प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) मैं(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए पंजीयन का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 20 के अधीन फाइल किया जा रहा है। रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> प्राधिकृत हूं। इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर हॉगी।

क्र. सं. पूरा नाम	पदाप्रिधान/प्रास्थिति	हस्ताक्षर
1.		
•		
प्राधिकृत इस्ताक्षरी के रूप में स	वीकृति	
* = = = = = = = = = = = = = = = =	गम>> उपर निर्दिष्ट कारबार के निए प्राधि	_{हित} हस्ताक्षरी के रूप में क
म <<(प्राथकृत हस्ताकारा का ग	Hate - And A total - State	
अपनी स्वीकृत हस्तावारा का न अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से वे	ता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आब	द्धकर होंगे।
म << प्रााधकृत हस्तावरा का न अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से दे	ता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आब	द्धकर होंगे।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -11 [नियम 15(1) देखें]

आकस्मिकांअनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा पंजीयन अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआइएन				<u></u>			
2.	नाम (विधिक)							
3.	व्यवसाय का नाम,	यदि कोई हो					-	
4.	पता			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
5.	विधिमान्यता की अवधि (मून)		से		तक तारीखामासावर्ष			
			तारीख/म	स/वर्ष				
6.	वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है		से			तक		
			तारीख/म		तारीख/मास/वर्ष			
7.	विस्तारित अविध के लिए आवर्त के न्यौरे (रूपये)		विस्तारित	अवधि के	लिए प्राक	क्रित कर	दायित्व	
			(शुद्ध) (रूप	थे)		·		
	अन्तर्राज्यीय	राज्य के भीतर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	उपकर	
				·	कर			
8.	संदाय के ड्याँर							
	तारीख	सीआइएन	बीआर	एन		रकम		
9.	घोषणा- में सत्य निष्ठा से	प्रतिज्ञान करता और घोषणा भनुसार सत्य और सही है तर	करता हूं कि इर ग इससे कोई बा	समें ऊपर ह त नहीं छिप	ी गई जानक गई गई है।	गरी मेरे सब	तिम ज्ञान	
	आर विस्वास के उ	ngth the one to the			तक्षर			
			प्राधिकृत हस्ताक्ष					
स्था		,		भधान/प्रास्थि				
तारी	ाख:		74110					

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

- 1. आवेदन विधिमान्यता की अविधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।
- 2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया जाता है।
- 3. सफल फाइल करने के पश्चात, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 12 [नियम 16(1)देखिए]

तारीख:

संदर्भ संख्या -		
सेवा में,		
(नाम):		
(पता):		
अस्थायी पंजीयन सं	ख्या	

अस्थायी पंजीयन /स्वप्रेरणा से पंजीयन अनुदत्त करने के लिए आदेश

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन पंजीयन करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर पंजीयन किया जाता है । कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

	उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी पंजीयन अन्	दुदत्त किया गया है
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	तिं ग	पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष
5.	व्यक्ति का भवन संख्या/फ्लैट संख्या पता मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम सड़क गली	
	शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम	
	ब्लॉक/तालुका जिला	
	राज्य पिन कोड	
6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो	
7.	मोबाइल नंबर	

8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो	
	(मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी पंजीयन के कारण	
11.	पंजीयन /अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख	
12.	पंजीयन संख्या/अस्थायी पहचान	

(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज का अपलोड किया जाना)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर समुचित पंजीयन के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है>>

हस्ताक्षर

स्थान

<< अधिकारी का नाम >>>>

तारीख:

पदनाम/अधिकारिता:

टिप्पण: आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 13 [नियम 17 (1) देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

भाग क

(i)	इकाई का नाम	·
(ii)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या	
(v)	प्राचिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेंल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	
<u> </u>	भाग ख	

इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	सयुक्त राष्ट्रं दूतावास अन्य व्यापत		
देश	•		
अधिसूचना के ब्यौरे	<u> </u>	अधिसूचना संख्या	तारीख
राज्य में इकाई का पता			
भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मं जिल	
परिसर/भवन का नाम	1	सड़क/ गली	
शहर/कस्बा/गाँव		जिला	
ब्लॉक/तालुका			
अक्षांश		देशान्तर	
राज्य		पिन कोड	
संपर्क के लिए जानकारी			
ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	
फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य
मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
टेलीफ़ोन नंबर			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान	संख्या
		(यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियाँ
नागरिक हैं?		के मामले में)	
घर का पता			
भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
नगर/शहर/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुका			
राज्य		पिन कोड	
बैंक खाता ब्यौरे (यदि :	आवश्यक हो तो और जोड़ें)		
खाता संख्या		खाते का प्रकार	
आईएफएससी		बैंक का नाम	
शाखा का पता			
अपलोड किए गए दस्त	गवे ज		
	गर्भ कर में राज्यतेनी ग्रा	भ्य हैं (मंयक्त राष्ट्र निक	गय/दूतावास आदि से भिन्न

या

समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐर दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित औ संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा।

11. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारे और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्थान:

(ह

स्ताक्षर तारीखः

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

. (हस्ताक्षर)

स्थान:

समुचित अधिकारी का नाम:

पदनाम:

तारीख:

अधिकारिताः

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इतेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से पंजीयन अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित निकाय द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत
 ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -14 [नियम 19(1) देखिए]

पंजीयन विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन (सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसट <u>ी</u>	आईएन/यूआईएन			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2. कारबार						
3. पंजीयन	का प्रकार					
4. संशोधन	सारांश				•	
क्रम सं.	फील्ड नाम	प्रभावी (दिन/ म	तारीख ास/वर्ष)		कारण	
5. अपलोड	किए गए दस्तावेजों की सूची		-			
(क)						
(ख) (ग) 						
6. घोषणा मैं सत्या जानकारी	निष्ठा से यह पुष्टि करता हूं औ और विश्वास के अनुसार सत्य .	र घोषणा और सही (करता हूं । है तथा इस	कि इसमें ऊपर ममं कुछ भी छु	पदी गई सूचना मे पाया नहीं गया है।	रे सर्वोत्तम
स्थान:		प्राधिकृत	हस्ताक्षरव	हस्ताक्षर न्ता का नाम:		
तारीख :			ч	दनाम/प्रास्थिति	f:	
	·		•	<u>,</u>		

संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- 1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।
- 2. कारबार के नाम, कारबार का प्रधान स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है से संबंधित परिवर्तन, जो पंजीयन को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।
- 3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।
- 4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए पंजीयन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है।
- 5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा ।
- 6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदेश संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी ।
- 7. आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
- 8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
- 9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 15 [नियम 19 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या - <<>> मास/वर्ष तारीख - दिन/

सेवा में

(नाम)

(पता)

पंजीयन संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख - दिन/ मास/वर्ष

संशोधन आदेश

आपकी आवेदन संख्या ----- तारीख --- जो पंजीयन विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, को निर्दिष्ट करें । आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है । पंजीयन का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है ।

हस्ताक्षर नाम पदनाम अधिकारिता

तारीख स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 16 [नियम 20 देखिए]

पंजीयन रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन			
2	विधिक नाम		<u> </u>	
3	व्यापार नाम,			
	यदि कोई हो			
4	कारबार के			
	प्रधान स्थान का			
	पता			
5	आवी पत्राचार के	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल
	लिए पता (ईमेल,			
	मोबाइल टेलीफोन,			
	फ़ैक्स सहित)	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली
		VA.		जिला
		शहर/कस्बा/गाँव		।जला
		ब्लॉक/तालुका		
		ુલ્લાવમલાલુવમ ————————————————————————————————————		
		अक्षांश		देशान्तर
		राज्य		पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के		टेलीफोन
1		साथ)		
		ईमेल		फैक्स संख्या
6.	रदद करने के कारण (एक चुने)	 समामेलन, आमेलव निपटान के कारण कारब कारबार के गठन संख्या में परिवर्तन एकल स्वतवधारी अन्य (विनिर्दिष्ट 	ने के लिए दायी होने का समाप्त होना न/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा बार का अंतरण आदि । में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा की मृत्यु	
7.	कारबार के अंतर	। ण. विलयन की दशा में उस र	इकाई के पंजीयन की विशिष्टियां, जिस	में विलयन,
		ग आदि किया गया है		
(i)				
1 1 1				

	संख्या							
(1)								
(ii)	(क) नाम (विधिक)							
	(ख) व्यापार						. •	
	नाम, यदि कोई							
	हो							
(iii)	कारबार के	भवन सं	ख्या/फ्लैट ः	संख्या			मंडि	ोल -
	प्रधान स्थान	परिसर/अ	ावन का ना	म	<u></u>		सङ्	क/गली
	का पता						जिल	
		शहर/कर	बा/गाव				lol(41
		ब्लॉक/ता	लुका					
		अक्षांश					देश	न्तर
		राज्य					पिन	कोड
		मोबाइल	(देश कोड	के साथ)			ਟੇਕੀ	फोन
		ईमेल					फैव	स संख्या
8.	तारीख जिससे	। पंजीयन	रदद किया	जाना है ।			दिन/ भास/वर्ष	
9.	फाइल किए गए							
(i)	कर अवधि							
(ii)	आवेदन संदर्भ	संख्या						•
(iii)	तारीख					<u> </u>	·	. 4 1131
10.	पंजीयन के रव	द्द करने व	का प्रभावा	ताराख का	स्टाक म धा।	रत इनपुट/पूज	। माला क सबर	। म राद्य
	कर की रकम					क्रांक्स (चे	भी अधिक हो)	(XUII)
ļ			स्टॉक का		सदय इनपुट	. कर/कर (जा	मा आपम हा	(444)
1	विवरण	r	मूल्य					
		* -	(₹.)		<u> </u>			
			i	केंद्रीय		संघ		उपकर
			. «	कर	राज्य कर	राज्यक्षेत्र	एकीकृत कर	
		 		ļ		कर		<u> </u>
	इनपुट अर्द्ध तैयार म	പ്പ്						<u></u>
	अंद्ध तयार मा]]	
	तैयार मालों में			†				
	इनपुट							
	पूंजी माल/संयंः	त्र और						
1	मशीनरी					l		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

		•					
	योग						
11.	संदत्त कर के	ब्यौरे, यदि	कोई हो				
				रोकड़ खाते से र	 संदाय		······································
		r 1	· ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	उपकर
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	34413
	1.						
	2.						
		उप-योग					
			3	गईटीसी खाते से संव	दाय		-
	क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1.						
	2.						
		उप-योग					
	संदत्त कर रकम	की कुल					
12.	अपलोड किए	गए दस्तावेज	 र				
	सत्यापन						
<i>मैं/हें</i> सूचन	इम सत्यनिष्ठ	ा से यह पुष्टि सर्वोत्तम जान	करता हूं/ कारी और 1	करते हैं कि और यह विश्वास के अनुसार	ह घोषणा करता सत्य और सही है	हूं/ करते हैं कि तथा इसमें कुछ	ऊपर दी गई इ.भी छुपाया
1910	-191 (1)			,	प्राधिकृत	हस्ताक्षरकर्ता	के हस्ताक्षर
स्था	न					कृत हस्ताक्षरकत	
तारी	ोख					पदन	ाम/प्रास्थिति

रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

- अपने पंजीयन को रद्द करने की वांछा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें इतिशेष स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।
- निम्निलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे :

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटन रूप से हस्ताक्षर कर सकता
	*
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैनुअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा । नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का समामेलन करने का प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रिजस्ट्रीकृत किया जाएगा । यह आवेदन केवल नई इकाई को रिजस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा ।

रद् करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें, जिसमें पंजीयन का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है ।

- आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
- रदद करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
- पंजीयन रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संदाय करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 17

[नियम 22(1) देखिए]

संदर्भ संख्या -

<< तारीख >>

सेवा में

पंजीयन संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

पंजीयन रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका पंजीयन रदद करने का दायी है :-

2

3

? आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्यदिवस के भीतर देने का निदेश दिया जाता है।

? आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर <अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 18 [नियम 22 (2) देखिए]

पंजीयन रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ स्चना का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ सूचना की संख्या	जारी करने की तारिख
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन	
2.		
3.	कारबार का नाम (विधिक)	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	सूचना का प्रत्युत्तर	
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची	
7.	सत्यापन	
	群	सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह
		नूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार
	सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिप	गया नहा गया है।
		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
		नाम
		पदनाम/प्रास्थिति
	स्थान	
	तारीख	

c'y.

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 19 [नियम 22 (3) देखिए]

संदर्भ	संख्या	_
₩ on	(TOHI	_

तारीख

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख

पंजीयन रद्द करने के लिए आदेश

आपके तारीख ---- के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तारीख की कारण बताओ स्चना के संदर्भ में

- और कारण बताओ सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या

- और सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे ; या

- और अद्योहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपका पंजीयन निम्नलिखित कारण (कारणों) से रदद किए जाने का दायी है ।

2.

-आपके पंजीयन के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख << दिन/मास/वर्ष >> है ।

रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण:

तदनुसार, आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं : पूर्वोक्त संदेय अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर संदेय हो सकती है । आपसे (तारीख) को या उससे पूर्व निम्नितिखित रकमों का संदाय करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर रकम की अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर	<u> </u>				
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					<u> </u>

1101		٠.
₹ 41	a	

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 20 [नियम 22 (4) देखिए]

संदर्भ संख्या -सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या

तारीख

तारीख

पंजीयन को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

आपके तारीखं की कारण बताओं सूचना दिन। मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर को निर्दिष्ट करें । सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पैर विचार करने पर पंजीयन को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं:

<< पाठ >>

स्थान:

तारीख:

हस्ता क्षर <अधिकारी का नाम> पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी -21 [नियम 23(1)देखें **]**

पंजीयन के रददीकरण के विखंडन के लिए आवेदन

	पंजायम पर रव्या	1/-1 1-14-00-			
1.	जीएसटीआईएन (रद्द)				
2.	विधिक नाम				
3.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों				
4.	पता				
	(कारबार का मूल स्थान)				
5.	रद्दकरण आदेश सं.		तारीख	_	·
6	रद्दकरण के कारण				
7	फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब	यौरा			
	विवरणी की अवधि	आवेदन संख्यांक	निदेश	फाइल कर तारीख	ने की दिन/ मास/वर्ष
			गण (विषय क		के रूप में संलग्न किए जा
8	रद्दकरण के विखंडन का कारण	सकते हैं)	१९५१ (१५६स्तृत का		
9	अपलोड दस्तावेज				:
10.	सत्यापन				
	में शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं	कि ऊपर दी ब	ाई सूचनाएं मेरे	ज्ञान और विश	वास में सत्य और सही है
	तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया ग	या ह ।			
				प्राधिकृत	। हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम
	·			(1	प्रथम नाम, मध्य, उपनाम)
		: :			पदनाम/प्रास्थिति
	T907				
	स्थान तारीख				
ı	ן תולוש				

पंजीयन के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- किसी व्यक्ति जिसका पंजीयन समुचित अधिकारी द्वारा अपनेआप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर पंजीयन के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में पंजीयन के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा । यदि पंजीयन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण रद्द हुए है तो ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोध्य कोई रकम ब्याज के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत की जाएगी ।
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा ।
- समान पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी ।
- रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरइजी -22

[नियम 23(2देखें] —

संदर्भ सं. -

तारीख

सेवा में जीएसटीआईएन / यूआईएन (करदाता का नाम) (पता)

आवेदन संदर्ब सं. (एआरएन)

तारीख

रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के विखंडन के लिए आदेश

रजिस्ट्रेशन के रत्दकरण के विखंडन के लिए अपने आवेदन तारीख दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका पंजीयन प्रत्यावर्तित किया जाता है।

समुचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (पदनाम) अधिकारिता –

तारीख स्थान

प्ररूप जीएसटी-23 [नियम 23(3) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख

सेवा में, आवेदक/करदाता का नाम आवेदक/करदाता का पता जीएसटीआईएन आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन):

तारीख

पंजीयन के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस

पंजीयन के रद्दकरण के विखंडन के बाबत अपने आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :

1. 2.

3.

... शपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें ।

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते है या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते है तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा ।

> हस्ताक्षर समुचित अधिकारी का नाम (पदनाम) अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी -24

[नियम 23(3)देखें]

पंजीयन के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.				तारीख	7		l.
1.	नोटिस की संदर्भ सं.						,
2.	आवेदन संदर्भ सं.			तारीख	Γ		
	(एआरएन)						
3.	जीएसटीआईएन, यदि त	नागू हों					
4.	सूचना/कारण						·
5.	फाइल दस्तावेजों की र	नूची					
6.	सत्यापन						
	1						· ÷ 6
·	 			शपरे	प्रपवक यह ध	ग्रावणा करत	। हाका जनरा
	मैं टी गई सचनाएं मेरे उ	नान और	विश्वास में स	शप श् त्य और सही	वपूवक यह ६ है तथा उस	ग्राषणा करत मिक्छ भी	ा हूं कि ऊपर नहीं छिपाया
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	तान और	विश्वास में स	शपश् त्य और सही	ापूवक यह ६ है तथा उस	ग्रंथा करत मं.कुछ भी	नहीं छिपाया
	मैं दी गई सूचनाएं मेरे उ गया है।	नान और	विश्वास में स	शपश त्य और सही	है तथा उस	मं कुछ भी	नहीं छिपाया
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	ज्ञान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	मं कुछ भी	नहीं छिपाया नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	ज्ञान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	नान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	ज्ञान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	नान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ गया है ।	नान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ	नान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ गया है ।	नान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम
	दी गई सूचनाएं मेरे उ गया है ।	नान और	विश्वास में स	शपर त्य और सही	है तथा उस	में कुछ भी हस्ताक्षरकर्त	नहीं छिपाया के हस्ताक्षर पूरा नाम

प्ररूप जीएसटी आरईजी -25 [नियम 24(1)देखें] अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1.	अनंतिम पहचान				
2.	स्थायी खाता संख्यांक				
3.	विधिक नाम				
4.	व्यापारिक नाम				
5.	विद्यमान विधि के अधीन	। रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे			
	अधिनि	प्रम	रजिस्ट्रीकरण	संख्यांक	
(क)			 		
(ख)					
(ग)					
तारीर	 	मृजन की तारीख>	स्थान	<राज्य>	

अनंतिम रजिस्ट्रेशन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -26 (नियम 24(2) देंखे

	विद्यमान करदाता के	नामांकन के लिए आवेदन	
करदाता	का ड्यौरा		
1. अनंति	तेम पहचान		
2. विधिव	क नाम (स्थायी खाता सं.		
अनुसार)			,
3. विधि	क नाम (राज्य/केन्द्र के अनुस		
4. व्यापा	रिक नाम, यदि कोई है		
5. कारब	ार का स्थायी खाता सं0		
6. गठन			
7. राज्य			
	rटर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो		
लागू हों			
	धिकारिता केन्द्र		
l .	स्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए पूर्ववर्ती विधि के . का कारण	अधीन रजिस्ट्रीकरण	
9. विद्	यमान रजिस्ट्रीकरण		
क्रम	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
सं.			
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयंकर रजिस्ट्रीकरण सं.		
3	प्रविष्टि कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल और लग्जरी कर रजिस्ट्रीकरण सं		
4	BICH SILV WIND THE STATE OF THE		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण सं.		
7			

	रजिस्ट्रीकरण							.,	
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं. / विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं.								
10	आयात/निर्यातक	कोड सं.			-				
11	ओषधिय और 5 अधिनियम के :		-						·
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)								
10. क	रबार के मूल स्थ	ान का ब्यौरा							
भवन	सं. /फ्लैट सं.	7.10.00			तल सं.				
परिसर	/भवन का नाम			,	सड़क/गली				
स्थान/	ग्राम				जिला				
राज्य	राज्य				पिन कोड				
अक्षांश					देशान्तर				
संपर्क	सूचना	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>							
कार्याल	ाय ई-मेल पता				कार्यालय दूरभाष	सं.	*		
मोबाइ	त सं.				कार्यालय फैक्स	सं.			
103T.	परिसर के कब्जे	की प्रकृति	(अप	नी, पट्टे	पर, किराए पर, र	नहमति	ते से, साझेद	ारी)	
10эп	. किए जाने वाले	कारबार क्रियाव	लापों की प्रकृ	ति					
फैक्ट्री	/निर्माण	0	थोक कारबार		खुदरा कारबार	0	भंडागार/डि	पो	0
बांडेड	भंडागार	0	सेवा उपबंध		कार्यालय/विक्रय कार्यालय	0	पट्टा कार	बार	0
सेवा	प्राप्तकर्ता	0	ईओय्/एसटीपी/ईएच टीपी		एस ई जैड	0	निवेश सेव	वितरक	0
संकर्म	संविदा	0	अन्य (विनि करें)	र्दिष्ट	0				
11.	कारबार के अतिनि	क्त स्थानों का	ब्यौरा						
भवन	सं. /फ्लैट सं.				फ्लैट सं.				

परिसर/भवन का	नाम			सड़क/गली			
स्थान/ग्राम	,		·	जिला			
राज्य				पिन कोड			
अक्षांश				देशान्तर			
संपर्क सूचना				<u> </u>			
कार्यालय ई-मेल	पता		कार्य	लय दूरभाष	सं.		
मोबाइल सं.			कार्य	लय फैक्स र	i.		
11अ. परिसर दे	के कब्जे की प्रकृति	(अपनी	, पट् र	टे पर, किराए	पर, सहम	ति से,	साझेदारी)
11आ. किए ज	ने वाले कारबार क्रिया	म्लापां की प्रकृति	-				
फैक्ट्री/निर्माण	0	थोक कारबार	0	फैक्ट्री/निर्म	ण 🔾	थोक व	कारबार
बांडेड अंडागार	0	सेवा उपबंध	0	बांडेड भंडा	गर 🔾	सेवा ३	ऽपवन 🔘
सेवा प्राप्तकर्ता	0	ईओय्/एसटीपी/ई टीपी (एच)	सेवा प्राप्तव	कर्ता 🔾	ईओयू/	/एसटीपी/ईएचटीपी
संकर्म संविदा	0	अन्य (विनिर्दिष्य करें)	Ž O	कार्य संविद	ii ()	अन्य	(विनिर्दिष्ट करें)
और जोड़ें		<u> </u>		<u> </u>			
कारबार द्वारा	प्रदाय किए जाने वाला	माल/सेवा का ब्य	गैरा				
क्रम सं.	माल का ब्यौरा						एचएसएन कोड
	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
					· · ·		
क्रम सं.	सेवा का ब्यौरा						एचएसएन कोड
13. कारबार	चलाने के लिए आपके	द्वारा रखे गए कु	ल बैंव	न खाते			
क्रम सं.	खाता सं.	खाता का प्रकार	311	ईएफएससी	बैंक का न	ाम	शाखा का खाता
			1				
	-		+	<u> </u>			

	भी साझेदार/कर्ता/प्रबं	ध निटे	शक और पूर	र्गकालि	क निदेशक/	संगम की	प्रबंध	समिति के	सदस्य/न्यासी
इत्यादि के ब्यं	रि								
नाम		प्रश	म नाम	मध्य	नाम		अंतिग	म नाम	फोटो
पिता/पति का	नाम	प्रश	ाम नाम	मध्य	नाम		अंति	म नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिं	ग			पुरुष, स्त्र	ो, अन्य	4	
मोबाईल सं.	<u> </u>			ई-मे	न पता				
टेलीफोन सं.									
पहचान सूचना	T .								
पदनाम		नि	देशक पहचान	सं.					
स्थायी खाता		311	धार सं.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
संख्या				-	·				
क्या आप भा	रत के नागरिक हैं		हां या नहीं		पासपोर्ट सं				
निवास का प	ता								
भवन/फ्लैट सं					तल सं.				
परिसर/भवन	का नाम				सड़क/गली				
स्थान/ग्राम					जिला				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
राज्य					पिन कोड				
15. प्राथमिक	प्राधिकृत हस्ताक्षरक	र्ता के	ब्यौरे		·				
नाम		प्र	थम नाम	मध्य	प नाम		अंति	म नाम	
पिता/पति क	ा नाम	प्र	थम नाम	मध्य	प नाम		अंति	म नाम	फोटो
जन्म तिथि		R	न/मास/वर्ष	लिंग	T	पुरुष,	पुरुष, स्त्री, अन्य		
मोबाईल सं.		+		ई-मे	ाल पता				
टेलीफोन सं.		-							
पहचान सूच	ना	_							
पदनाम		-		निरे	शक पहचान	सं.			
स्थायी खात	ा संख्या			आर	धार सं.				

क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट सं.		
निवास का पता				
भवन/फ्नैट सं.		तस सं.		
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली		
स्थान/ग्राम		जिला		
राज्य		पिन कोड		
और जोड़ें				
युआईडीएआई से ब्यॉरे प्राप्त करने पहचान सूचना आधार धारक की प ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के र	हचान को वैधता के तथ साझा की जाएग	िलए प्रयोग किया जाएगा त	था आभप्रमाणन	क प्रयाजन के लिए
17. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है ।	हूं कि इसमें ऊपर	दी गई सूचना मेरे ज्ञान और	विश्वास में सत	
1				य और सही है तथा
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		स्थान	<u> </u>	य और सही है तथा
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		स्थान तारीख		य और सही है तथा
				य और सही है तथा

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

- प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा सं. रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल सं. वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा ।
- 2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदत किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में पंजीयन प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान सं. होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।
- 3. अधिप्रमाणन प्ररूप -

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में फाइल की जाएगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि माल और सेवा पहचान सं. – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूं जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनयम, 20 – के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है ।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं ।

क्रम सं.

पूरा नाम

पद /प्रास्थिति हस्ताक्षर

1.

2.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगें।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

स्थान

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर /केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा
 यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें ।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल सं. दिए जाएं । ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं । करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात्
 अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा ।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की
 प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के
 ब्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा ।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की
 प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी
 अपलोड करना आवश्यक है ।
- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है।
- साक्ष्य के रूप में निम्निलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे –

आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस)

मालिकाना संबंध- मालिक

साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।

हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता

कंपनी - प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति

न्यास -प्रबंध न्यासी

व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं।)

स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य

कानूनी निकाय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य

अन्य - कार्यसाधक व्यक्ति

2.	कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी
	निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रिजस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सब्त ।
3.	कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत
	(क) अपने परिसर के लिए –
	परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसींद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति
	(ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए -
	पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति
	(ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए –
	सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामीत्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति । साझेदार संपतियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे
4	बैंक खाते से संबंधित सबूत
	बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्केन की हुई प्रति
	बैक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता सं., खाता धारक का
	नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों ।
5	प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों
L	

सूचना इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी । निम्नलिखित व्यक्ति
नामांकन के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजीटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझीदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध

	निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी					
समिति ।क्लब ।न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य					
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति					
·	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध					
लोक सैक्टर उपक्रम	निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी					
	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध					
अनलिमिटेड कंपनी	निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी					
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार					
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष					
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष					
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति					
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति					
अन्य	भारसाधक व्यक्ति					

आवेदन अनिवार्य रूप से डिजीटल हस्ताक्षरित निम्निलिखत रूप में होने चाहिए -

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिजीटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी)
	पब्लिक लिमिटेड कंपनी	वर्ग 2 और उपरोक्त
	लोक सैक्टर उपक्रम	
	अनलिमिटेड कंपनी	
,	सौमित दायित्व भागीदारी	
	विदेशी कंपनी	
	विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
		ई-हस्ताक्षर

नोट:- 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी. को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा । 2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।

स्थायी लेखा सं., आधार, निदेशक, पहचान सं., चालान, पहचान सं., सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं. से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाईन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई सभी सुचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी । आनलाइन भरे गए आवेदन की प्रास्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी ।

- 1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए ।
- 2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा ।

अभिस्विकृति

नामांकन आवेदन – जी. एस. टी. प्ररूप – आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)---- के विरुद्ध फाइल

की गई

प्ररूप सं.

<....>

प्ररूप विवरण :

<विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>

फाइल करने की तारीख

<दिन/मास/वर्ष>

करदाता का व्यापारिक नाम

<व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम

: <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान सं.

अनंतिम पहचान सं.

यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी -27

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं. सेवा में, अनंतिम पहचान नाम

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < >

<तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

<तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

अनंतिम पंजीयन के रद्दकरण के लिए कारण बताओं नोटिस

अपने आवेदन तारीखका संदर्भ लें । आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

1 2

पता

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, बताएं ।

> हस्ताक्षर समुचित प्राधिकारी का नाम पदनाम अधिकारिता

तारीख स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी -28 (नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं.			<तारीख-दिन/मा	स/व र्ष>>		
सेवा में,		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
(141)1,			*			
पहचान						
नाम						
पता	• •					
माल और सेवा कर प		मि पहचान	<तारीख-दिन/मा		•	
आवेदन संदर्भ सं. (ए	'.आर.एन.) < >		<ताराख-ादन/मा	स/वष>>		
	अनंति	तेम पंजीयन के	रद्दकरण के लिए	आदेश		
कारण बताः	भो नोटिस तारीख		के संबंध में आपके	उत्तर तारीख	के संदर्भ	
में						
ाकारण बताओं न	ोटिस का उत्तर न	हीं दिया गया है	ः या			
्रास्नवाई के लिए						
्रभधोहस्ताक्षरी <i>ने</i>	आपके उत्तर 3	ौर सुनवाई के	समय किए गए	कथनों का परीक्ष	ण किया और	
उनका विचार यह है	कि आपका अ	नंतिम रजस्ट्रीक	रण निम्नलिखित	कारणों से रद्द	किए जाने का	
दायी है।						
1.						
2. <u>अनंतिम पंजीयन व</u> े	त रहहकरण के 3	जिसरण में संदेर	व रकम का अवधार	<u>ण_</u>		
तदनुसार आपके द्व	रा संदेय रकम 3	भौर उसकी संगण	गना तथा उसके आ	धार निम्नलिखित	हैं:	
आपसे यह अपेक्षा	की जाती है कि	निम्नलिखित र	कम तारीख	तक या उ	ससे पूर्व सदय	
करें जिसके असफल	होने पर रकम इ	इस अधिनियम	और उसके अधीन व	बनाए हुए नियमों	के उपबंधों के	
अनुसरण में वसूल						,
शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर	
कर						4
ब्याज			·			4
शास्ति						4
अन्य						4
कुल						J
स्थान:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	
तारीख:					हस्त	गक्तर
					< अधिकारी	का नाम>
					पदनाम	
					अधिकारिता	

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी -29 [नियम 24(4) देखें] अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग अ

		भाग अ		
(i) अनंतिम आई डी				
(ii) ईमेल आई डी				
(iii) मोबाईल नंबर				
		भाग	अ	
1. विधिक नाम (स्थाई	खाता संख्या के अनुस	ार)		
2. पत्र-व्यवहार के लिए प	ता			
भवन संख्या/ फ्लैट सं.	·		तल सं.	
परिसर का नाम/भवन			सड़क/गली	
शहर/कस्बा / गांव/परिक्षेत्र			जिला	
ब्लाक/ताल्लुका				
राज्य			3. रद्दकरण के लिए कारण	
1. जी.एस.टी अवधि के द	ौरान किसी कर बीजक	को आप	ने हां 🗆 🕝	ाहीं <u></u>
जारी किया है				
2. घोषणा				
(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्रा	धिकृत हस्ताक्षरी का न	राम>,< वि	धिक नाम> के <पदनाम > वे	ह रूप में एतद्द्वारा घोषणा
करता हं कि अधिनियम	के उपबंधों के अधीन व	मैं पंजीयन	के लिए दायी नहीं हूं।	
6.सत्यापन				
भें ८० मनानिष्ठा में प्रति	तेजान और घोषणा क	रता हं कि	यहां उपर दी गई सुचना मे	रे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास
में सही और सत्य है औ	र कुछ भी छिपाया नहीं	गिया है	i	
आधार सं.		स्थाई ख	ाता सं.	
		<u> </u>	प्राधिकृत हस्त	क्षिरी के हस्ताक्षर
पूरा नाम				
पदनाम/प्रास्थिति				
स्थान			·	
तारीख			तारीख/मास/वर्ष	

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी -30 [नियम 25 देखें]

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररूप अधिकारिता (वार्ड/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा आए >>

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:-

करादेय व्यक्ति का नाम

जी एस टी आई एन/यू आई एन -

द्वारा समनुदेशित कार्य:-<अधिकारी का नाम-पहले भरा जाए>

समनुदेशित कार्य की तारीख और समय:- < प्रणाली तारीख और समय>

क्रम सं.	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर-द्वारा आबद्ध	दक्षिण- द्वारा आबद्ध
	पश्चिम– द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नही
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्रास्थिति	कार्यकरण- हां/नही
7.	परिसर का ब्यौरा	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	छत्तदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
8.	स्थापित दस्तावेज	हां/नही
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर	मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया,

	का फोटो अपलोड करना ।	
10.	टिप्पणी(100 शब्दों<से अनधिक>	
	स्थान:	
	तारीख:	हस्ताक्षर
	< अधिकारी का नाम>	
		पदनाम
	अधिकारिता	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस.डी. रिछारिया. उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-13/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 22/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3—13/2017/1/पांच (2月), दिनांक 22 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस.डी. रिछारिया. उपसचिव.

Bhopal, Dated: 22/06/2017

No. F A 3-13/2017/1/FIVE(27)

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Government hereby makes the following rules, namely:-

Chapter I

PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force with effect from 22nd June 2017.
- 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017);
 - (b) "FORM" means a Form appended to these rules;
 - (c) "section" means a section of the Act:
 - (d) "Special Economic Zone" shall have the same meaning as assigned to it in clause (za) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
 - (e) words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

COMPOSITION RULES

3. Intimation for composition levy.- (1) Any person who has been granted registration on a provisional basis under clause (b) of sub-rule (1) of rule 24 and who opts to pay tax under section 10, shall electronically file an intimation in FORM GST CMP-01, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, prior to the appointed day, but not later than thirty days after the said day, or such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf:

Provided that where the intimation in FORM GST CMP-01 is filed after the appointed day, the registered person shall not collect any tax from the appointed day but shall issue bill of supply for supplies made after the said day.

- (2) Any person who applies for registration under sub-rule (1) of rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.
- (3) Any registered person who opts to pay tax under section 10 shall electronically file an intimation in FORM GST CMP-02, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the

Commissioner, prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax under the aforesaid section is exercised and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 within a period of sixty days from the commencement of the relevant financial year.

- (4) Any person who files an intimation under sub-rule (1) to pay tax under section 10 shall furnish the details of stock, including the inward supply of goods received from unregistered persons, held by him on the day preceding the date from which he opts to pay tax under the said section, electronically, in **FORM GST CMP-03**, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within a period of sixty days from the date on which the option for composition levy is exercised or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.
- (5) Any intimation under sub-rule (1) or sub-rule (3) in respect of any place of business in any State or Union territory shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.
- 4. Effective date for composition levy.- (1) The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year, where the intimation is filed under sub-rule (3) of rule 3 and the appointed day where the intimation is filed under sub-rule (1) of the said rule.
- (2) The intimation under sub-rule (2) of rule 3, shall be considered only after the grant of registration to the applicant and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under sub-rule (2) or (3) of rule 10.
- 5. Conditions and restrictions for composition levy.- (1) The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions, namely:-
 - (a) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person;
 - (b) the goods held in stock by him on the appointed day have not been purchased in the course of inter-State trade or commerce or imported from a place outside India or received from his branch situated outside the State or from his agent or principal outside the State, where the option is exercised under sub-rule (1) of rule 3;
 - (c) the goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased, he pays the tax under sub-section (4) of section 9;
 - (d) he shall pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both;
 - (e) he was not engaged in the manufacture of goods as notified under clause (e) of sub-section (2) of section 10, during the preceding financial year;
 - (f) he shall mention the words "composition taxable person, not eligible to collect tax on supplies" at the top of the bill of supply issued by him; and
 - (g) he shall mention the words "composition taxable person" on every notice or signboard displayed at a prominent place at his principal place of business and at every additional place or places of business.
- (2) The registered person paying tax under section 10 may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section subject to the provisions of the Act and these rules.

- 6. Validity of composition levy.- (1) The option exercised by a registered person to pay tax under section 10 shall remain valid so long as he satisfies all the conditions mentioned in the said section and under these rules.
 - (2) The person referred to in sub-rule (1) shall be liable to pay tax under sub-section (1) of section 9 from the day he ceases to satisfy any of the conditions mentioned in section 10 or the provisions of this Chapter and shall issue tax invoice for every taxable supply made thereafter and he shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in FORM GST CMP-04 within seven days of the occurrence of such event.
 - (3) The registered person who intends to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in FORM GST CMP-04, duly signed or verified through electronic verification code, electronically on the common portal.
 - (4) Where the proper officer has reasons to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provisions of the Act or provisions of this Chapter, he may issue a notice to such person in FORM GST CMP-05 to show cause within fifteen days of the receipt of such notice as to why the option to pay tax under section 10 shall not be denied.
 - (5) Upon receipt of the reply to the show cause notice issued under sub-rule (4) from the registered person in FORM GST CMP-06, the proper officer shall issue an order in FORM GST CMP-07 within a period of thirty days of the receipt of such reply, either accepting the reply, or denying the option to pay tax under section 10 from the date of the option or from the date of the event concerning such contravention, as the case may be.
 - (6) Every person who has furnished an intimation under sub-rule (2) or filed an application for withdrawal under sub-rule (3) or a person in respect of whom an order of withdrawal of option has been passed in FORM GST CMP-07 under sub-rule (5), may electronically furnish at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, a statement in FORM GST ITC-01 containing details of the stock of inputs and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn or denied, within a period of thirty days from the date from which the option is withdrawn or from the date of the order passed in FORM GST CMP-07, as the case may be.
 - (7) Any intimation or application for withdrawal under sub-rule (2) or (3) or denial of the option to pay tax under section 10 in accordance with sub-rule (5) in respect of any place of business in any State or Union territory, shall be deemed to be an intimation in respect of all other places of business registered on the same Permanent Account Number.
 - 7. Rate of tax of the composition levy.— The category of registered persons, eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter, specified in column (2) of the Table below shall pay tax under section 10 at the rate specified in column (3) of the said Table:-

SI. No.	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(2)	(3)

1	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	one per cent.
2	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent.
3	Any other supplier eligible for composition levy under section 10 and the provisions of this Chapter	half per cent.

Chapter III REGISTRATION

8. Application for registration.-(1) Every person, other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) who is liable to be registered under sub-section (1) of section 25 and every person seeking registration under sub-section (3) of section 25 (hereafter in this Chapter referred to as "the applicant") shall, before applying for registration, declare his Permanent Account Number, mobile number, e-mail address, State or Union territory in Part A of FORM GST REG-01 on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that a person having a unit(s) in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall make a separate application for registration as a business vertical distinct from his other units located outside the Special Economic Zone:

Provided further that every person being an Input Service Distributor shall make a separate application for registration as such Input Service Distributor.

- (2) (a) The Permanent Account Number shall be validated online by the common portal from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.
 - (b) The mobile number declared under sub-rule (1) shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number; and
 - (c) The e-mail address declared under sub-rule (1) shall be verified through a separate one-time password sent to the said e-mail address.
- (3) On successful verification of the Permanent Account Number, mobile number and e-mail address, a temporary reference number shall be generated and communicated to the applicant on the said mobile number and e-mail address.
- (4) Using the reference number generated under sub-rule (3), the applicant shall electronically submit an application in Part B of FORM GST REG-01, duly signed or verified through electronic verification code, along with the documents specified in the said Form at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (5) On receipt of an application under sub-rule (4), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant in FORM GST REG-02.

- (6) A person applying for registration as a casual taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) shall be issued electronically only after the said deposit.
- 9. Verification of the application and approval.-(1) The application shall be forwarded to the proper officer who shall examine the application and the accompanying documents and if the same are found to be in order, approve the grant of registration to the applicant within a period of three working days from the date of submission of the application.
- Where the application submitted under rule 8 is found to be deficient, either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or where the proper officer requires any clarification with regard to any information provided in the application or documents furnished therewith, he may issue a notice to the applicant electronically in FORM GST REG-03 within a period of three working days from the date of submission of the application and the applicant shall furnish such clarification, information or documents electronically, in FORM GST REG-04, within a period of seven working days from the date of the receipt of such notice.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "clarification" includes modification or correction of particulars declared in the application for registration, other than Permanent Account Number, State, mobile number and e-mail address declared in Part A of FORM GST REG-01.

- (3) Where the proper officer is satisfied with the clarification, information or documents furnished by the applicant, he may approve the grant of registration to the applicant within a period of seven working days from the date of the receipt of such clarification or information or documents.
- (4) Where no reply is furnished by the applicant in response to the notice issued under sub-rule (2) or where the proper officer is not satisfied with the clarification, information or documents furnished, he shall, for reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in FORM GST REG-05.
- (5) If the proper officer fails to take any action, -
 - (a) within a period of three working days from the date of submission of the application; or
 - (b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the clarification, information or documents furnished by the applicant under sub-rule (2),

the application for grant of registration shall be deemed to have been approved.

- 10. Issue of registration certificate.- (1) Subject to the provisions of sub-section (12) of section 25, where the application for grant of registration has been approved under rule 9, a certificate of registration in FORM GST REG-06 showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number shall be assigned subject to the following characters. namely:-
 - (a) two characters for the State code:
 - (b)ten characters for the Permanent Account Number or the Tax Deduction and Collection Account Number;
 - (c) two characters for the entity code; and

- (d)one checksum character.
- (2) The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration where the application for registration has been submitted within a period of thirty days from such date.
- (3) Where an application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of registration shall be the date of the grant of registration under sub-rule (1) or sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 9.
- (4) Every certificate of registration shall be digitally signed by the proper officer under the Act.
- (5) Where the registration has been granted under sub-rule (5) of rule 9, the applicant shall be communicated the registration number, and the certificate of registration under sub-rule (1), duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to him on the common portal, within a period of three days after the expiry of the period specified in sub-rule (5) of rule 9.
- 11. Separate registration for multiple business verticals within a State or a Union territory.— (1) Any person having multiple business verticals within a State or a Union territory, requiring a separate registration for any of its business verticals under sub-section (2) of section 25 shall be granted separate registration in respect of each of the verticals subject to the following conditions, namely:-
 - (a) such person has more than one business vertical as defined in clause (18) of section 2;
 - (b) the business vertical of a taxable person shall not be granted registration to pay tax under section 10 if any one of the other business verticals of the same person is paying tax under section 9;
 - (c) all separately registered business verticals of such person shall pay tax under the Act on supply of goods or services or both made to another registered business vertical of such person and issue a tax invoice for such supply.

Explanation.- For the purposes of clause (b), it is hereby clarified that where any business vertical of a registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10, all other business verticals of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section.

- (2) A registered person eligible to obtain separate registration for business verticals may submit a separate application in FORM GST REG-01 in respect of each such vertical.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.
- 12. Grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source.- (1) Any person required to deduct tax in accordance with the provisions of section 51 or a person required to collect tax at source in accordance with the provisions of section 52 shall electronically submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-07 for the grant of registration through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

- (2) The proper officer may grant registration after due verification and issue a certificate of registration in FORM GST REG-06 within a period of three working days from the date of submission of the application.
- (3) Where, upon an enquiry or pursuant to any other proceeding under the Act, the proper officer is satisfied that a person to whom a certificate of registration in FORM GST REG-06 has been issued is no longer liable to deduct tax at source under section 51 or collect tax at source under section 52, the said officer may cancel the registration issued under sub-rule (2) and such cancellation shall be communicated to the said person electronically in FORM GST REG-08:

Provided that the proper officer shall follow the procedure as provided in rule 22 for the cancellation of registration.

13. Grant of registration to non-resident taxable person.— (1) A non-resident taxable person shall electronically submit an application, along with a self-attested copy of his valid passport, for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-09, at least five days prior to the commencement of business at the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that in the case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or its Permanent Account Number, if available.

- (2) A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number by the common portal for making an advance deposit of tax in accordance with the provisions of section 27 and the acknowledgement under sub-rule (5) of rule 8 shall be issued electronically only after the said deposit in his electronic cash ledger.
- (3) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to the verification and the grant of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under this rule.
- (4) The application for registration made by a non-resident taxable person shall be signed by his authorised signatory who shall be a person resident in India having a valid Permanent Account Number.
- 14. Grant of registration to a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient.-(1)Any person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically submit an application for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in FORM GST REG-10, at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration, in **FORM GST REG-06**, subject to such conditions and restrictions and by such officer as may be notified by the Central Government on the recommendations of the Council.

- 15. Extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person.— (1) Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in FORM GST REG-11 shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, by such person before the end of the validity of registration granted to him.
- (2) The application under sub-rule (1) shall be acknowledged only on payment of the amount specified in sub-section (2) of section 27.
- 16. Suo moto registration.- (1) Where, pursuant to any survey, enquiry, inspection, search or any other proceedings under the Act, the proper officer finds that a person liable to registration under the Act has failed to apply for such registration, such officer may register the said person on a temporary basis and issue an order in FORM GST REG- 12.
- (2) The registration granted under sub-rule (1) shall be effective from the date of such order granting registration.
- (3) Every person to whom a temporary registration has been granted under sub-rule (1) shall, within a period of ninety days from the date of the grant of such registration, submit an application for registration in the form and manner provided in rule 8 or rule 12:

Provided that where the said person has filed an appeal against the grant of temporary registration, in such case, the application for registration shall be submitted within a period of thirty days from the date of the issuance of the order upholding the liability to registration by the Appellate Authority.

- (4) The provisions of rule 9 and rule 10 relating to verification and the issue of the certificate of registration shall, *mutatis mutandis*, apply to an application submitted under sub-rule (3).
- (5) The Goods and Services Tax Identification Number assigned, pursuant to the verification under sub-rule (4), shall be effective from the date of the order granting registration under sub-rule (1).
- 17. Assignment of Unique Identity Number to certain special entities.— (1) Every person required to be granted a Unique Identity Number in accordance with the provisions of subsection (9) of section 25 may submit an application electronically in FORM GST REG-13, duly signed or verified through electronic verification code, in the manner specified in rule 8 at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (2) The proper officer may, upon submission of an application in FORM GST REG-13 or after filling up the said form, assign a Unique Identity Number to the said person and issue a certificate in FORM GST REG-06 within a period of three working days from the date of the submission of the application.
- 18. Display of registration certificate and Goods and Services Tax Identification Number on the name board.- (1) Every registered person shall display his certificate of registration in a prominent location at his principal place of business and at every additional place or places of business.
- (2) Every registered person shall display his Goods and Services Tax Identification Number on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and at every additional place or places of business.

19. Amendment of registration.- (1) Where there is any change in any of the particulars furnished in the application for registration in FORM GST REG-01 or FORM GST REG-07 or FORM GST REG-09 or FORM GST REG-10 or for Unique Identity Number in FORM GST-REG-13, either at the time of obtaining registration or Unique Identity Number or as amended from time to time, the registered person shall, within a period of fifteen days of such change, submit an application, duly signed or verified through electronic verification code, electronically in FORM GST REG-14, along with the documents relating to such change at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that - (a) where the change relates to,-

- (i) legal name of business;
- (ii) address of the principal place of business or any additional place(s) of business; or
- (iii) addition, deletion or retirement of partners or directors, Karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for the day to day affairs of the business,-

which does not warrant cancellation of registration under section 29, the proper officer shall, after due verification, approve the amendment within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in FORM GST REG-14 and issue an order in FORM GST REG-15 electronically and such amendment shall take effect from the date of the occurrence of the event warranting such amendment;

- (b) the change relating to sub-clause (i) and sub-clause (iii) of clause (a) in any State or Union territory shall be applicable for all registrations of the registered person obtained under the provisions of this Chapter on the same Permanent Account Number;
- (c) where the change relates to any particulars other than those specified in clause (a), the certificate of registration shall stand amended upon submission of the application in FORM GST REG- 14 on the common portal;
- (d) where a change in the constitution of any business results in the change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall apply for fresh registration in FORM GST REG-01:

Provided further that any change in the mobile number or e-mail address of the authorised signatory submitted under this rule, as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided under the said rule.

- (2) Where the proper officer is of the opinion that the amendment sought under sub-rule (1) is either not warranted or the documents furnished therewith are incomplete or incorrect, he may, within a period of fifteen working days from the date of the receipt of the application in FORM GST REG-14, serve a notice in FORM GST REG-03, requiring the registered person to show cause, within a period of seven working days of the service of the said notice, as to why the application submitted under sub-rule (1) shall not be rejected.
- (3) The registered person shall furnish a reply to the notice to show cause, issued under subrule (2), in FORM GST REG-04, within a period of seven working days from the date of the service of the said notice.

- (4) Where the reply furnished under sub-rule (3) is found to be not satisfactory or where no reply is furnished in response to the notice issued under sub-rule (2) within the period prescribed in sub-rule (3), the proper officer shall reject the application submitted under sub-rule (1) and pass an order in FORM GST REG -05.
- (5) If the proper officer fails to take any action,-
 - (a) within a period of fifteen working days from the date of submission of the application, or
 - (b) within a period of seven working days from the date of the receipt of the reply to the notice to show cause under sub-rule (3),

the certificate of registration shall stand amended to the extent applied for and the amended certificate shall be made available to the registered person on the common portal.

20. Application for cancellation of registration.- A registered person, other than a person to whom a registration has been granted under rule 12 or a person to whom a Unique Identity Number has been granted under rule 17, seeking cancellation of his registration under subsection (1) of section 29 shall electronically submit an application in FORM GST REG-16, including therein the details of inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and of capital goods held in stock on the date from which the cancellation of registration is sought, liability thereon, the details of the payment, if any, made against such liability and may furnish, along with the application, relevant documents in support thereof, at the common portal within a period of thirty days of the occurrence of the event warranting the cancellation, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for the cancellation of registration shall be considered in case of a taxable person, who has registered voluntarily, before the expiry of a period of one year from the effective date of registration.

- 21. Registration to be cancelled in certain cases.- The registration granted to a person is liable to be cancelled, if the said person,-
 - (a) does not conduct any business from the declared place of business; or
 - (b) issues invoice or bill without supply of goods or services in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder.
- 22. Cancellation of registration.-(1) Where the proper officer has reasons to believe that the registration of a person is liable to be cancelled under section 29, he shall issue a notice to such person in FORM GST REG-17, requiring him to show cause, within a period of seven working days from the date of the service of such notice, as to why his registration shall not be cancelled.
- (2) The reply to the show cause notice issued under sub-rule (1) shall be furnished in **FORM REG-18** within the period specified in the said sub-rule.
- (3) Where a person who has submitted an application for cancellation of his registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order in FORM GST REG-19, within a period of thirty days from the date of application submitted under sub-rule (1) of rule 20 or, as the case may be, the date of the reply to the show cause issued under sub-rule (1), cancel the registration, with effect from a date to be determined by him and notify the taxable person, directing him to pay arrears of

- any tax, interest or penalty including the amount liable to be paid under sub-section (5) of section 29.
- (4) Where the reply furnished under sub-rule (2) is found to be satisfactory, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in FORM GST REG -20.
- (5) The provisions of sub-rule (3) shall, *mutatis mutandis*, apply to the legal heirs of a deceased proprietor, as if the application had been submitted by the proprietor himself.
- 23. Revocation of cancellation of registration.- (1) A registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may submit an application for revocation of cancellation of registration, in FORM GST REG-21, to such proper officer, within a period of thirty days from the date of the service of the order of cancellation of registration at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that no application for revocation shall be filed, if the registration has been cancelled for the failure of the registered person to furnish returns, unless such returns are furnished and any amount due as tax, in terms of such returns, has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee in respect of the said returns.

- (2) (a) Where the proper officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that there are sufficient grounds for revocation of cancellation of registration, he shall revoke the cancellation of registration by an order in FORM GST REG-22 within a period of thirty days from the date of the receipt of the application and communicate the same to the applicant.
- (b) The proper officer may, for reasons to be recorded in writing, under circumstances other than those specified in clause (a), by an order in FORM GST REG-05, reject the application for revocation of cancellation of registration and communicate the same to the applicant.
- (3) The proper officer shall, before passing the order referred to in clause (b) of sub-rule (2), issue a notice in FORM GST REG-23 requiring the applicant to show cause as to why the application submitted for revocation under sub-rule (1) should not be rejected and the applicant shall furnish the reply within a period of seven working days from the date of the service of the notice in FORM GST REG-24.
- (4) Upon receipt of the information or clarification in FORM GST REG-24, the proper officer shall proceed to dispose of the application in the manner specified in sub-rule (2) within a period of thirty days from the date of the receipt of such information or clarification from the applicant.
- 24. Migration of persons registered under the existing law.- (1) (a) Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enrol on the common portal by validating his email address and mobile number, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (b) Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in FORM GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:

Provided that a taxable person who has been granted multiple registrations under the existing law on the basis of a single Permanent Account Number shall be granted only one provisional registration under the Act:

Provided further that a person having centralised registration under the provisions of Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) shall be granted only one provisional registration in the State or Union territory in which he is registered under the existing law.

- (2)(a) Every person who has been granted a provisional registration under sub-rule (1) shall submit an application electronically in **FORM GST REG-26**, duly signed or verified through electronic verification code, along with the information and documents specified in the said application, on the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (b) The information asked for in clause (a) shall be furnished within a period of three months or within such further period as may be extended by the Commissioner in this behalf.
- (c) If the information and the particulars furnished in the application are found, by the proper officer, to be correct and complete, a certificate of registration in FORM GST REG-06 shall be made available to the registered person electronically on the common portal.
- (3) Where the particulars or information specified in sub-rule (2) have either not been furnished or not found to be correct or complete, the proper officer shall, after serving a notice to show cause in FORM GST REG-27 and after affording the person concerned a reasonable opportunity of being heard, cancel the provisional registration granted under sub-rule (1) and issue an order in FORM GST REG-28:

Provided that the show cause notice issued in FORM GST REG- 27 can be withdrawn by issuing an order in FORM GST REG- 20, if it is found, after affording the person an opportunity of being heard, that no such cause exists for which the notice was issued.

- (4) Every person registered under any of the existing laws, who is not liable to be registered under the Act may, within a period of thirty days from the appointed day, at his option, submit an application electronically in FORM GST REG-29 at the common portal for the cancellation of registration granted to him and the proper officer shall, after conducting such enquiry as deemed fit, cancel the said registration.
- 25. Physical verification of business premises in certain cases.— Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.
- 26. Method of authentication.- (1) All applications, including reply, if any, to the notices, returns including the details of outward and inward supplies, appeals or any other document required to be submitted under the provisions of these rules shall be so submitted electronically with digital signature certificate or through e-signature as specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) or verified by any other mode of signature or verification as notified by the Board in this behalf:

Provided that a registered person registered under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) shall furnish the documents or application verified through digital signature certificate.

- (2) Each document including the return furnished online shall be signed or verified through electronic verification code-
 - (a) in the case of an individual, by the individual himself or where he is absent from India, by some other person duly authorised by him in this behalf, and where the individual is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;
 - (b) in the case of a Hindu Undivided Family, by a Karta and where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family or by the authorised signatory of such Karta;
 - (c) in the case of a company, by the chief executive officer or authorised signatory thereof;
 - (d) in the case of a Government or any Governmental agency or local authority, by an officer authorised in this behalf;
 - (e) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor or authorised signatory thereof;
 - (f) in the case of any other association, by any member of the association or persons or authorised signatory thereof;
 - (g) in the case of a trust, by the trustee or any trustee or authorised signatory thereof; or
 - (h) in the case of any other person, by some person competent to act on his behalf, or by a person authorised in accordance with the provisions of section 48.
- (3) All notices, certificates and orders under the provisions of this Chapter shall be issued electronically by the proper officer or any other officer authorised to issue such notices or certificates or orders, through digital signature certificate specified under the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).



Form GST CMP-01

[See rule 3(1)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy) (Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN / Provisional ID			
2. Legal name			
3. Trade name, if any			
4. Address of Principal Place of Business			
5. Category of Registered Person < Select	t from drop down>		
(i) Manufacturers, other than manu- notified by the Government		goods as	
(ii) Suppliers making supplies refe paragraph 6 of Schedule II	erred to in clause	(b) of	
(iii) Any other supplier eligible	for composition le	evy.	
6. Financial Year from which compositi	ion scheme is opted	20)17-18
7. Jurisdiction	Centre	Sta	ate
8. Declaration –			
I hereby declare that the aforesaid busin payment of tax under section 10.	ness shall abide by th	ne conditions	and restrictions specified
9. Verification			
I information given hereinabove is true and has been concealed therefrom.	hereby	solemnly a	affirm and declare that will and nothing the second seller and nothing the seller and nothin
	Ş	Signature of	Authorised Signatory
		Na ₁	me
Place Date	•	Designa	tion / Status
			e de la companya de l



Form GST CMP -02

[See rule 3(2)]

Intimation to pay tax under section 10 (composition levy) (For persons registered under the Act)

1. GSTIN	
2. Legal name	
3. Trade name, if any	
4. Address of Principal Place of Business	
5. Category of Registered Person < Select from drop	down>.
(i) Manufacturers, other than manufacturers of notified by the Government	of such goods as may be
(ii) Suppliers making supplies referred to in 6 of Schedule II	clause (b) of paragraph
(iii) Any other supplier eligible for compo	osition levy.
6. Financial Year from which composition scheme	is opted
7. Jurisdiction	Centre State
8. Declaration –	
I hereby declare that the aforesaid business shall a paying tax under section 10.	bide by the conditions and restrictions specified for
9. Verification	
I information given hereinabove is true and correct thas been concealed therefrom.	hereby solemnly affirm and declare that the to the best of my knowledge and belief and nothing
	Signature of Authorised Signatory
	Name
Place Date	Designation / Status

14

Form GST -CMP-03

[See rule 3(4)]

Intimation of details of stock on date of opting for composition levy (Only for persons registered under the existing law migrating on the appointed day)

1. GSTIN		
2. Legal name		
3. Trade name, if any		
4. Address of Principal Place of Business		
5. Details of application filed to pay tax under section 10	(i) Application refe (ARN)	erence number
6. Jurisdiction	Centre	State

7. Stock of purchases made from registered person under the existing law

Sr. No	GSTIN/TIN	Name of the supplier	Bill/ Invoice No.	Date	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applicabl e)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Total									

8. Stock of purchases made from unregistered person under the existing law

Sr. No	Name of the unregistered person	Address	Bill/ Invoice No	Date	Value of Stock	VAT	Central Excise	Service Tax (if applicable	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
Total									
		<u></u>							

7, 9. Details of tax	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax		
•	Amount	·			
•	Debit entry no.				
		hereby s	olemnly affirm	n and decla	re that the
0. Verification	reinabove is true and	hereby so	olemnly affirm est of my kno	n and decla wledge and	re that the belief and
nformation given her	reinabove is true and realed therefrom.	correct to the be	est of my kno	wledge and	re that the belief and
nformation given her	reinabove is true and sealed therefrom.	Signature o	olemnly affirment of my known of Authorised Name	wledge and	re that the belief and
	reinabove is true and sealed therefrom.	Signature o	f Authorised	wledge and	re that the belief and



Form GST – CMP-04 [See rule 6(2)]

Intimation/Application for Withdrawal from Composition Levy

1. GSTIN					
2. Legal name					
3. Trade name, if any					
4. Address of Principal Place of business					
5. Category of Registered Person					
(iv) Manufacturers, other than i	manufacturers				
of such goods as may be no	otified by the				
Government					
(v) Suppliers making supplies refe					
clause (b) of paragraph 6 o					
(vi) Any other supplier eligible					
composition levy.					
6. Nature of Business		<u> </u>	DD	LMM	YYYY
7. Date from which withdrawal from co	mposition schem	e is sought	DD	MM	1111
			State	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	J
8. Jurisdiction	Centre		State		•
	ition sohome		<u> </u>		
9. Reasons for withdrawal from compos	Sition Scheme				
10. Verification	l	eby solemnly a	ffirm an	d decla	re that the
	nere	by soleming a	llillii aii	d bolief	and nothing
information given hereinabove is true a	nd correct to the	best of my know	reage an	a nemer	and nothing
has been concealed therefrom.					
	Signatu	re of Authorised	Signator	У	
		Name			
Place		• **			
Date					
<u> </u>		Designation /	Status		
1		Designation	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

Note – Stock statement may be furnished separately for availing input tax credit on the stock available on the date preceding the date from which composition option is withdrawn in **FORM GST ITC -01**.

, į	4.
I.	4

Form GST CMP- 05 [See rule 6(4)]

Reference No. << ... >>

<< Date >>

To

GSTIN Name Address

Notice for denial of option to pay tax under section 10

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that you have violated the conditions and restrictions necessary for availing of the composition scheme under section 10 of the Act. I therefore propose to deny the option to you to pay tax under the said section for the following reasons: -

2

3

- ? You are hereby directed to furnish a reply to this notice within fifteen working days from the date of service of this notice.
- ? You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM.

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature

Name of Proper Officer

Designation

Jurisdiction

Place Date



Form GST CMP - 06 [See rule 6(5)]

Reply to the notice to show cause

1.	GSTIN	
2.	Details of the show cause notice	Reference no. Date
3.	Legal name	
4.	Trade name, if any	
5.	Address of the Principal Place of Business	
6.	Reply to the notice	
-		
7.	List of documents uploaded	
8.	Verification	l hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.
		Signature of the Authorised Signatory
		Date Place

Note -

- 1. The reply should not be more than 500 characters. In case the same is more than 500 characters, then it should be uploaded separately.
- 2. Supporting documents, if any, may be uploaded in PDF format.



Form GST CMP-07 [See rule 6(6)]

Reference No. << >>		Date-
То		
GSTIN Name Address		
Application Reference No. (ARN)		Date –
Order for acceptan	ice / rejection of reply to	o show cause notice
This has reference to your reply date reference no dated satisfactory and, therefore, your option show cause notice stands vacated.	Your reply has been exami	to the show cause notice issued vide ined and the same has been found to be sition scheme shall continue. The said
	or	
reference no dated	Your reply has been examination to pay tax under com	to the show cause notice issued vide ned and the same has not been found to position scheme is hereby denied with
	<< text >>	
	or	
You have not filed any reply to	the show cause notice; or	
You did not appear on the day	fixed for hearing.	
Therefore, your option to pay tax under >> for the following reasons:	composition scheme is her	reby denied with effect from << date
	<< Text >>	
Date		Signature Name of Proper Officer
Place		
		Designation Jurisdiction

Form GST REG-01

[See rule 8(1)]

Application for Registration

(Other than a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51 and a person required to collect tax at source under section 52 and a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017)

Part -A

			State /UT - District - District	
(i)	Legal Name of the Business:			
	(As mentioned in Permanent Ac	count	Number)	
(ii)	Permanent Account Number:			
	(Enter Permanent Account Nun Individual in case of Proprietor	nber o	f the Business; Permanent Account Number of oncern)	
(iii)	Email Address:	1.		
(iv)	Mobile Number:			
			ct to online verification before proceeding to fill up Part-B. shall provide his mobile number and email address.	
			Part –B	·
1.	Trade Name, if any			
2.	Constitution of Business (Ple	ase Se	lect the Appropriate)	
(i) F	roprietorship	?	(ii) Partnership	?
(iii)	Hindu Undivided Family	?	(iv) Private Limited Company	?
(v)	Public Limited Company	?	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons	?
(vii	Government Department	?	(viii) Public Sector Undertaking	?
(ix)	Unlimited Company	?	(x) Limited Liability Partnership	?
(xi)	Local Authority	?	(xii) Statutory Body	?
(xii		y ?	(xiv) Foreign Company Registered (in India)	?
(xv) Others (Please specify)	?		?
1	<u> </u>		District	

4. Jurisdiction		State			Centre			
7		Sector, Circle others (specify	, Ward, Unit, e	tc.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5.	Option for Composition	Yes ?	No ?		L			
	Composition Declaration I hereby declare that the r the rules for opting to pay	aforesaid busine	ess shall abide	by the c	onditions	and restriction	ns specified in	
	gory of Registered Person < 1 Manufacturers, other than Government for which o	manufacturers	of such good	ls as m	ay be no	otified by th	е	
(ii) S	Suppliers making supplies re	ferred to in clau	use (b) of parag	graph 6 o	f Schedul	ell ·		
(iii)	Any other supplier eligible	for composition	levy.					
7.	Date of commencement o	f business		DD/MI	M/YYYY			
8.	Date on which liability to	register arises		DD/MI	M/YYYY			
9.	Are you applying for regis	stration as a casu	al taxable	Yes [<u> </u>	No		
10.	If selected 'Yes' in Sr. No registration is required	o. 9, period for w	hich	From DD/MM	1/YYYY	To DD/MM/YYY	ſΥ	
11.	If selected 'Yes' in Sr. No registration	o. 9, estimated su	pplies and esti	mated ne	t tax liabi	lity during the	period of	
Sr. No.	Type of Ta	x	Turnover (Rs	i.)		Net Tax Lial	oility (Rs.)	
(i)	Integrated Tax							
(ii)	Central Tax							
(iii)	State Tax							
(iv)	UT Tax							
(v)	Cess							
	Total							
	Payment Details							
	Challan Identification Number		Date			Amount		
12.	Are you applying for reg	istration as a SE	Z Unit?	Yes		No		
	(i) Select name of SEZ						∇	
1						1		

ي فو	(ii) Approval order number and date of order			
)	(iii) Designation of approving authority			
	0.57 D		Yes	No _
13.	Are you applying for registration as a SEZ Develo	per?	Yes 🗆	
	(i) Select name of SEZ Developer			∇
	(ii) Approval order number and date of order			
	(iii) Designation of approving authority			
14.	Reason to obtain registration:			
	(i) Crossing the threshold	registe	ered persons	mation of two or more
	(ii) Inter-State supply	(ix) Ir	nput Service Di	stributor
	(iii) Liability to pay tax as recipient of goods or services u/s 9(3) or 9(4)	` `	rson liable to pa	
	(iv) Transfer of business which includes change	(xi) Ta		upplying through e-Commerce
	in the ownership of business	portai		
	(if transferee is not a registered entity) (v) Death of the proprietor	(xii) V	oluntary Basis	
ŧ	(if the successor is not a registered entity)	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(vi) De-merger	(xiii)	Persons supplyi	ing goods and/or services on
		behalf	f of other taxab	le person(s)
	(vii) Change in constitution of business	(xiv)	Others (Not cov	vered above) - Specify
15.	Indicate existing registrations wherever applicable	ė		
Regist	ration number under Value Added Tax			
Centra	I Sales Tax Registration Number			
Entry	Tax Registration Number			
Entert	ainment Tax Registration Number			
Hotel	and Luxury Tax Registration Number			
Centra	I Excise Registration Number			
Service	e Tax Registration Number			
Corpo	orate Identify Number/Foreign Company Registration er			
Limite	ed Liability Partnership Identification Number/Foreign ed Liability Partnership Identification Number	n		
Impor	ter/Exporter Code Number			
1		,		

Registration numbe	r under	Medicinal a	nd Toilet						
reparations (Excis	e Dutie	s) Act		t Act					·····
Registration numbe		Shops and E	staonsninen	ı Acı					
Temporary ID, if ar	ıy								
Others (Please spec	ify)								
16. (a) Addres	ss of Pr	incipal Place	of Business						
Building No./Flat N	lo.				Floor No				
Name of the Premis	ses/Bui	lding	······································		Road/Str	eet			
City/Town/Locality	//Villag	ge	-		District				
Taluka/Block									
State					PIN Cod	e .		_	
Latitude					Longitud	е			
(b) Contact Inform	ation	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Office Email Addr	ess			Office T	elephone	number	STD		
Mobile Number				Office F	ax Number	er	STD		
(c) Nature of prem	ises								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Own		eased	Rent		Conse		Shared	Others (spe	cify)
(d) Nature of busin	ness act	ivity being ca	arried out at	above mer	tioned pr	emises (Please tic	k applicable)	
Factory / Manufac	turing	?	Wholesale	Business	?	Retai	l Business		?
Warehouse/Depot		?	Bonded W	arehouse	?	Supp	Supplier of services		?
Office/Sale Office		?	Leasing B	usiness	?	Recip	Recipient of goods or services		?
EOU/ STP/ EHTP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	?	Works Co	ntract	?	Expo	Export		?
Import		7	Others (Sp	pecify)	?				
17. Details of Ban	k Acco	unts (s)	<u> </u>		1				
Total number of business	Bank A	Accounts mai	ntained by th	ne applicar	nt for cond	lucting			
(Upto 10 Bank A	Account	s to be repor	ied)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Details of Bank A	ccount	1							
Account Number	:r								
Type of Accoun	ıt				IFSC				

Branch Address	To be auto-populated	d (Edit mode)		
Note - Add more acc	counts			
e Datalla afaba Can	ds supplied by the Busin	988		
Please specify top 5				
		l He	N Code (Four digit)	
Sr. Description	of Goods	пэ	V Code (1 our digit)	
(i)		,		·
(ii)				· .
(v)				
	s supplied by the Busines Services	SS.		
Please specify top 5				
Please specify top 5			N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i)	Services		N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description	Services		N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i)	Services		N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (v)	Services on of Services	H	N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (v)	Services	H	N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (v)	Services on of Services ional Place(s) of Business	H	N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (ii) (v) 20. Details of Addit Number of addition	Services on of Services ional Place(s) of Business	H	N Code (Four digit)	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (ii) (v) 20. Details of Addit Number of addition	Services on of Services ional Place(s) of Business nal places	H	N Code (Four digit) Place of Business	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (v) 20. Details of Addit Number of addition Premises 1	Services on of Services ional Place(s) of Business nal places	H	Place of Business Floor No	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (v) 20. Details of Addit Number of addition Premises 1 (a)	Services on of Services ional Place(s) of Business nal places Deta	H	Place of Business	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (v) 20. Details of Addit Number of addition Premises 1 (a) Building No/Flat N	Services on of Services ional Place(s) of Business nal places Deta lo ses/Building	H	Place of Business Floor No	
Please specify top 5 Sr. No. Description (i) (ii) (iii) (i	Services on of Services ional Place(s) of Business nal places Deta lo ses/Building	H	Place of Business Floor No Road/Street	

Latitude				Longi	tude			
(b) Contact Information		<u>-</u>				<u>.</u>		
Office Email Address			Office Tel	ephone	number	STD	T	
Mobile Number	<u>·</u>		Office Fax	Numb	er	STD	1	
(c) Nature of premises						.l .		
Own Leased		Rented	Rented Cons		ent Shared		Others (specif	y)
(d) Nature of business activit	y being ca	rried out at a	bove mentior	ned pre	mises (Plea	se tick ap	plicable)	
Factory / Manufacturing	?	Wholesal	e Business	?	Retail B	usiness		?
Warehouse/Depot	?	Bonded Warehouse		?	Supplier of services		es	?
Office/Sale Office	?	Leasing I	Leasing Business		Recipient of goods or services		ls or	?
EOU/ STP/ EHTP	?	Works C	orks Contract		Export			?
	12		hers (specify)		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+

21. Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

Particulars	First Name		Middle Name	Last N	ame
Name					
Photo	•				
Name of Father				·	
Date of Birth	DD/MM/YYYY	<u>.</u>	Gender	<male, Other></male, 	Female,
Mobile Number		·	Email address		
Telephone No. with STD					
Designation /Status		Dir	rector Identification N	umber (if	
Permanent Account Number		Aa	dhaar Number	:	
Are you a citizen of India?			ssport No. (in case of eigners)		
Residential Address		<u> </u>			
Building No/Flat No		Flo	or No		

Name of the Premises/Building		Roa	ad/Street			
City/Town/Locality/Vil	lage	Dis	trict			
Block/Taluka						
State		PIN	l Code		_	
Country (in case of fore only)	igner	ZIP	code			
Checkbox for Primary Au Details of Signatory No.	thorised Signatory	ails of Auth	norised Signatory			
Particulars	First Name	Middle N	ame	Last Name		
Name						
Photo						
Name of Father						
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender		<male, fen<="" td=""><td>nale, Other></td><td></td></male,>	nale, Other>	
Mobile Number		Email add	dress			
Telephone No. with STD						
Designation /Status			Director Identific Number (if any)	cation		
Permanent Account Number			Aadhaar Number	Г		
Are you a citizen of India?	Yes / No		Passport No. (in foreigners)	case of		
Residential Address in	n India				·	7
Building No/Flat No		Floor	No			
Name of the Premises/Building		Road	/Street	,		
Block/Taluka						
City/Town/Locality/\	/illage	Distri	iet	 		_

PIN Code

State

•		•
-	2.2	77
	23.	10

Details of Authorised Representative

Enrolment ID, if available										
Provide following details, if	enrolment I	D is not	availa	ble						
Permanent Account Number	<u> </u>									
Aadhaar, if Permanent Account Number is not available		· ·				***************************************				
	First Nan	ne	Mid	ldle Na	me		Last	Name	;	
Name of Person										
Designation / Status										
Mobile Number				T	T					
Email address						-1				
Telephone No. with STD			· · · · · ·	FAX	No.	with S	TD			

24.

State Specific Information

Profession Tax Enrolment Code (EC) No.

Profession Tax Registration Certificate (RC) No.

State Excise License No. and the name of the person in whose name Excise License

is held

(a) (b)		Field 1 Field 2
(c)		
(d)		
(0)		Field n

25.

Document Upload

A customized list of documents required to be uploaded (refer rule 8) as per the field values in the form.

26.

Consent

I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

Verification (by authorised signatory)

7. Verification (by adding the second of the

Signature

Place:	Name of Authorised Signatory
Date:	Designation/Status

List of documents to be uploaded:-

1.	Photographs (wherever specified in the Application Form)
	(a) Proprietary Concern – Proprietor
	(b) Partnership Firm / Limited Liability Partnership – Managing/Authorised/Designated Partners (personal details of all partners are to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner are to be submitted)
	(c) Hindu Undivided Family – Karta
	(d) Company - Managing Director or the Authorised Person
	(e) Trust – Managing Trustee
	(f) Association of Persons or Body of Individuals -Members of Managing Committee (personal details of all members are to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman are to be submitted)
	(g) Local Authority - Chief Executive Officer or his equivalent
	(h) Statutory Body – Chief Executive Officer or his equivalent
	(i) Others – Person in Charge
2.	Constitution of Business: Partnership Deed in case of Partnership Firm. Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society, Trust, Club, Government Department, Association of Persons or Body of Individuals, Local Authority, Statutory Body and Others etc.
3.	Proof of Principal Place of Business:
	(a) For Own premises –
	Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(b) For Rented or Leased premises –
	A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the

ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill. (c) For premises not covered in (a) and (b) above -A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded. (d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill. (e) If the principal place of business is located in a Special Economic Zone or the necessary developer, Zone an Special Economic documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded. Bank Account Related Proof: Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity, Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code. Authorisation Form:-5 For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format: Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of and whole Directors Partners/Karta/Managing Proprietor/all Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) I/We --- (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorised signatory, (status/designation)>> is hereby authorised, vide resolution no... dated..... (copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signature of the person competent to sign Name: Designation/Status: (Name of the proprietor/Business Entity)

ħ.	to act as authorised signatory	gnatory>> hereby solemnly accord my acceptance for the above referred business and all my acts
	shall be binding on the business Signatory Place:	Signature of Authorised (Name)
	Date:	Designation/Status:

Instructions for submission of Application for Registration.

- 1. Enter name of person as recorded on Permanent Account Number of the Business. In case of Proprietorship concern, enter name of proprietor against Legal Name and mention Permanent Account Number of the proprietor. Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.
- 2. Provide E-mail Id and Mobile Number of authorised signatory for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
- 3. Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.

4. The following persons can digitally sign the application for new registration:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others (specify)	Person in charge

- 5. Information in respect of authorised representative is optional. Please select your authorised representative from the list available on the common portal if the authorised representative is enrolled, otherwise provide details of such person.
- 6. State specific information are relevant for the concerned State only.
- 7. Application filed by under mentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Type of Signature required
1.	Private Limited Company	Digital Signature Certificate (DSC)-Class-2 and above.
	Public Limited Company	
	Public Sector Undertaking	
	Unlimited Company	
	Limited Liability Partnership	
	Foreign Company	
	Foreign Limited Liability Partnership	
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above
		e-Signature
		or
		any other mode as may be notified

- 8. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled up information.
- 9. Status of the application filed online can be tracked on the common portal by entering Application Reference Number (ARN) indicated on the Acknowledgment.
- 10. No fee is payable for filing application for registration.
- 11. Authorised signatory shall not be a minor.
- 12. Any person having multiple business verticals within a State, requiring a separate registration for any of its business verticals shall need to apply separately in respect of each of the vertical.
- 13. After approval of application, registration certificate shall be made available on the common portal.
- 14. Temporary Reference Number (TRN) will be allotted after successfully furnishing preliminary details in PART –A of the application which can be used for filling up details in PART-B of the application. TRN will be available on the common portal for a period of 15 days.
- 15. Any person who applies for registration under rule 8 may give an option to pay tax under section 10 in Part B of FORM GST REG-01, which shall be considered as an intimation to pay tax under the said section.

ţ.

Form GST REG-02 [See rule 8(5)]

Acknowledgment

Application Reference Num				
You have filed the applicati	on successfully and the par	ticulars of the application	on are given as uno	ler:
Date of filing		•	. •	
Time of filing				
Goods and Services Tax Ide	entification Number, if avai	lable :		
Legal Name	:			,
Trade Name (if applicable):				
Form No.	:		•	
Form Description:			•	
Center Jurisdiction	:	•		
State Jurisdiction :				• .
Filed by	:			\$
Temporary reference numb	per (TRN), if any:			
Payment details* : Challa	n Identification Number			
	: Date	A STATE OF THE STA		
	: Amount		*	
It is a system generated	acknowledgement and do	es not require any sig	gnature.	
1	of Casual taxable person an			

Form GST REG-03

[See rule 9(2)]

Reference Number:		Date-
То	• .	
Name of the Applicant: Address:		
GSTIN (if available): Application Reference No. (ARN):		Date:

Notice for Seeking Additional Information / Clarification / Documents relating to Application for << Registration/Amendment/Cancellation >>

This is with reference to your << registration/amendment/cancellation>> application filed vide ARN < > Dated - DD/MM/YYYY The Department has examined your application and is not satisfied with it for the following reasons:

1. 2.

3.

? You are directed to submit your reply by (DD/MM/YYYY)
? *You are hereby directed to appear before the undersigned on (DD/MM/YYYY) at (HH:MM)

If no response is received by the stipulated date, your application is liable for rejection. Please note that no further notice / reminder will be issued in this matter

Signature

Name of the Proper Officer: Designation: Jurisdiction:

* Not applicable for New Registration Application

Form GST REG-04

[See rule 9(2)]

Clarification/additional information/document for <<Registration/Amendment/Cancellation>>

		D 6		Date	
1.	Notice details	Reference No.		<i>Duio</i>	
2.	Application details	Reference No		Date	
3.	GSTIN, if applicable				
4.	Name of Business (Legal)				
5.	Trade name, if any				
6.	Address				
7.	Whether any modification	in the application fo	r registration o	r fields is required	Yes ?
		• •			No ? (Tick one)
8.	Additional Information				
9.	List of Documents uploaded				
10.	Verification 1 information given herein	above is true and cor	here	by solemnly affirm of my knowledge an	and declare that the d belief and nothing has
	been concealed therefrom	n.			
				Signatur	e of Authorised Signatory
		•		Name	
				Designa	tion/Status:
	Place:				
	Date:				

Note:-

1. For new registration, original registration application will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7

2. For amendment of registration particulars, the fields intended to be amended will be available in editable mode if option 'Yes' is selected in item 7.

\$

Form GST REG-05 [See rule 9(4)]

Reference Number:

Date-

To Name of the Applicant Address -GSTIN (if available)

Order of Rejection of Application for <Registration / Amendment / Cancellation/

This has reference to your reply filed vide ARN --- dated----. The reply has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:

1. 2.

Therefore, your application is rejected in accordance with the provisions of the Act.

Or You have not replied to the notice issued vide reference no. dated within the time specified therein. Therefore, your application is hereby rejected in accordance with the provisions of the Act.

Signature Name Designation Jurisdiction

8

Form GST REG-06 [See rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number: < GSTIN/ UIN >

1.	Legal Name				
1.					
2.	Trade Name, if any				
3.	Constitution of Business				
4.	Address of Principal Place of Business				
5.	Date of Liability	DD/MM/ YYYY			
6.	Period of Validity	From	DD/MM/YYYY	То	DD/MM/YYYY
	(Applicable only in case of Non-Resident taxable person or Casual taxable person)				
7.	Type of Registration				
8.	Particulars of Approving A	uthority			
Centre			State		
• • •			Signature		
Name					
Desig	nation				
Offic	e				
	ate of issue of Certificate			.•	
Note	The registration certificate is	required to be pror	ninently displayed at all places	of business i	n the State.
Note	The registration certificate is	, 104-11-10 as been			

1

Annexure A

Details of Additional Places of Business

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

Trade Name, if any

Total Number of Additional Places of Business in the State

Sr. No. Address

1

2

3

Annexure B

Goods and Services Tax Identification Number

Legal Name

ţ,

Trade Name, if any

Details of <Proprietor / Partners / Karta / Managing Director and whole-time Directors / Members of the Managing Committe Association of Persons / Board of Trustees etc.>

1.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
į		
2.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
,		
3.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
4.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
5.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
6.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State

7.		Name
i l	Photo	Designation/Status
		Resident of State
8.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
9.		Name
	Photo	Designation/Status
•		Resident of State
10.		Name
	Photo	Designation/Status
		Resident of State
	1	1

[See rule 12(1)]

Application for Registration as Tax Deductor at source (u/s 51) or Tax Collector at source (u/s 52)

State /UT-

District -

Part -A

(i)	Legal Name of the Tax Deductor Number/ Tax Deduction and Coll	or Tax (ection A	Collector(As mentioned in Account Number)	Permaner	nt Account	·	<u>.</u>	
(ii)	(Enter Permanent Account Number of the Business; Permanent Account Number of Individual in case of Proprietorship concern)							
(iii)	Tax Deduction and Collection Account Number (Enter Tax Deduction and Collection Account Number, if Permanent Account Number is not available)							
(iv)	Email Address		·					
(v)	Mobile Number				·			
Note -	Information submitted above is su	bject to	online verification before	proceeding	g to fill up Par	t-B.		
<u> </u>			Part -B					
1	Trade Name, if any							
2	Constitution of Business (Please	Select	the Appropriate)					T 2
(i) Pro	oprietorship	?	(ii) Partnership					?
(iii) F	lindu Undivided Family	?	(iv) Private Limited Co					?
(v) P	ablic Limited Company	?	(vi) Society/Club/Trust/Association of Persons			?		
(vii)	Government Department	?	(viii) Public Sector Undertaking			?		
(ix) l	Inlimited Company	?	(x) Limited Liability Pa	rtnership				?
(xi) l	ocal Authority	?	(xii) Statutory Body					?
(xiii) Partr	Foreign Limited Liability lership	?	(xiv) Foreign Company	Registere	d (in India)		·	?
(xv)	Others (Please specify)	?						
3	Name of the State			District			^	
4	Jurisdiction -	Sta	ate		Centre			
	Sector /Circle/ Ward /Charge/Unit etc.							· · ·

	Type of registrat			Γax Deduc	tor O	Tax Collec		
6.	Government (Ce	ntre / State/Union Terri	tory)		Center	0	State/L	O T
	Date of liability t	to deduct/collect tax	DD/MM/YY	/YY				
	(a) Address of pr	incipal place of busines	S					
uilding N	lo./Flat No.		Floor No.					
lame of th	ne Premises/Buildin	g		Road/Stre	et			
ity/Tow	n/Locality/Village	3		District				
Block/Taluka								
atitude				Longitude				
State		•		PIN Code				
	ct Information		000 0					
	nail Address		Office Tele					
Mobile N			Office Fax				· · · · · ·	
(c)	Nature of posses	ssion of premises	Rented	Cons	ent j	Shared	0	thers(specify)
9.	Have you obtained any other registrations under Goods and Serivces Tax in the same State?			Yes		No [j	
10	Tax in the same	: State?						<u> </u>
10	Tax in the same	State?						
10	If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if						
	If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable	: State? n Goods and Services on Number	ng Officer) / P	Person respo	nsible for	deducting (tax/collecti	ng tax
11	Tax in the same If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable Details of DDC	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if O (Drawing and Disbursi	ng Officer) / P			deducting !	tax/collecti	
11 12 Particula Name	Tax in the same If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable Details of DDC	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if	ng Officer) / P	Person respo		deducting t		
11 12 Particula	Tax in the same If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable Details of DDC	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if O (Drawing and Disbursi	ng Officer) / P			deducting !		
11 12 Particula Name	Tax in the same If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable Details of DDC	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if O (Drawing and Disbursi	ng Officer) / P			deducting (Last Na	me
11 12 Particula Name Father's	Tax in the same If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable Details of DDC ars	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if O (Drawing and Disbursi			Name	deducting !	Last Na	
11 Particula Name Father's Photo Date of	Tax in the same If Yes, mention Tax Identificati IEC (Importer I applicable Details of DDC ars	e State? In Goods and Services on Number Exporter Code), if O (Drawing and Disbursi First Name		Middle	Name	deducting	Last Na	me

Designation /Status		Direct	or Identification Nu	moer (II any)		
ermanent Account Number		Aadha	Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?		Yes / No Passport No.		oreigners)		
Lesidential Address						
Building No/Flat No		Floor	No			
Name of the Premises/Building		Locali	ity/Village			
tate		PIN C	ode			
3. Details of Authorised Sign Checkbox for Primary Author Details of Signatory No. 1						
Particulars	First Name	Middle Na	ime	Last Name		
Name						
Photo						
Name of Father						
Date of Birth	DD/MM/YYYY	Gender		<male, female,="" other=""></male,>		
Mobile Number		Email add	ress			
Telephone No. with STD						
Designation /Status			Director Identifica Number (if any)	ition		
Permanent Account Number			Aadhaar Number			
Are you a citizen of India?	Yes / No		Passport No. (in c foreigners)	ease of		
Residential Address (Withi	n the Country)					
Building No/Flat No			Floor No			
Name of the Premises/Buil	ding		Road/Street			
Name of the Premises/Buil	l l			•		
City/Town/Locality/Vill	age		District			

Note - /	Add more			
• 0				
				ř
14.	Consent			
	I on behalf of the holder of Aadhar number <pre-fi< th=""><th>details from LUDAL for</th><th>r the purpose of author</th><th>entication. "Goods</th></pre-fi<>	details from LUDAL for	r the purpose of author	entication. "Goods
	to "Goods and Services Tax Network" to obtain m and Services Tax Network" has informed me that i the Aadhar holder and will be shared with Central	doniin, information wau	ILLE COPILLY CHE RISCULTON YOU	111010111111 TO THE THE THE THE THE
16	and Services Tax Network" has informed me that i the Aadhar holder and will be shared with Central	Identities Data Reposite	ory only for the purpo	ose of authentication.
15.	and Services Tax Network" has informed me that it the Aadhar holder and will be shared with Central Ve	dentity information would lead the leading of the leading of the leading of the leading in the leading of the leading in the l	ory only for the purpo	ose of authentication.
15.	and Services Tax Network" has informed me that in the Aadhar holder and will be shared with Central	dentity information would lead the leading of the leading of the leading of the leading in the leading of the leading in the l	ory only for the purpo	ose of authentication.
15.	and Services Tax Network" has informed me that it the Aadhar holder and will be shared with Central Ve	dentity information would lead the leading of the leading of the leading of the leading in the leading of the leading in the l	ory only for the purpo	ose of authentication.
15.	and Services Tax Network" has informed me that is the Aadhar holder and will be shared with Central Ve I hereby solemnly affirm and declare that the information knowledge and belief and nothing has been concern.	rification rification ormation given herein a gled therefrom	nbove is true and cori	rect to the best of my
15.	and Services Tax Network" has informed me that is the Aadhar holder and will be shared with Central Ve I hereby solemnly affirm and declare that the information knowledge and belief and nothing has been concern.	dentity information would lead the leading of the leading of the leading of the leading in the leading of the leading in the l	nbove is true and cori	rect to the best of my
15.	and Services Tax Network" has informed me that is the Aadhar holder and will be shared with Central Ve I hereby solemnly affirm and declare that the information knowledge and belief and nothing has been concern.	rification rification ormation given herein a gled therefrom	nbove is true and cori	rect to the best of my

List of documents to be uploaded (not applicable to a department or establishment of the Central Government or State Government or Local Authority or Governmental agencies):-

Proof of Principal Place of Business:

(a) For Own premises -

Any document in support of the ownership of the premises like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(b) For Rented or Leased premises -

A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(c) For premises not covered in (a) and (b) above -

A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.

- (d) For rented/leased premises where the Rent/lease agreement is not available, an affidavit to that effect along with any document in support of the possession of the premises like copy of Electricity Bill.
- (e) If the principal place of business is located in an Special Economic Zone or the applicant is an Special Economic Zone developer, necessary documents/certificates issued by Government of India are required to be uploaded.

Instructions for submission of application for registration as Tax Deductor/ Tax Collector.

1. Enter name of Tax Deductor /Tax Collector as recorded on Tax Deduction and Collection Account Number/ Permanent Account Number of the Business. Tax Deduction and Collection Account Number/Permanent Account Number shall be verified with Income Tax database.

- 2. Provide Email Id and Mobile Number of DDO (Drawing and Disbursing Officer) / Person responsible for deducting tax/collecting tax for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up of the application.
- 3. Person who is acting as DDO/ Person deducting/collecting tax can sign the application.
- 4. The application filed by undermentioned persons shall be signed digitally.

Type of Applicant	Digital Signature required
Private Limited Company	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
Public Limited Company	
Public Sector Undertaking	
Unlimited Company	
Limited Liability Partnership	
Foreign Company	
Foreign Limited Liability Partnership	
Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above, e-Signature o any other mode as specified or as may be notified.
	Private Limited Company Public Limited Company Public Sector Undertaking Unlimited Company Limited Liability Partnership Foreign Company Foreign Limited Liability Partnership

- 5. All information relating to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all the filled information.
- 6. Status of the application filed online can be tracked on the Common portal.
- 7. No fee is payable for filing application for registration.
- 8. Authorised shall not be a minor.

ŀ

Form GST REG-08

		[See rule	12(3)		
Reference No					Date:
To Name:					
Address: Application Reference	No. (ARN) (Reply)			Date:
Order of C	ancellation of Regi	stration as Tax D	eductor at source	e or Tax Collector	at source
This has reference to registration under the	the show-cause no				
Whereas no reply					
Whereas on the d	ay fixed for hearing	you did not appea	ar; or		
Whereas your re examined. The under reason(s).	eply to the notice raigned is of the o	to show cause an pinion that your	d submissions margistration is lia	ade at the time of ble to be cancelle	f hearing have been d for the following
1.					
2. The effective date of o	cancellation of regis	stration is < <dd n<="" td=""><td>MM/YYYY >>.</td><td></td><td></td></dd>	MM/YYYY >>.		
You are directed to precovered in accordar (This order is also available)	ice with the provision	ons of the Act and	or before (a rules made thereu	date) failing which nder.	the amount will be
Head	Integrated tax	Central tax	State tax	UT Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty				·	
Others					
Total					

Signature Name

Designation Jurisdiction

Ţ.

Form GST REG-09 [See rule 13(1)]

Application for Registration of Non Resident Taxable Person

Part -A

	State /UT - District -	
(i)	Legal Name of the Non-Resident Taxable Person	
(ii)	Permanent Account Number of the Non-Resident Taxable person, if any	
(iii)	Passport number, if Permanent Account Number is not available	
(iv)	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
(v)	Name of the Authorised Signatory (as per Permanent Account Number)	
(vi)	Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
(vii)	Email Address of the Authorised Signatory	
(viii)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	
Note ·	Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before the process of the control o	ore proceeding to fill

Part -B

First Name Middle Name Last		Last Name
Photo		
Gender		Male / Female / Others
Designation		
Date of Birth		DD/MM/YYYY
Father's Name		
Nationality		
Aadhaar		
Address of the Autho	rised signatory	Address line

				Addres	s Line 2	2		
- k				Address line 3				
2.	Period for which registration From		om				То	
		DD/MM	I/YYYY			DD/N	MM/YYYY	
3		Estimated Tur	mover (Rs.)	Estima	ed Tax	Liability (N	et) (Rs.)	
3	Turnover Details	Intra- State	Inter -State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	Address of Non-Resident taxal	ble person in the	Country of Or	l igin	<u> </u>	L	L	
	(In case of business entity - Ac			.5				
	Address Line 1							
	Address Line 2	·		·				
	Address Line 3					<u>, </u>		
4	Country (Drop Down)							<u> </u>
	Zip Code							
	E mail Address							
	Telephone Number							
	Address of Principal Place of I	Business in India						
	Building No./Flat No.		Floor No.					
	Name of the Premises/Buildin	Road/Stre	et					
	City/Town/Village/Locality	District						
5	Block/Taluka							
	Latitude	Longitude	Longitude					
	State			PIN Code				
	Mobile Number	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Telephone Number				
<u> </u>	E mail Address		Fax Num	umber with STD				
	Details of Bank Account in In	dia						
6	Account Number		Type of a	ccount				-
	Bank Name	Branch Addi	ress				IFSC	
7	Documents Uploaded A customized list of document.	s required to be	uploadea (refe	r Instruct	ion) as	per the field	values in the fo	rin

	1	Declaration I hereby solemnly affirm and declare that the information g knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom	iven herein above is true and correct to the best of my 1.
8			Signature
		Place:	Name of Authorised Signatory
		Date:	Designation:

Note: Non-Resident taxable person is required to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

ſ	1.	Proof of Principal Place of Business:
		(a) For own premises –
		Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
		(b) For Rented or Leased premises –
		A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
		(c) For premises not covered in (a) and (b) above -
		A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
ŀ	2.	Proof of Non-resident taxable person:
		Scanned copy of the passport of the Non -resident taxable person with VISA details. In case of a business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with its tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country or it's Permanent Account Number, if available.
Ī	3	Bank Account related proof:
		Scanned copy of the first page of Bank passbook or the relevant page of Bank Statement or Scanned copy of a cancelled cheque containing name of the Proprietor or Business entity. Bank Account No., MICR, IFSC and Branch details including code.
	4	Authorisation Form:-
		For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory) (Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.)I/We (name) being (Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.) of (name of registered person) hereby solemnly affirm and declare that < <name (status="" authorised="" designation)="" of="" signatory.="" the="">> is hereby authorised, vide resolution no dated</name>
		(Copy submitted herewith), to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed under the Act. All his actions in relation to this business will be binding on me/us. Signature

	of the person competent to sign
K	Name:
	Designation/Status:
	(Name of the proprietor/Business Entity)
	Acceptance as an authorised signatory Acceptance as an authorised signatory
	I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.
·	Signature of Authorised Signatory
	Place:
	Date:
	Designation/Status:

Instructions for submission of application for registration as Non-Resident Taxable Person.

- 1. Enter Name of the applicant Non-Resident taxable person as recorded on Passport.
- 2. The applicant shall apply at least Five days prior to commencement of the business at the common portal.
- 3. The applicant needs to provide Email Id and Mobile Number for verification and future communication which will be verified through One Time Passwords to be sent separately, before filling up Part-B of the application.
- 4. The applicant needs to upload the scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners /Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case the business declares a person as Authorised Signatory.

5. The application filed by the under-mentioned persons shall be signed digitally:-

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company Public Limited Company	Digital Signature Certificate(DSC) class 2 and above
	Public Sector Undertaking	
	Unlimited Company	
-	Limited Liability Partnership	
	Foreign Company	
	Foreign Limited Liability Partnership	

Sr. No	Type of Applicant	Digital Signature required
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above e-Signature or as may be notified
	l · · ·	

^{6.} All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, shall be online validated by the system and Acknowledgment Receipt Number will be generated after successful validation of all filled up information.

- 7. Status of the application filed online can be tracked on the common portal.
- 8. No fee is payable for filing application for registration
- 9. Authorised signatory shall be an Indian national and shall not be a minor.

ķ

Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part -A

State /UT -

District -

Permanent Account Number of the person, if any	
Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country	
Name of the Authorised Signatory	
Permanent Account Number of the Authorised Signatory	
Email Address of the Authorised Signatory	
Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	
1	Tax identification number or unique number on the basis of which the entity is identified by the Government of that country Name of the Authorised Signatory Permanent Account Number of the Authorised Signatory Email Address of the Authorised Signatory

Note - Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

1.	Details of Authorised Si	gnatory (shall be resident of	India)
	First Name	Middle Name	Last Name
	Photo		
	Gender		Male / Female / Others
	Designation		
	Date of Birth		DD/MM/YYYY
	Father's Name		
	Nationality		
·	Aadhaar, if any		
			Address line 1
	Address of the Authoris	sed Signatory	Address line 2
			Address line 3

2.	Date of commencement o	f the online service in India.	DD/MM/	YYYY		
3	Uniform Resource Locato 1. 2. 3	ors (URLs) of the website th	rough which tax	able services are pr	ovided:	
4	Jurisdiction	Center				
	Details of Bank Account					
5	Account Number		Type of accoun	nt		
	Bank Name	Branch Address			IFSC	
6	Documents Uploaded A customized list of docu	ments required to be upload	led (refer Instru	ction) as per the fiel	'd values in t	he form
	Declaration I hereby solemnly affirm knowledge and belief and	and declare that the infort d nothing has been conceale	mation given he ed therefrom.	erein above is true o	and correct	to the best of my
7	l,and collect tax liable fr Government.	hereby declare that I an om the non-assesse online i	n authorised to . recipient located	d in laxable territoi	гу ини иеро	t. I would charge sit the same with
				Signa		
	Place:		Naı	me of Authorised Si	gnatory:	
	Date:		De	signation:		

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Proof of Place of Business in India:
	(a) For Own premises –
	Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(b) For Rented or Leased premises –
	A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(c) For premises not covered in (a) and (b) above –
	A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same

f.	documents may be uploaded.
2.	Proof of:
	Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter.
	Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India
	Scanned copy of License is issued by origin country
	Scanned copy of Clearance certificate issued by Government
3	Bank Account Related Proof:
	Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement
	Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern - containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
4	Authorisation Form:-
	For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:
	Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)
	I (Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Goods and Service Tax Act, 20
	All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.
	Signatures of the persons who is in charge.
	S. No. Full Name Designation/Status Signature
,	
	Acceptance as an authorised signatory
	Acceptance as an authorised signatory I << (Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.
	I <> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised
	1 <<(Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

[See rule 15(1)]

Application for extension of registration period by casual / non-resident taxable person

1.	GSTIN						
2.	Name (Legal)						
3.	Trade Name, if ar	ny					
4.	Address						
5.	Period of Validity	(original)	From	m		То	
			DD/MM	/YYYY		DD/MM/YYY	Υ
6.	Period for which	extension is requested.	Froi	n		То	
			DD/MM			DD/MM/YYY	
7.	Turnover Details	for the extended period (Rs.) Estimated T (Rs.)	ax Liabilit	y (Net) fo	or the extend	ed period
	Inter- State	Intra-State	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
8.	Payment details						
	Date	CIN	BR	N		Amount	
9.		y affirm and declare that the and belief and nothing has b			ove is true	and correct i	o the best
	. 						
				Signa			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Plac	e:		Name o	of Authorise	d Signato	ry:	
Date	:		Designa	ation / Statu	s:		

Instructions for submission of application for extension of validity

- 1. The application can be filed online before the expiry of the period of validity.
- 2. The application can only be filed when advance payment is made.
- 3. After successful filing, Application Reference Number will be generated which can be used to track the status of the application.

Form (GST	REG-	12
--------	-----	------	----

[See rule 16(1)]

Reference	Number -
-----------	----------

Date:

To (Name): (Address):

Temporary Registration Number

Order of Grant of Temporary Registration/ Suo Moto Registration

Whereas the undersigned has sufficient reason to believe that you are liable for registration under the Act, and therefore, you are hereby registered on a temporary basis. The particulars of the business as ascertained from the business premises are given as under:

		Details of person to whom temporary re	egistration granted
1.	Name and Lega	ll Name, if applicable	
2.	Gender		Male/Female/Other
3.	Father's Name		
4.	Date of Birth		DD/MM/YYYY
5.	Address of the Person	Building No./ Flat No. Floor No.	
		Name of Premises/ Building	
		Road/ Street Town/City/Locality/ Village Block / Taluka	
		District State	
		PIN Code	
6.	Permanent A available	ccount Number of the person. if	
7.	Mobile No.		
8.	Email Address		
9.	Other ID, if an (Voter ID No Aadhaar No./	o./ Passport No./Driving License No./	

10.	Reasons for temporary registration	
11.	Effective date of registration / temporary ID	
12.	Registration No. / Temporary ID	
	ad of Seizure Memo / Detention Memo / Any other u are hereby directed to file application for prope	
	u are hereby directed to file application for prope	
< <yo< td=""><td>u are hereby directed to file application for prope</td><td>r registration within 30 days of the issue of this</td></yo<>	u are hereby directed to file application for prope	r registration within 30 days of the issue of this
< <yo< td=""><td>u are hereby directed to file application for proper-</td><td>r registration within 30 days of the issue of this Signature</td></yo<>	u are hereby directed to file application for proper-	r registration within 30 days of the issue of this Signature

Form GST REG-13 [See rule 17(1)]

Application/Form for grant of Unique Identity Number to UN Bodies / Embassies / others

State /Union Territory-PART A District -

(i)	Name of the Entity	
(ii)	Permanent Account Number of entity, if any (applicable in case of any other person notified)	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Permanent Account Number of Authorised Signatory	
(v)	Email Address of the Authorised Signatory	
(vi)	Mobile Number of the Authorised Signatory (+91)	

PART B

1.	Type of Entity (Choose one)	UN Body	Embassy Other Per	Son
2.	Country			
3.	Notification Details		Notification No.	Date
4.	Address of the entity in Stat	e		
	Building No./Flat No.		Floor No.	
	Name of the Premises/Buildi	ng	Road/Street	
	City/Town/Village		District	
	Block/Taluka			
	Latitude		Longitude	
	State		PIN Code	
	Contact Information			
	Email Address		Telephone number	
	Fax Number		Mobile Number	
7.	Details of Authorised Signa	tory, if applicable		
	Particulars	First Name	Middle Name	Last name
	Name			
	Photo			
	Name of Father			

Permanent Account Number Are you a citizen of India? Yes / No Passportoreig Residential Address Building No/Flat No Floor Name of the Premises/Building Town/City/Village Block/Taluka State PIN C Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank N Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc. 1. Verification 1 hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Date: Nat		<male, female,="" other=""></male,>
Telephone No. Designation /Status Permanent Account Number Aadha Are you a citizen of India? Yes / No Passpo foreig Residential Address Building No/Flat No Floor Name of the Premises/Building Town/City/Village Block/Taluka State Bank Account Details (add more if required) Account Number IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Ingenerated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	dress	
Designation / Status Permanent Account Number Are you a citizen of India? Yes / No Passpe foreig Residential Address Building No/Flat No Floor Name of the Premises/Building Town/City/Village District Block/Taluka State PIN C Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank N Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and It generated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Permanent Account Number Are you a citizen of India? Yes / No Passpt foreig Residential Address Building No/Flat No Floor Name of the Premises/Building Town/City/Village Distributed Block/Taluka State PIN C Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of Bank No Type of Passpt applicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and its generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Are you a citizen of India? Yes / No Passpr foreig Residential Address Building No/Flat No Floor Name of the Premises/Building Town/City/Village Distri Block/Taluka State PIN C Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank No Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evidence properties of the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and ling generated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or	or Identification er (if any)	n
Residential Address Building No/Flat No Floor Name of the Premises/Building Town/City/Village Block/Taluka State PIN C Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank N Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and It generated and allotted to respective UN Body / Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Date: Nat	ar Number	
Building No/Flat No Name of the Premises/Building Town/City/Village Block/Taluka State Bank Account Details (add more if required) Account Number IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Ingenerated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Date: Nat	ort No. (in case ners)	of
Name of the Premises/Building Town/City/Village Block/Taluka State Bank Account Details (add more if required) Account Number IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.		
Name of the Premises/Building Town/City/Village Block/Taluka State Bank Account Details (add more if required) Account Number IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.	No	
Block/Taluka State PIN C Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank N Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Date: Nat	Street	
State Bank Account Details (add more if required) Account Number IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or	ct	
Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank N Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and It generated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Date: Nat		
Bank Account Details (add more if required) Account Number Type of IFSC Bank N Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and It generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or	Code	
Account Number IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and allosted to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or		
IFSC Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Its generated and allotted to respective UN Body / Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Date: Nat	f Account	
Branch Address Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and It generated and allotted to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or		
Documents Uploaded The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Ingenerated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or	ame	
The authorised person who is in possession of the documentary evide upload the scanned copy of such documents including the copy of rapplicant to represent the entity. Or The proper officer who has collected the documentary evidence from upload the scanned copy of such documents including the copy of applicant to represent the UN Body / Embassy etc. in India and Ingenerated and alloited to respective UN Body/ Embassy etc. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or		
Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Nate: Or	n the applicant	(UN Body/ Embassy etc.) si
I hereby solemnly affirm and declare that the information given her knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Place: Or		
Place: Date: Or	ein above is tru	ue and correct to the best of
Date: Or Na	(Signa	ature)
Or Na	me of Authorised	Person:
Place:		
Place:	(Sign	nature)
	ame of Proper Off	ficer:
Date:	Designation: Jurisdic	

Instructions for submission of application for registration for UN Bodies/ Embassies/others notified by the Government.

- Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically.
- Application shall be filed through common portal or registration can be granted suo-moto by proper officer.
- The application filed on the common portal is required to be signed electronically or through any other mode as specified by the Government.
- The details of the person authorised by the concerned entity to sign the refund application or otherwise, should be filled up against the "Authorised Signatory details" in the application.

Form GST REG-14

[See rule 19(1)]

Application for Amendment in Registration Particulars (For all types of registered persons)

I. GSTIN					
	of Business				
	registration				
4. Amend	lment summary				
Sr. No	Field Name	Effection (DD/I	tive Date MM/YYYY)		Reasons(s)
<u> </u>					
5. List of	documents uploaded				
(a)					
(b)					
(c)					
•••		•			
6. Decla	solemnly affirm and de	clare that the info	ormation giver	n herein above i	s true and correct to the best
of my kno	owledge and belief and	nothing has been	concealed the	erefrom	
					Signature
	Place:			Na	ame of Authorised Signatory
	Date:			De	esignation / Status:

Instructions for submission of application for amendment

- 1. Application for amendment shall be submitted online.
- 2. Changes relating to Name of Business, Principal Place of Business, additional place(s) of business and details of partners or directors, karta, Managing Committee, Board of Trustees, Chief Executive Officer or equivalent, responsible for day to day affairs of the business which does not warrant cancellation of registration, are core fields which shall be approved by the Proper Officer after due verification.
- 3. For amendment in Non-Core fields, approval of the Proper Officer is not required.
- 4. Where a change in the constitution of any business results in change of the Permanent Account Number of a registered person, the said person shall be required to apply for fresh registration.
- 5. Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal.
- 6. All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number shall be validated online by the system and Application Reference Number (ARN) will be generated after successful validation of necessary field.
- 7. Status of the application can be tracked on the common portal.
- 8. No fee is payable for submitting application for amendment.
- 9. Authorised signatory shall not be a minor.

Form GST REG-15
[See rule 19(1)]

Reference Number - << >>

Date - DD/MM/YYYY

To (Name) (Address) Registration Number (GSTIN / UIN)

Application Reference No. (ARN)

Dated - DD/MM/YYYY

Order of Amendment

This has reference to your application number----- dated ---- regarding amendment in registration particulars. Your application has been examined and the same has been found to be in order. The amended certificate of registration is available on your dashboard for download.

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

Date Place

Form GST REG-16 [See rule 20]

Application for Cancellation of Registration

1	GSTIN				
2	Legal name				
3	Trade name, if any				
4	Address of Principal Place of Business	,			
5	Address for future correspondence	Building No./ Flat No.		Floor No.	
	(including email, mobile telephone, fax)	Name of Premises/ Building		Road/ Street	
	,	City/Town/ Village		District	
		Block/Taluka			
		Latitude		Longitude	
		State		PIN Code	
ľ		Mobile (with country code)		Telephone	
		email	·	Fax Number	
6.	Reasons for Cancellation (Select one)	Discontinuance /Closure of Ceased to be liable to pay to Transfer of business on amalgamation, merger/ sale, lease or otherwise detc. Change in constitution of leading to change in Account Number Death of Sole Proprietor Others (specify)	account of demerger, isposed of f business Permanent		
7.	etc.	nerger of business, particulars of r	egistration of entity in	which merged,	amaigamated, transferred,
(i)	Goods and Services Tax Identification Number			1	-
(ii)	(a) Name (Legal)				
	(b) Trade name, if any				
(iii)	Address of Principal Place of Business	Building No./ Flat No. Name of Premises/ Building		Floor No. Road Street	
		- Lane of Frenings Dutiong		1.020 0.000	

							-	<u> </u>		
;		•	City/Town/ Village					District		
1					_			-		
1			Block/Taluka							
l			Latitude					Longitude		
ĺ			State					PIN Code		
			Mobile (with country c	ode)				Telephone		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			email					Fax Numb	er	
8.	Da	te from which regi	stration is to be cancelled	j.		<dd m<="" td=""><td>M/YYY</td><td>Υ></td><td></td><td></td></dd>	M/YYY	Υ>		
9	Pa	rticulars of last Ret	urn Filed							
(i)		x period								
(ii)	Ap	plication Reference	e Number							·
(iii)	Da	ite			لے			l. a- the offee	tive date of	cancellation of
10.		Amount of tax p registration.	ayable in respect of inp	outs/capita	l go	ods held				
				Value of			Input T higher)	ax Credit/ Tax (Rs.)	Payable (whic	hever is
		De	scription	Stock (Rs.)	C	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
	ı	Inputs							l	
		Inputs contained i	n semi-finished goods						 	
		Inputs contained i	n finished goods		_				 	
	- [ant and machinery	ļ						
11.	_	Total Details of tax paid	d if any	<u></u>				<u></u>		
11.		Details of tax paid	<u>, 11 mir </u>		C.	Cook	Lodger			
				Paymer	nt tre	om Cash	Leager			
		Sr. No.	Debit Entry No.	Centra	al	State	Тах	UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1.	 	 					<u> </u>	
		2.	 			Τ				
			Sub-Total	† 						
			500 1000	Payme	nt fi	rom ITC	Ledger		<u> </u>	
		Sr. No.	Debit Entry No.	Centra Tax		State	Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1.							, ,	
		2.				-			 	
			Sub-Total			 			-	
		Total Amount of	Tax Paid	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
12.	Do	cuments uploaded								
		ification								
I/W kno	e < wle	 hereby solemnly dge and belief and 	affirm and declare that th nothing has been conceal	e informat led therefro	ion ;	given he	ein abov	e is true and co	rrect to the be	st of my/our
							Signatu	re of Authorise	d Signatory	
<u></u>										
Plac						Name of	the Auth	orised Signator	ry	. [

Place	Name of the Authorised Signatory
Date	Designation / Status
"	

Instructions for filing of Application for Cancellation

- A registered person seeking cancellation of his registration shall electronically submit an application
 including details of closing stock and liability thereon along with relevant documents, on common portal.
- The following persons shall digitally sign application for cancellation, as applicable:

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application
Proprietorship	Proprietor
Partnership	Managing / Authorised Partners
Hindu Undivided Family	Karta
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Public Limited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee
Government Department	Person In charge
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Unlimited Company	Managing / Whole-time Directors/ Chief Executive Officer
Limited Liability Partnership	Designated Partners
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent
Foreign Company	Authorised Person in India
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India
Others	Person In charge

In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir / successor manually before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after that the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file your tax return due for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls.

- Status of the Application may be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for cancellation.
- After submission of application for cancellation of registration, the registered person shall make payment, if not made at the time of this application, and shall furnish final return as provided in the Act.
- The registered person may also update his contact address and update his mobile number and e mail address.

[See rule 22(1)]

To	
Registration Number	(GSTIN/UIN)
(Name)	
(Address)	

Reference No. -

<< Date >>

Show Cause Notice for Cancellation of Registration

Whereas on the basis of information which has come to my notice, it appears that your registration is liable to be cancelled for the following reasons: -

2

3

? You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice.

? You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Place: Date:

Signature < Name of the Officer> Designation Jurisdiction

[See rule 22(2)]

Reply to the Show Cause Notice issued for cancellation for registration

,	Reference No. of Notice		Date of issue		
1.	Veteterine IAO. Of IAORICE				
2.	GSTIN / UIN				
3.	Name of business (Legal)				
4.	Trade name, if any				
5.	Reply to the notice				
6.	List of documents uploaded				
				•	
1			•		
7.	Verification		hereby solemnl	y affirm and declare that t	the
7.	I information given hereinabove	is true and correct refrom.	hereby solemnly to the best of m	y affirm and declare that t y knowledge and belief a	the and
7.		is true and correct refrom.	hereby solemnly to the best of m	y affirm and declare that t y knowledge and belief a	the and
7.	I information given hereinabove	is true and correct refrom.	to the best of m	y affirm and declare that ty knowledge and belief a	the and
7.	I information given hereinabove	is true and correct refrom.	to the best of m	y knowledge and belief a	the and
7.	I information given hereinabove	is true and correct refrom.	to the best of m Signature of A	y knowledge and belief a	the
7.	I information given hereinabove	is true and correct refrom.	to the best of m Signature of A	y knowledge and belief a Luthorised Signatory me	the
7.	I information given hereinabove	is true and correct refrom.	to the best of m Signature of A	y knowledge and belief a Luthorised Signatory me	the
7.	information given hereinabove nothing has been concealed then	is true and correct refrom.	to the best of m Signature of A	y knowledge and belief a Luthorised Signatory me	the

[See rule 22(3)]

Reference No
То
Name
Address
CCTINI / LIINI

Application Reference No. (ARN)

Date

Ord	ler f	or	Cancellation	of	Registration	

- Whereas n	nce to your reply date o reply to notice to s	how cause has	been submitted;	to show cause day or	ted
Whereas to		earing you did examined your	not appear; or reply and subm	issions made at the	e time of hearing, and
1.					
2.			::	M/VVVV >>	

The effective date of cancellation of your registration is <<DD/MM/YYYY >>.

Determination of amount payable pursuant to cancellation:

Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows:

The amounts determined as being payable above are without prejudice to any amount that may be found to be payable you on submission of final return furnished by you.

You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

Head	Central Tax	State Tax	UT Tax	Integrated Tax	Cess
Tax					
Interest					
Penalty					_
Others					
Total					

Place:	•	
Date:		F

Signature

< Name of the Officer>
Designation
Jurisdiction

[See rule 22(4)]

Date

Reference No. -To Name Address GSTIN/UIN

Show Cause Notice No.

Date

Order for dropping the proceedings for cancellation of registration

This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause notice dated DD/MM/YYYY. Upon consideration of your reply and/or submissions made during hearing, the proceedings initiated for cancellation of registration stands vacated due to the following reasons:

<< text >>

Signature
< Name of the Officer>
Designation
Jurisdiction

Place: Date:

Form GST REG-21 [See rule 23(1)] Application for Revocation of Cancellation of Registration

1.	GSTIN (cancelled)			
1.	GST II4 (cancened)			
2.	Legal Name			
3.	Trade Name, if any			·
4.	Address			
	(Principal place of business)			
5.	Cancellation Order No.	Da	ate –	
6	Reason for cancellation			
7	Details of last return filed			
	Period of Return	Application Reference Number	Date of filing	DD/MM/YYYY
8	Reasons for revocation of cancellation	Reasons in brief. (Detailed	reasoning can be filed	as an attachment)
9	Upload Documents			
10.	Verification			·
	I hereby solemnly affirm and decl my knowledge and belief and noth	are that the information given sing has been concealed therefr	herein above is true and rom.	correct to the best of
				Authorised Signatory Full Name me, middle, surname) Designation/Status
	Place Date			Dogigiation datas

Instructions for submission of application for revocation of cancellation of registration

- A person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply for revocation of cancellation of registration, within thirty days from the date of service of the order of cancellation of registration at the common portal No application for revocation shall be submitted if the registration has been cancelled for the failure to furnish returns unless such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns has been paid along with any amount payable towards interest, penalty and late fee payable in respect of the said returns.
- Any change in the mobile number or the e-mail address of authorised signatory submitted as amended from time to time, shall be carried out only after online verification through the common portal in the manner provided
- Status of the application can be tracked on the common portal.
- No fee is payable for filing application for revocation of cancellation.

[See rule 23(2] Date

Reference No. -

To GSTIN / UIN (Name of Taxpayer) (Address)

Application Reference No. (ARN)

Date

Order for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY for revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same has been found to be in order. Accordingly, your registration is restored.

Signature
Name of Proper officer
(Designation)
Jurisdiction –

Date Place

Form GST REG-23 [See rule 23(3)]

Reference Number:

Date

To Name of the Applicant/ Taxpayer Address of the Applicant/Taxpayer GSTIN Application Reference No. (ARN):

Dated

Show Cause Notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

This has reference to your application dated DD/MM/YYYY regarding revocation of cancellation of registration. Your application has been examined and the same is liable to be rejected for the following reasons:

- ı.
- 2.
- 3.
- ? You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice.
- ? You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY at HH/MM. If you fail to furnish a reply within the stipulated day or you fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Signature
Name of the Proper Officer
Designation
Jurisdiction

[See rule 23(3)]

Reply to the notice for rejection of application for revocation of cancellation of registration

1.	Reference No. of Notice	Date			
2.	Application Reference No. (ARN)	Date			
3.	GSTIN, if applicable				
4.	Information/reasons				
5.	List of documents filed				,
6.					
V.	the information given hereinabo and nothing has been concealed	correct to the bes	t of my/our	knowledg	
V.		correct to the bes		knowledg	e and belief
O.		correct to the bes	t of my/our	knowledg	e and belief
V.		correct to the bes	t of my/our	knowledg Authorise	e and belief
J.		correct to the bes	t of my/our	knowledg Authorise	e and belief
	and nothing has been concealed	correct to the bes	t of my/our signature of	knowledg Authorise	e and belief

Form GST REG-25 [See rule 24(1)]

Certificate of Provisional Registration

Provisional ID Permanent Account Number						
Ramber						
Legal Name			·			
Trade Name						<u> </u>
Registration Details ur	der Existing Law				· .	
· · ·	Act	Registration	Number			
:						
<date cre<="" of="" td=""><td>ation of Certificate></td><td>Place</td><td><state></state></td><td></td><td></td><td></td></date>	ation of Certificate>	Place	<state></state>			
7	Trade Name Registration Details un		Registration Details under Existing Law Act Registration Continue Registration Registrat	Registration Details under Existing Law Act Registration Number Continue Continue	Registration Details under Existing Law Act Registration Number Continue of Certificate Place Continue of Certificate Place Continue of Certificate Continue of	Registration Details under Existing Law Act Registration Number Continue of Certificate Place Continue of Certificate Place Continue of Certificate Continue of

This is a Certificate of Provisional Registration issued under the provisions of the Act.

Form GST REG-26 [See rule 24(2)]

	Ар	plication for Enroln	nent of Existing Taxpaye	r
Taxpaye	er Details			
1. Prov	isional ID			
	Name (As per Permanent t Number)			
3. Legal	Name (As per State/Center)			
4. Trad	e Name, if any			
5. Perm Busines	anent Account Number of s			
6. Cons	titution			
7. State				
7A Sect	tor, Circle, Ward, etc. as ble		:	
7B. Cer	nter Jurisdiction			
8. Reas Registr	on of liability to obtain ation	Registration under ear	lier law	
9. Exist	ting Registrations			
Sr. No.	Type of Registration		Registration Number	Date of Registration
1	TIN Under Value Added	Тах		
2.	Central Sales Tax Registr	ation Number		
3	Entry Tax Registration N	umber		
4	Entertainment Tax Regis	tration Number		
5	Hotel And Luxury Tax R			
6	Central Excise Registrati	on Number		
7	Service Tax Registration			
8	Corporate Identify Numb Registration		•	
9	Limited Liability Partner Number/Foreign Limited Identification Number	ship Identification I Liability Partnership		
10	Import/Exporter Code N	umber		

1)	Registration Under Duty C		T				
. ₹	Medicinal And Toiletry Ad						
13	Others (Please specify)		+				
12	Others (Please specify)						
			1				
10 B	 tails of Principal Place of Bu						
IU. De	talls of Principal Place of Bu	SIIIESS					
Buildi	ng No. /Flat No.			Floor No			·
Name	of the Premises/Building			Road/Street			
Locali	ry/Village			District			•
State				PIN Code			
Latitud	ie			Longitude			
Contac	ct Information						
Office	Email Address			Office-Telephone Num	ber		
Mobil	e Number			Office Fax No			
10A.1	Nature of Possession of Prem	ises (Own; L	eased	; Rented; Consent; Shar	ed)		·
10B. ?	Nature of Business Activities	being carried out					·
Factor	y / Manufacturing	Wholesale Business	0	Retail Business	Wareho	use/Depot	0
Bonde	ed Warehouse	Service Provision	0	Office/Sale Office	_	Business	0
Servio	e Recipient	EOU/ STP/ EHTP	0	SEZ O	Input Se	ervice Distrib	utor (ISD)
Work	s Contract	Others (Specify)	0				
11. D	etails of Additional Places of	Business					
Build	ing No/Flat No			Floor No			
Name	of the Premises/Building			Road/Street			
Local	ity/Village			District			
State				PIN Code			
Latitu	ide (Optional)	•		Longitude(Optional)			
Conta	act Information						
Offic	e Email Address			ce Telephone Number			
Mob	Mobile Number Offi			ce Fax No			
IIA.	Nature of Possession of Pren	nises (Own,	Leas	ed; Rented; Consent; Sh	ared)		
11B.	Nature of Business Activities	s being carried out					
Facto	ory / Manufacturing	Wholesale Busines	s \cap	Retail Business		ouse/Depot	0
Bono	led Warehouse	Service Provision	\sim	Office/Sale Office	Leasing	Business	0

	***							·	
Service Recip	ient O	EOU/	STP/ EHTP	0	SEZ	0	Input	Service Dist	tributor (ISD) 🔘
Works Contra	ict 🔘	Others	(Specify)	0					
Add More		L	<u> </u>						
12. Details of	Goods/ Services sur	plied by	the Busines	SS	<u></u>				
Sr. No.	Description of Goo	ds						HSN Code	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
***	·								
Sr. No.	Description of Serv	vices						HSN Code	
					•				
13. Total Ban	nk Accounts maintain	ed by yo	ou for conduc	cting E	Business				
Sr. No.	Account Number	Туре	of Account	IFS		Bank Nam	е	Branch A	ddress
· .				†					
		-		<u> </u>					
14. Details	of Proprietor/all Page 1	artners/k	(arta/Manag	ing D	irectors and	d whole tin	ne Dire	ctor/Membe	rs of Managing
Committee o	f Associations/Board	of Trus	tees etc.						
Name	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<first< td=""><td>Name></td><td><m< td=""><td>ddle Name</td><td>></td><td><last< td=""><td>Name></td><td><photo></photo></td></last<></td></m<></td></first<>	Name>	<m< td=""><td>ddle Name</td><td>></td><td><last< td=""><td>Name></td><td><photo></photo></td></last<></td></m<>	ddle Name	>	<last< td=""><td>Name></td><td><photo></photo></td></last<>	Name>	<photo></photo>
Name of Fat	her/Husband	<first< td=""><td>Name></td><td><m< td=""><td>iddle Name</td><td>></td><td><last< td=""><td>Name></td><td></td></last<></td></m<></td></first<>	Name>	<m< td=""><td>iddle Name</td><td>></td><td><last< td=""><td>Name></td><td></td></last<></td></m<>	iddle Name	>	<last< td=""><td>Name></td><td></td></last<>	Name>	
Date of Birth	DD/ MM/ YYYY	Gende	er	· 1 ··· ·		<male, f<="" td=""><td>emale.</td><td>Other></td><td></td></male,>	emale.	Other>	
Mobile Num	ber			Em	ail Address				
Telephone N	lumber		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Identity Info	rmation						•		
Designation		Direc	tor Identifica	tion N	umber				
Permanent Account		Aadh	aar Number						
Number									
Are you a ci	itizen of India?	.1	<yes no=""></yes>		Passport	Number			
Residential	Address		<u> </u>						
Building No	/Flat No				Floor No)			
Name of the	Premises/Building	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Road/Str	eet			
Locality/Vi	llage				District				
State		<u></u>			PIN Cod	е		<u> </u>	
1			<u> </u>						

	101		,						
15. Details of Primary Authorise	d Signatory								
Name	<first name=""></first>	> <mid< td=""><td>ddle Name></td><td></td><td><las< td=""><td>t Name></td><td></td><td></td></las<></td></mid<>	ddle Name>		<las< td=""><td>t Name></td><td></td><td></td></las<>	t Name>			
Name of Father/Husband	<first name=""></first>	> <mid< td=""><td colspan="2"><middle name=""></middle></td><td colspan="2"><last name=""></last></td><td></td><td></td></mid<>	<middle name=""></middle>		<last name=""></last>				
Date of Birth	DD/MM/ YYYY	Geno	Gender <male,< td=""><td colspan="2">1ale, Female, Other></td><td><photo< td=""><td colspan="2"><photo></photo></td></photo<></td></male,<>		1ale, Female, Other>		<photo< td=""><td colspan="2"><photo></photo></td></photo<>	<photo></photo>	
Mobile Number		Ema	il Address	<u> </u>		·	-	•	
Telephone Number		·				-		-,	
Identity Information									
Designation	 	Dire	ctor Identifica	tion Num	ber				
Permanent Account Number		Aadl	haar Number		;				
Are you a citizen of India?	<yes no=""></yes>		Passport Nu	mber		·			
Residential Address	<u> </u>		L—						
Building No/Flat No			Floor No						
Name of the Premises/Building			Road/Street						
Locality/Village			District						
State			PIN Code						
Add More					,				
List of Documents Uploaded									
A customized list of documents r provision to upload relevant doc	equired to be up! ument against eac	oaded as per ch entry in th	r the field valu he list. (Refer	ues in the j instruction	form s n)	should be	auto-populated	with	
16. Aadhaar Verification I on behalf of the holders of Aa to obtain details from UIDAI f that identity information would Central Identities Data Reposito	or the purpose of only be used f	f authenticat for validating	ion. "Goods a g identity of	and Servic	es Ta	x Networl	k" has informed	me	
17. Declaration									
l, hereby solemnly affirm and knowledge and belief and nothi	declare that the	information ealed therefr	given herein om.	above is	true a	and correc	t to the best of	` my	
						Digita	l Signature/E-Si	gn	
Name of the Authorised Signatory			I	Place					
Designation of Authorised Signatory			1	Date					

- Every person, other than a person deducting tax at source or an Input Service Distributor, registered under an existing law and having a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) shall enroll on the common portal by validating his e-mail address and mobile number.
- 2. Upon enrolment under clause (a), the said person shall be granted registration on a provisional basis and a certificate of registration in FORM GST REG-25, incorporating the Goods and Services Tax Identification Number therein, shall be made available to him on the common portal:
- 3. Authorisation Form:-

For each Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

1 ---

(Details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc)

1. << Name of the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc>>

2.

3.

hereby solemnly affirm and declare that <<name of the authorised signatory>> to act as an authorised signatory for the business << Goods and Services Tax Identification Number - Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us.

Signatures of the persons who are Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc.

S. No. Full Name Designation/Status Signature

1.

2.

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of the authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Signature of Authorised Signatory

Designation/Status

Date

Place

Instructions for filing online form

- Enter your Provisional ID and password as provided by the State/Commercial Tax/Central Excise/Service Tax Department for log in on the GST Portal.
- Correct Email address and Mobile number of the Primary Authorised Signatory are to be provided. The Email address and Mobile Number would be filled as contact information of the Primary Authorised Signatory.
- E mail and Mobile number to be verified by separate One Time Passwords. Taxpayer shall change his user id and password after first login.
- Taxpayer shall require to fill the information required in the application form related details of Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees, Principal Place of Business and details in respect of Authorised signatories.
- Information related to additional place of business, Bank account, commodity in respect of goods and services dealt in (top five) are also required to be filled.
- Applicant need to upload scanned copy of the declaration signed by the Proprietor/all Partners/Karta/Managing Directors and whole time Director/Members of Managing Committee of Associations/Board of Trustees etc. in case he/she declares a person as Authorised Signatory as per Annexure specified. Documents required to be uploaded as evidence are as follows:-

1.	Photographs wherever specified in the Application Form (maximum 10)
	Proprietary Concern - Proprietor
	Partnership Firm / Limited Liability Partnership - Managing/ Authorised
	Partners (personal details of all partners is to be submitted but photos of only ten partners including that of Managing Partner is to be submitted)
	Hindu Undivided Family – Karta
	Company - Managing Director or the Authorised Person
	Trust - Managing Trustee
	Association of Person or Body of Individual –Members of Managing Committee (personal details of all members is to be submitted but photos of only ten members including that of Chairman is to be submitted)
	Local Body - Chief Executive Officer or his equivalent
	Statutory Body - Chief Executive Officer or his equivalent
	Others - Person in Charge
2.	Constitution of business: Partnership Deed in case of Partnership Firm. Registration Certificate/Proof of Constitution in case of Society. Trust, Club. Government Department, Association of Person or Body of Individual, Local Authority, Statutory Body and Others etc.
3.	Proof of Principal/Additional Place of Business:
	(a) For Own premises –
	Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.
	(b) For Rented or Leased premises –
	A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of

	Electricity Bill.
	(c) For premises not covered in (a) and (b) above -
	A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.
4	Bank Account Related Proof:
	Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement
	Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business Concern - containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.
5	For each Authorised Signatory: Letter of Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to that effect as specified.

After submitting information electronic signature shall be required. Following person can electronically sign application for enrolment:-

Constitution of Business	Person who can digitally sign the application		
Proprietorship	Proprietor		
Partnership	Managing / Authorised Partners		
Hindu Undivided Family	Karta		
Private Limited Company	Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer Managing / Whole-time Directors and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer		
Public Limited Company			
Society/ Club/ Trust/ AOP	Members of Managing Committee		
Government Department	Person In charge		
Public Sector Undertaking	Managing / Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer		
Unlimited Company	Managing/ Whole-time Director and Managing Director/Whole Time Director/ Chief Executive Officer		
Limilted Liability Partnership	Designated Partners		
Local Authority	Chief Executive Officer or Equivalent		
Statutory Body	Chief Executive Officer or Equivalent		
Foreign Company	Authorised Person in India		
Foreign Limited Liability Partnership	Authorised Person in India		
Others	Person In charge		

Application is required to be mandatorily digitally signed as per following:-

SI. No	Type of Applicant	Digital Signature required
1.	Private Limited Company	Digital Signature Certificate(DSC) Class 2 and above
	Public Limited Company	
	Public Sector Undertaking	
	Unlimited Company	
	Limited Liability Partnership	
	Foreign Company	
	Foreign Limited Liability Partnership	
2.	Other than above	Digital Signature Certificate class 2 and above
		e-Signature

Note: - 1. Applicant shall require to register their DSC on common portal.

2. e-Signature facility will be available on the common portal for Aadhar holders.

All information related to Permanent Account Number, Aadhaar, Director Identification Number, Challan Identification Number, Limited Liability Partnership Identification Number shall be online validated by the system and Acknowledgment Reference Number will be generated after successful validation of all the filled up information.

Status of the online filed Application can be tracked on the common portal.

- 1. Authorised signatory should not be minor.
- No fee is applicable for filing application for enrolment.

Acknowledgement

Enrolment Application - Form GST- has been filed against Application Reference Number (ARN) <......>

Form Number : <.....>

Form Description: <Application for Enrolment of Existing Taxpayers>

Date of Filing : <DD/MM/YYYY>

Taxpayer Trade Name : <Trade Name>

Taxpayer Legal Name : <Legal Name as shared by State/Center>

Provisional ID Number : <Provisional ID Number>

It is a system generated acknowledgement and does not require any signature

[See rule - 24(3)]

Reference No.

To

Provisional ID

Name

Address

Application Reference Number (ARN) < >

<<Date-DD/MM/YYYY>>

Dated <DD/MM/YYYY>

Show Cause Notice for cancellation of provisional registration

This has reference to your application dated ----. The application has been examined and the same has not been found to be satisfactory for the following reasons:-

1

You are hereby directed to show cause as to why the provisional registration granted to you shall not be cancelled.

Signature

Name of the Proper Officer
Designation
Jurisdiction

Date Place

[See rule 24(3)] << Date-DD/MM/YYYY>> Reference No. -To Name Address GSTIN / Provisional ID Dated - DD/MM/YYYY Application Reference No. (ARN) Order for cancellation of provisional registration This has reference to your reply dated ---- in response to the notice to show cause dated ----. Whereas no reply to notice to show cause has been submitted; or Whereas on the day fixed for hearing you did not appear; or Whereas the undersigned has examined your reply and submissions made at the time of hearing, and is of the opinion that your provisional registration is liable to be cancelled for following reason(s). 1. 2. Determination of amount payable pursuant to cancellation of provisional registration: Accordingly, the amount payable by you and the computation and basis thereof is as follows: You are required to pay the following amounts on or before ----- (date) failing which the amount will be recovered in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder. Integrated Cess UT Tax State Tax Central Tax Head Tax Tax Interest Penalty Others Total Place: Signature Date:

< Name of the Officer>
Designation
Jurisdiction

Form GST REG-29 [See rule 24(4)]

Application for cancellation of provisional registration Part A

(i) Provisional ID					
(ii) Email ID					
(iii) Mobile Number					
		Par	rt B		
Legal Name (As per P Number)					
2. Address for corresponde	ence		•		
Building No./ Flat No.			Floor No.		
Name of Premises/ Building			Road/ Street		
City/Town/ Village/Locality			District		
Block/Taluka			·	·	
State			PIN		
3. Reason for Cancellation					
4. Have you issued any tax	invoice during GST	regime?	YES	NO	
5. Declaration					
(i) I <name of="" pro<="" td="" the=""><td>oprietor/Karta/Author</td><td>rised Sign</td><td>natory>, being <design< td=""><td>nation> of <l< td=""><td>.egal Name ()> do</td></l<></td></design<></td></name>	oprietor/Karta/Author	rised Sign	natory>, being <design< td=""><td>nation> of <l< td=""><td>.egal Name ()> do</td></l<></td></design<>	nation> of <l< td=""><td>.egal Name ()> do</td></l<>	.egal Name ()> do
hereby declare that I a	m not liable to regist	ration und	der the provisions of the	Act.	
6. Verification					
I < > hereby solemnly affi my knowledge and belief a	rm and declare that t and nothing has been	he inform	nation given herein abo d.	ve is true and	correct to the best of
Aadhaar Number Perm		Permane	nent Account Number		
			Signatur	e of Authoris	ed Signatory
Full Name					
Designation / Status					
Place					
Date			DD/MM/YYYY		

[See rule 25]
Form for Field Visit Report
Center Jurisdiction (Ward/Circle/Zone)

Name of the Officer:- << to be prefilled>>

Date of Submission of Report:-

Name of the taxable person

GSTINJUIN

Tank Assigned by:- < Name of the Authority- to be prefilled>

Date and Time of Assignment of task:- < System date and time>

Sr. No.	Particulars	Input				
1.	Date of Visit					
2.	Time of Visit					
	Location details :					
3.	Latitude	Longitude				
. '	North - Bounded By	South - Bounded By				
	West - Bounded By	East - Bounded By				
	Whether address is same as mentioned in	Y/N				
4.	application.					
	Particulars of the person available at the	•				
5.	time of visit					
(i)	Name					
(ii)	Father's Name					
(iii)	Residential Address					
(iv)	Mobile Number					
(v.)	Designation / Status					
(vi)	Relationship with taxable person, if					
(,	applicable.	·				
6.	Functioning status of the business	Functioning - Y / N				
7.	Details of the premises					
	Open Space Area (in sq m.) - (approx.)					
	Covered Space Area (in sq m.) -					
	(approx.)	-				
	Floor on which business premises					
	located					
8.	Documents verified	Yes/No				
ð.						
9.	Upload photograph of the place with the p	erson who is present at the place where s				
У.	verification is conducted.					
10.	Comments (not more than < 1000 characters>					
ιυ.		Signature				
	Place:	Name of the Officer:				
	Date:	Designation:				
		Jurisdiction:				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S, D. RICHHARIA, Dy. Secy.